

मासिक

# अरफ़ात किरण

रायबरेली



## दुनिया हकीकी ईद से महसूम

“दुनिया की हकीकी ईद सदियों से नहीं हुई है। दुनिया हकीकी ईद को तरस रही है। न अमन है, न अखलाक है, न इन्सानियत है, न शाराफ़त है, न खिदमत का जज्बा है, न खुदा की याद है और न खुदा की पहचान है। कुछ नहीं है। कहां का त्योहार, सारे त्योहार जो हैं वच्चों के खेल से हैं, जैसे वच्चों की कोई ज़िम्मेदारी नहीं, खेलें, कूदें, खायें, पियें और खुश रहें ऐसे ही दुनिया की कौमें वच्चों की तरह खुशियां मना रहीं हैं। लेकिन हकीकी खुशी न सीब नहीं। आज दुनिया को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ईद की ज़रूरत है और वो ईद मुसलमानों की कोशिश ही से आ सकती है।”

हज़रत मौलانا अबुल हसन अली हसनी नदवी  
(अज़ानुल मुवाक़ औट डमके तक़ज़े)



मर्कजुल इमाम अबिल हसन अल नदवी  
दारे अरफ़ात, तकिया कलां, रायबरेली

## रमज़ान को रोज़ों के साथ खास क्यों किया गया?

—‘लिखित’—

अल्लाह तआला ने रोज़े रमज़ान में फ़र्ज़ किये हैं, और दोनों को एक दूसरे के साथ आवश्यक घोषित कर दिया है और वास्तविकता ये है कि इन दो बरकतों और नेकियों का मिलन बड़ी हिक्मत और अहमियत वाला है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि रमज़ान ही वो महीना है जिसमें कुरआन मजीद नाज़िल हुआ गुमराह इन्सानियत को “सुबह—ए—सादिक” नसीब हुई। इसलिये ये इसी अनुसार था कि जिस तरह सुबह सूरज निकलने से पहले को रोज़े की शुरूआत से जोड़ दिया गया है उसी तरह इस महीने को भी। जिसमें एक लाम्बी और अंधेरी रात के बाद पूरी इन्सानियत की सुबह हुई। पूरा महीना रोज़े के साथ खास कर दिया जाये, खास तौर पर उस समय जबकि रहमत व बरकत, आन्तरिक व बाह्य संबंध के लिहाज़ से भी ये महीना सभी महीनों से श्रेष्ठ था, और सही तौर पर इसका हक़दार था कि उसके दिनों को रोज़े से और रातों को इबादत से जोड़ा जाये।

रोज़े और कुरआन के बीच बहुत गहरा संबंध है और खास रिता है और इसीलिये हुजूर स०अ० रमज़ान में तिलावत का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम करते थे। इन्हे अब्बास रज़ि० रावी हैं कि रसूलुल्लाह स०अ० सबसे ज्यादा सखी थे, लेकिन रमज़ान में जब जिबाईल अलै० आप स०अ० से मिलते आते तो इस ज़माने में सखावत का मामूल बढ़ जाता, जिबाईल अलै० रमज़ान की हर रात में आपके पास आते और कुरआन पाक का दौर करते। उस वक्त जब जिबाईल अलै० आप से मिलने आते आप स०अ० सखावत दादो दहिश और नेकी के कामों में तेज़ हवा से भी तेज़ नज़र आते थे।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

मासिक

# अरफ़ात किरण

रायबरेली

अंक: ६-८

जून-अगस्त २०१३ ई०

वर्ष: ५



## संश्करण

इनरल औलाना सैम्यव  
मुट्टमद दारे उसनी नदी  
अध्यात्म - दारे अरफ़ात

## निरीक्षक

ओ० बानेठ रथीद उसनी नदी  
जबरल सेकेरेटरी- दारे अरफ़ात  
उच्चान्तरीय अध्यक्ष

बिलाल अब्दुल हयि हसनी नदी  
मुफ्ती राखिद दुसैन नदी  
अब्दुस्सुल्भान नारबुदा नदी  
अहमूद हसन हसनी नदी  
ओ० हसन नदी

## सह सम्पादक

ओ० नफीस खँ नदी

पति अंक-१०८ वार्षिक-१००८  
समाजीय संबन्धों-८००८ वार्षिक

[www.abulhasanalnadi.org](http://www.abulhasanalnadi.org)

FAX-0535-2211386

E-Mail: markazulimam@gmail.com

मर्कजूल इमाम अबिल हसन अल-नदी दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली, यूपी०२२९००१

मो० हसन नदी ने एस० १० अप्रैल पिंर्स, मसिद के पीछे, फटक अब्दुल्ला खँ, सल्ली माझी, स्टेशन रोड रायबरेली से  
छपाकर आफिस अरफ़ात किरण, मर्कजूल इमाम अबिल हसन अल-नदी, दारे अरफ़ात, तकिया कलां रायबरेली से प्रकाशित किया।

## रमज़ान का महीना

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ

(البقرة: 185)

अल्लाह तआला का इशार है:

(रमज़ान का महीना वो है जिसमें  
कुआन मजीद नाजिल हुआ जो लोगों का  
मार्गदर्शक है और जिसमें हिदायत की  
खुली हुई निशानियां हैं और जो ज्ञान और  
ज्ञान को अलग-अलग करने वाला है। अतः  
जिसे ये महीना मिले उसे पाहिये कि इस  
महीने में रोजा रहे।)

## इस अंक में:

रमज़ानुल मुबारक का पैग्राम.....	३
चांद के मसाएल.....	४
रोज़े का इतिहास.....	६
रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाएल.....	८
रमज़ानुल मुबारक—एक नई ज़िन्दगी की शुरूआत.....	९
रमज़ानुल मुबारक की आमद.....	१२
ख़ैर व बरकत का महीना.....	१३
कुरआन करीम और रमज़ानुल मुबारक.....	१५
रमज़ानुल मुबारक ईमान की मज़बूती का महीना.....	१७
रमज़ानुल मुबारक का अदव व एहतराम.....	१९
सहरी—इफ़तार ज़रूरी अहकाम.....	२१
जिन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है.....	२४
रमज़ानुल मुबारक में औरतों के मसाएल.....	२९
कफ़्फारा और फ़िदिया.....	३१
तरावीह की नमाज़.....	३२
एतिकाफ़.....	३४
शब—ए—क़द्र.....	३६
ईनाम की रात.....	३८
सदक—ए—फ़ित्र.....	३९
ईदुल फ़ित्र.....	४०
ज़कात — अहकाम व मसाएल.....	४२
रमज़ाम के बाद.....	४७

## ખાજુલુલ મુખ્યક કા પ્રિયાય

બિલાલ અબ્ડુલ હયિ ડસ્ની નદવી

વર્તમાન સદી કો ઇસ્લામી જાગરુકતા કી સદી કહા જાતા હૈ ઔર ઇસમે કોઈ શક નહીં કી જિતને ફેલાવ કે સાથ ઇસ દૌર મેં ઇલ્લી વ દાવતી કામ હુઆ હૈ શાયદ પહલે કી સદિયો મેં નહીં હો સકા। પુરાને લેખોં કી ખોજ વ પ્રચાર હો યા મહત્વપર્ણ વિષયો પર અચ્છી કિતાબોં કા પ્રકાશન, જગહ-જગહ દીની વ દાવતી કેન્દ્રોં કી સ્થાપના હો યા મદરસોં વ મકતબોં કી વ્યવસ્થા, મસ્ઝિદોં કે નિર્માણ વ ઉન્નતિ કા સિલસિલા હો યા ઇસ્લામિક સેન્ટર મેં શિક્ષા કી વ્યવસ્થા, જિતને બંદે સ્તર પર આજ યે કેન્દ્ર નજર આ રહે હૈનું, ઇસસે પહલે ઉનકે બારે મેં સોચના ભી મુશ્કિલ થા। યે ભી સહી હૈ કી યે એક અચ્છા કદમ હૈ ઔર ઇસસે એક આમ જાગરુકતા પૈદા હુઈ હૈ। લેકિન શાયદ યે ભી એક હકીકત હૈ કી ઈમાન વ યકીન કી જો કૈફિયત પહલે થી વો આજ દિખાઈ નહીં દેતી, બંદે સે બંદે વાક્યે હો જાતે હૈનું લેકિન દિલ વ દિમાગ પર વો અસર નહીં પડતા જો પહલે પડા કરતા થા। ઇસકા કારણ કેવળ યહી હૈ કી ઈમાન કી ગર્મી ઠન્ડી હોતી જા રહી હૈ।

હજરાત સહાબા રજિ૦ કે બારે મેં આતા હૈ કી વો ઈમાન તાજા કરને કે લિયે એકત્ર હોતે, (આઓ ભાઈ, કૃષ્ણ દેર ઈમાન તાજા કર લો) ઉનકો સબસે જ્યાદા ઈમાન કી ફિક્ર થી। વો નબી સ૦૩૦ કે પ્રેમ સે લાભાન્ધિત ઔર દીન કી વાસ્તવિકતા સે સબસે જ્યાદા પરિચિત થે। ઇસ ઈમાની આન્દોલન કે અલાવા ન ઉનકો કિસી આન્દોલન કી આવશ્યકતા થી ન કોઈ સમા કરને કી, જમાના જિતના જ્યાદા નબી સ૦૩૦ કે દૌર સે દૂર હોતા ગયા આમ તૌર પર ઈમાન કે નૂર મેં કમી હોતી ગયી। આજ હાલાત યાં તક બદલ ચુકે હૈનું કી સારા ધ્યાન સાધનોં ઔર પ્રદર્શનોં પર દિયા જાતા હૈ। વાસ્તવિકતા ઔર દિમાગ કી ચિન્તા કમ સે કમ રહ જાતી હૈ। ક્રમ કે પલટ જાને કા પરિણામ યે હૈ કી બહુત કોશિશો કે બાદ ભી હાલાત જ્યોં કે ત્યોં હૈનું।

ઈમાન કો તાજા કરને કે લિયે સબસે જ્યાદા જરૂરત ઈમાન વાલોં કી સંગત કી હૈ, શમા સે શમા જલતી હૈ, અફ્સોસ કી બાત યે હૈ કી આજ ઇસકા એહસાસ ભી ખુત્સ હોતા જા રહા હૈ। અગર ઇસકી આવશ્યકતા બતાયી ભી જાયે તો કૃષ્ણ શુરૂઆતી બાતોં કહ કર રુખ બદલ દેને કી કોશિશ કી જાતી હૈ। દીન ઔર દીની કામોં મેં ભી ખાલિસ મૈકેનિકી તર્જ વ અન્દાજ ઇસ તરહ પ્રવેશ કરતા જા રહા હૈ કી હકીકત વ રૂહ સે સંબંધ કમ સે કમ રહ જાતા હૈ।

ઈમાન કી રોશની બઢાને ઔર બૈટ્રી ચાર્જ કરને કા બેહતરીન મૌકા રમજાનુલ મુખારક ભી હૈ। યે વો મુખારક મહીના હૈ કી ઇસમે દિલ કી જમીન નર્મ હો જાતી હૈ, ઇસમે હલ ચલાના ઔર ઇસે ખેતી યોગ્ય બનાના આસાન હો જાતા હૈ। શૈતાન કૈદ કર દિયે જાતે હૈનું ઔર આમ વાતાવરણ ઇબાદત વ બન્દગી કા બન જાતા હૈ, ઇસસે ફાયદા ઉઠાતે હુએ અગર પૂરે મહીને મેં સાલ ભર કા ઇન્ટિજામ કર લિયા જાયે તો ઇસસે અચ્છા શાયદ કોઈ મૌકા ન મિલે। હવીસ મેં ઉસ વ્યક્તિ કો બદ્દુઆ દી ગયી હૈ જિસકો રમજાનુલ મુખારક કા મહીના મિલે ઔર વો અપની મગફિરત કા સામાન ન કર સકે।

બુરી આદતોં કો ખુત્સ કરને કા ભી યે બેહતરીન મૌકા હૈ। ઇસ જમાને મેં રૂટીન બદલ જાને સે અન્દરૂની બદલાવ ભી આસાન હો જાતે હૈનું। અગર પહલે હી સે પૂરે ઇસાદે કે સાથ ઇસકા ઇસ્તેમાલ કિયા જાયે ઔર પૂરા મહીના સત્ત્ર કે સાથ ગુજારને કી કોશિશ કી જાયે તો કૃષ્ણ બંદે નહીં કી બેહતરીન ઇન્કિલાબ કો લાને વાલા બને। ઇતિહાસ સે યે બાત સામને આતી હૈ કી બહુતોં કી જિન્દગિયોં કે લિયે યે એક બેહતરીન મોડ સાબિત હુએ હૈ, કિતનોં કી કાયાપલટ હો ગયી હૈ, લેકિન ઉસકે લિયે કૃષ્ણ ઇસાદે ઔર કૃષ્ણ અમલ કી જરૂરત હૈ। યકીનન અગર ઇસકે લિયે કોશિશ કી જાયેગી તો ઈમાન વ યકીન કી શમા રોશન હોગી ઔર હમારી એક બધુત બડી કમી દૂર હોગી, ઔર ઇસસે ઉમત કો એક નયી તાકત મિલેગી।

જમાના ભી મુખારક હો ઔર ઉસકે સાથ નેક સંગત ભી હો તો યકીનન ઈમાન કે નવનિર્માણ કે લિયે યે સોને પેસુહાગા હૈ। અચ્છે માહીલ મેં આદમી બનતા હૈ, નેકિયાં જડ પકડતી હૈનું, ખૈર કા રંગ ચઢતા હૈ ઔર પુખ્તા હોતા હૈ। દેહાત કે રહને વાલે એક સહાબી કે બારે મેં આતા હૈ કી વો રમજાનુલ મુખારક કી કૃષ્ણ રાતોં ગુજારને કે લિયે આંહજરત સ૦૩૦ કી સોહબત મેં હાજિર હોતે ઔર રાત ભર મસ્ઝિદે નબવી મેં રૂકતે, ફિર વાપસ તશ્રીફ લે જાતે। જમાને વાલોં કે હજાર

બ્રિગડ જાને કે બાવજૂદ ભી અહલે હક મૌજૂદ હૈનું ઔર આંહજરત સ૦૩૦ કી પેશગોઈ હૈ કી ક્રયામત તક હક વાલે બાકી રહેંગે, અગર રમજાનુલ મુખારક કી રાતોં ઇન નેક લોગોં કી સંગત મેં ગુજર જાયેં તો કોઈ કિતના ભી ગયા ગુજરા હો ઈમાન કી સૌગ્રાત લેકર હી પલટેગા।

## चाँड़ के अन्नाएँ

इस्लाम की कई अज़ीमुश्शान इबादतें चांद से जुड़ी हुई हैं। इनमें हज और रमज़ान सबसे ऊपर हैं लेकिन मनासिक—ए—हज (हज की अदायगी का तरीका) की अदायगी हिजाज—ए—मुकद्दस में होती है जहां चाहे कैसी भी इस्लामी हुकूमत मौजूद है, जिसका अपना निज़ाम और तर्ज—ए—फ़िक्र है, जिसका नतीजा ये है कि जिलहिज्जा और दूसरे महीनों में चाँद का ऐलान सरकारी तौर पर होता है और पूरा देश इसको मानता है या मानने पर मजबूर है। इसका नतीजा ये है कि आपसी फूट की कोई बात सामने नहीं आती।

लेकिन रमज़ान और कई कारणों से उससे भी बढ़कर ईदुलफ़ित्र व ईद—ए—कूर्बा में पूरी दुनिया के हर देश और हर क्षेत्र के मुसलमानों का वास्ता पड़ता है। ये क्षेत्र अलग—अलग भौगोलिक ज़ोन में स्थित हैं, फिर वहां के मुस्लिम नागरिक भी दृष्टिकोण के हामी हैं। इसके नतीजे में हर दो—तीन साल बाद चांद से संबंधित अत्यधिक विरोधाभास सामने आते हैं। कई सालों में तो दो से ज्यादा ईद भी मनायी गयी हैं। गंभीर लोगों के लिये ये बहुत ही अफ़सोसनाक स्थिति होती है क्योंकि ईद को तो खुशी के इज़हार और पुरानी रंजिशों और नफ़रतों को भुलाकर आपस में मिल जाने का एक ज़रिया व मौक़ा बनना चाहिये था। लेकिन इस पर जितना भी अफ़सोस किया जाये कि कम है कि जाहिलियत और अज्ञानता के कारण ये खुशी के ये दिन नयी रंजिशों और नफ़रतों का ज़रिया बन जाते हैं। इनमें इकराम—ए—मुस्लिम, बड़ों की इज़्जत व छोटों पर शफ़क़त इत्यादि से संबंधित हिदायतों के परख्ये उड़ाकर दिये जाते हैं और हर वर्ग दूसरे वर्ग का मज़ाक उड़ाकर दिली खुशी महसूस करता है। गैर भी चाहे ज़बान से कुछ न कहें लेकिन उनकी मुस्कुराहटें बहुत कुछ बयान कर देती हैं। केवल नाम के बुद्धिजीवी भी दीनी लोगों पर फ़क्तियां कसने में कोई कसर नहीं उठा रखते। पिछले साल बी.बी.सी. पर एक साहब की बात अब भी जैसे कानों

में गूंज रही हो कि अब ईद को एक रोज़ की ईद के बजाये हफ़्ते की ईद कहना चाहिये।

मेरे ख्याल से फूट व बिख़राव का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में इस्लामी व्यवस्था नहीं है। अगर सऊदी अरब की तरह एक इस्लामी हुकूमत होती तो चाहकर या ना चाहकर सब उसके हुक्म को मानने पर मजबूर होते और ये बात सामने न आती। गैर इस्लामी देश होने के बावजूद भी अगर इस्लामी शासन की व्यवस्थित व्यवस्था होती या कम से कम कोई केन्द्रीय चांद (देखने की) कमेटी होती और राज्यों में इसकी शाख़े होती और केन्द्रीय कमेटी के ऐलान को अमीर के ऐलान जैसा समझा जाता, तब भी ये अफ़सोसनाक स्थिति सामने न आती। लेकिन अफ़सोस! हम इस काम को भी न कर सके।

अतः स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए हमें कोशिश यही करनी चाहिये कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था बन जाये और देश के सभी मुसलमान इसको स्वीकार करें। लेकिन जब तक इस प्रकार की व्यवस्था न बन सके उस समय तक कम से कम यही तय कर लें कि हमारा संबंध चाहे किसी भी मकतब—ए—फ़िक्र (मसलक) से हों, बेशक बात हम अपने ही गुप की मानें लेकिन इन इबादतों और खुशी के लम्हों को इस प्रकार की फूट का शिकार न बनाएं कि उनके आने से दिल में खुशी आने के बजाये खौफ़ पैदा हो और रोंगटे खड़े होते हों कि देखें कि इस बार क्या शक्ल सामने आती है। इसलिये कि चांद देखने का मसला एक खालिस फ़िक्री मसला है। इसकी हकीकत सही तौर से फ़िक्र के माहिर ही समझ सकते हैं। अतः जिस प्रकार मरीज अपने मर्ज के बारे में किसी माहिर डाक्टर से सलाह लेता है और उसकी हिदायतों पर अमल करता है लेकिन दूसरे डाक्टरों के पास जाने वालों पर टिप्पणी नहीं करता, उसी प्रकार जिस हल्के और जिस चांद कमेटी वालों से संबंध हों, उनकी बात मान कर चले लेकिन बिलावजह दूसरों पर टिप्पणी न करे, न मज़ाक उड़ायें, इसलिये कि

किसी भी इबादत की रुह और जान अल्लाह के हुक्म पर अमल करके उसकी खुशनूदी हासिल करना है। सोचने की बात ये है कि क्या हमारे इस तरीके से अल्लाह की खुशनूदी हासिल होगी?!

शरीअत का हुक्म ये है कि चांद देखकर रोज़ा रखा जाये और चांद देखकर ईद मनायी जाये। अगर चांद नज़र न आये तो तीस की गिनती पूरी की जाये। हज़रत आयशा रज़ि० फरमाती हैं: “आप स०आ० जितना शाबान के दिनों को गिनने का एहतिमाम करते थे उतना दूसरे किसी महीने का एहतिमाम नहीं फरमाते थे, फिर रमज़ान का चांद देखकर रोज़ा रखते थे अगर आसमान में बादल होते तो तीस की गिनती पूरी फरमाते थे।” (अबूदाऊद : 2325) फुक्हा ने फरमाया कि सभी लोगों का चांद देखना शर्त नहीं है बल्कि अगर आसमान में चांद देखने की जगह साफ़ हो तो एक भीड़ का चांद देख लेना सभी लोगों का चांद देखना मान लिया जायेगा। अगर बादल या गर्द व गूबार की वजह से आसमान साफ़ न हो तो रमज़ान में एक विश्वसनीय व्यक्ति का और गैर रमज़ान में दो विश्वसनीय लोगों का चांद देख लेना सभी लोगों का देख लेना समझा जायेगा और संबंधित हुक्म साबित हो जायेगें। (हिदाया: 195-196) फिर रेडियो की खबर विश्वसनीय होगी या नहीं? फोन की सूचना का क्या हुक्म होगा? तार, ख़त, फैक्स, ईमेल और एसएमएस के द्वारा जो सूचना या ख़बर आये उसको कब विश्वसनीय माना जायेगा और कब विश्वसनीय नहीं माना जायेगा? ये और इसी तरह के बहुत से सवाल हैं जिनको उलमा ने हल करने की कोशिश की है। कई में वो एकमत हैं और कई में उनके बीच इखिलाफ़ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये काम सिर्फ़ फ़िक़ के माहिरों का है।

अतः हम जिस हल्के से जुड़े हों जब तक कोई केन्द्रीय कमेटी या हुकूमत न बन जाये हमको चाहिये कि उनकी बात मान कर चलें और डेढ़ ईट की अलग मस्जिद बनाकर फूट का कारण न बनें कोई शक दिमाग़ में आये तो उसके जिम्मेदारों से सम्पर्क कर लें, इस प्रकार हम उस अवसर पर पैदा हो जाने वाली अव्यवस्था को एक हद तक दूर कर सकते हैं।

कई बार चांद देखने के सिलसिले में बड़े इखिलाफ़ हो जाते हैं। ख़ासकर जब आसमान साफ़ न हो। ऐसी सूरत में पूरी हद तक इखिलाफ़ से बचना चाहिये और हर

ऐरे गैरे की बात सुनने के बजाये अपने इलाके के मोतबर उलमा किराम से रुजुआ किया जाये और अगर चांद कमेटी का निजाम कायम हो तो उसकी बात तस्लीम की जाये। अगर उनके बीच किसी तरह की फूट हो तो जिस मसलक या जिस कमेटी से जुड़ा हो उसके जिम्मेदारों की हिदायत पर अमल किया जाये ताकि किसी प्रकार की कोई फूट न पड़ सके और खुशियों का त्योहार भाईचार उल्फ़त व मुहब्बत का पैगाम दे जिसका असर गैरों पर पड़े।

### कुछ ज़रूरी मसले

जिस शख्स ने रमज़ान का चांद देखा लेकिन किसी वजह से उसकी गवाही रद्द कर दी गयी और आम लोगों ने रोज़ा नहीं रखा तो उस चांद देखने वाले शख्स पर रोज़ा रखना ज़रूरी है। (हिन्दिया 1 / 197)

अगर किसी ने ईद का चांद देखा और उसकी गवाही रद्द कर दी गयी तो वो रोज़ा नहीं छोड़ेगा चाहे उसके रोज़े 31 हो जायें। (हिन्दिया 1 / 197)

किसी शख्स ने शर्ई चांद कमेटी या मुस्लिम शासक की तरफ़ से या रेडियो या टेलीविज़न की तरफ़ से शर्ई जाब्ते के मुताबिक़ चांद का ऐलान किया हो और उसकी सच्चाई का गुमान ग़ालिब हो जाये तो ऐसे ऐलान का शर्ई तौर पर एतबार है। (जवाहिरुल फ़िक़ 1 / 401)

अगर मतला (चांद के दिखने की जगह) साफ़ न हो और दूसरी जगह की कोई चांद कमेटी का जिम्मेदार शख्स टेलीफोन पर इस बात की ख़बर दे कि यहाँ चांद शहादत के शर्ई जाब्ते के मुताबिक़ कमेटी ने चांद के सुबूत का ऐलान कर दिया है और उस ऐलान से महीना 29 दिन से कम न हो तो उस ख़बर का एतबार किया जा सकता है। (जवाहिरुल फ़िक़ 1 / 401)

अगर कोई शख्स सऊदी अरब से रमज़ान में हिन्दुस्तान आये और यहाँ उसके तीस रोज़े पूरे हो जाये तो वो उस वक्त तक रोज़ा रखेगा जब तक कि हिन्दुस्तान में ईद का चांद नज़र न आ जाये। चाहे सऊदी अरब से आने वाले शख्स को 30 से ज्यादा ही रोज़े क्यों न रखना पड़े। (अहसनुल फतावा 4 / 423)

अगर कोई शख्स रमज़ान शुरू होने के बाद हिन्दुस्तान से सऊदी अरब चला जाये और वहाँ उसके 28 रोज़े होने के बाद ईद का चांद नज़र आ जाये तो वो रोज़ा तोड़कर ईद में शरीक हो जायेगा और ईद के बाद एक रोज़े की क़ज़ा करेगा इसलिये कि महीना शरीअत के

# रोज़े का इतिहास

## रोज़े का अर्थ

रोज़ा इस्लाम की इबादत का तीसरा रुक्न (स्तम्भ) है, अरबी में इसको "सौम" कहते हैं, जिसके शाब्दिक अर्थ "रुकने और चुप रहने के हैं" कई व्याख्या करने वालों की व्याख्याओं के अनुसार कुरआन पाक में इसको कहीं—कहीं "सब्र" भी कहा गया है जिसका अर्थ "नफ़्स पर रोक लगाना" साबित कदम रहना और धैर्यता का है। इन अर्थों से ज़ाहिर होता है कि इस्लाम की ज़बान में रोज़े का क्या अर्थ है? वो अस्ल में नफ़्सानी इच्छाओं व हवस से अपने आप को रोकने और हिस्त और हवस में डगमगा देने वाले मौक़ों में अपने आप को रोके रहने और साबित कदम रखने का नाम है। रोज़ाना प्रयोग में साधारणतयः नफ़्स की इच्छाओं और इन्सानी हिस्त का आधार तीन चीज़े हैं। यानि खाना, पीना और मर्द—औरत के लैंगिक संबंध। उन्हीं से एक निश्चित समय तक रुके रहने का नाम शरीअत में रोज़ा है लेकिन वास्तव में इन ज़ाहिरी इच्छाओं के साथ आन्तरिक इच्छाओं और बुराइयों से दिल और ज़बान को सुरक्षित रखना भी रोज़े की वास्तविकता में दाखिल है।

## रोज़े का प्रारम्भिक इतिहास:

रोज़े का प्रारम्भिक इतिहास मालूम नहीं, इंगिलिशतान के मशहूर हकीम हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) अपनी किताब प्रिन्सिपल्स आफ़ सोशालाजी (Principles Of Sociology) (सामाजिक सिद्धान्त) में कुछ वहशी क़बीलों की मिसाल के आधार पर सोचता है कि रोज़ा का प्रारम्भ वास्तव में इस तरह हुआ होगा कि लोग वहशत के जमाने में खुद भूखे रहते होंगे, और समझते होंगे कि हमारे बदले हमारा खाना इस तहर मर्द—औरत को पहुंच जाता है। लेकिन ये विचार अकेले वालों की निगाह में स्वीकृति न प्राप्त कर सका। बहरहाल मुश्किलाना मज़हबों में रोज़े की हकीकत के चाहे कुछ ही कारण हों लेकिन इस्लाम का रोज़ा अपने प्रारम्भ की व्याख्या में अपने पीरों का मोहताज नहीं है। अल्लाह तआला का इरशाद है:

"मुसलमानों! रोज़ा तुम पर इस तरह फ़र्ज़ किया

गया है जिस तरह तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज़ हुआ ताकि तुम परहेज़गार बनो।"

"माहे रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरआन उतारा गया जो इन्सानों के लिये सरापा हिदायत की दलीलें और सब व झूठ में फ़र्क़ करने वाला बन कर आया है, तो जो इस रमज़ान को पाये वो इस महीने भर के रोज़े रखे और जो बीमार हो, सफ़र पर हो, वो दूसरे दिनों में रख ले, खुदा आसानी चाहता है, सख्ती नहीं ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर सके और (ये रोज़ा इसलिये फ़र्ज़ हुआ) ताकि तुम खुदा के इस हिदायत देने पर उसकी बड़ाई करो और ताकि तुम शुक्र बजा लाओ।"

इन आयत—ए—पाक में न केवल रोज़े के कुछ आदेश, बल्कि रोज़े का इतिहास, रोज़े की हकीकत, रमज़ान का महत्व, और रोज़े पर एतराज़ के सभी काम स्पष्ट रूप से बयान हुए हैं।

नीचे के पन्नों पर हम उन पर प्रकाश डालते हैं।

## रोज़े का धार्मिक इतिहास

कुरआन पाक ने इन आयातों की व्याख्या की है कि रोज़ा इस्लाम के साथ विशेष नहीं बल्कि इस्लाम से पहले भी वो सभी धर्मों के एक संग्रहित आदेश का हिस्सा रहा है। जाहिल अरब का पैग्मबर स०अ० उम्मी जो विरोधियों के अनुसार दुनिया के इतिहास से अनभिज्ञ था, वो गवाह है कि दुनिया के सभी देशों में रोज़ा फ़र्ज़ इबादत रहा है। अगर ये दावा तमाम सही तथ्यों पर आधारित है तो उसके ज्ञान के ऊपर के साधन में क्या शक रह जाता है। इसी दावे की तस्दीक में यूरोप के प्रमाणित तथ्यों का हम हवाला देते हैं।

इन्साइक्लोपेडिया बरटानेका का लेखक रोज़े (Fasting) पर लिखता है, "रोज़े के उसूल और तरीके को आबो हवा, कौमी तहजीब और आसपास के हालात के इख़तलाफ़ से बहुत कुछ भिन्न है लेकिन बड़ी मुश्किल से किसी ऐसे मज़हब का नाम हम ले सकते हैं जिसकी

धार्मिक व्यवस्था में रोज़ा किसी न किसी रूप में स्वीकार न किया गया हो।"

आगे चलकर लिखता है, "मानो कि रोज़ा मज़हबी रस्म की हैसियत से हर जगह मौजूद है" हिन्दुस्तान को सबसे अधिक पुराने होने का दावा है, लेकिन व्रत यानि रोज़ा से वो भी आजाद नहीं। हर हिन्दी महीने की ग्यारह बारह को ब्राह्मणों पर एकादशी का रोज़ा है। इस हिसाब से साल के चौबीस हुए, कई ब्राह्मण कार्तिक के महीने में हर दोशम्बा को रोज़ा रखते हैं, हिन्दू जोगी चिल्ला खींचते हैं, यानि चालीस दिन तक खाने पीने से परहेज़ करते हैं। हिन्दुस्तान के सभी धर्मों में, जैनी धर्म में रोज़ा की सख्त शर्त है। चालीस चालीस दिन तक उनके यहां एक रोज़ा होता है। गुजरात व दक्षन में हर साल कई कई हफ्ते का रोज़ा रखते हैं। पुराने भिस्तियों के यहां भी बहुत से धार्मिक त्योहारों के शुमूल में नज़र आता है। यूनान में केवल औरतें थ्योमोफिरिया की तीसरी तारीख को रोज़ा रखती थीं। पारसी धर्म में आम पीरों पर रोज़ा फर्ज़ नहीं बल्कि उनकी इल्हामी किताब की आयत से साबित होता है कि रोज़ा का आदेश उनके यहां मौजूद था। खासकर धार्मिक गुरुओं के लिये पांच साला रोज़ा आवश्यक था।

यहूदियों में भी रोज़ा अल्लाह तआला की तरफ से फर्ज़ है। हज़रत मूसा अलै० ने कोह पहाड़ पर चालिस दिन भूखे प्यासे गुज़ारे। इसलिये आम तौर से यहूदी हज़रत मूसा की पैरवी में चालिस दिन रोज़ा रखना अच्छा समझते हैं। लेकिन दस दिन का रोज़ा उन पर फर्ज़ है जो उनके सातवें महीने (तश्रीन) की दसवीं तारीख को पड़ता है। इसलिये वो इसको आशूरा (दसवां) कहते हैं। यही आशूरा का दिन वो दिन था जिसमें हज़रत मूसा अलै० को तौरात के दस आदेश दिये गये। इसलिये तौरात में इस दस रोज़ों की बहुत ताकीद है। और इसके अलावा यहूदी सहीफों में और दूसरे रोज़ों के आदेश भी स्पष्टता के साथ दिये गये हैं।

### ईसाई धर्म में भी द्व्यक्ते रोज़ा मिलता है

हज़रत ईसा अलै० ने भी चालिस दिन रोज़ा जंगल में रखा। हज़रत ईसा अलै० जो के हज़रत यहया अलै० के नक्शों कदम पर थे, वो भी रोज़े रखते थे और उनकी उम्मत भी रोज़ा रखती थी। यहूदियों ने अलग अलग ज़मानों में अलग-अलग वाक्यों की याद में बहुत से रोज़े बढ़ा लिये थे और ज्यादातर गम के रोज़े थे और इस गम को ज़ाहिर करने के लिये अपनी ज़ाहिरी सूरत को भी वो उदास और गमगीन बना लेते थे। हज़रत ईसा अलै० ने अपने ज़माने में गम के

इस बनावटी तरीके को मना कर दिया। शायद इसी प्रकार के किसी रोज़े का अवसर था कि कुछ यहूदियों ने आकर हज़रत ईसा अलै० पर एतराज़ किया कि तेरे शार्गिर्द व्याँ रोज़ा नहीं रखते, हज़रत ईसा अलै० ने इसके जवाब में फरमाया: "व्या बाराती जब दूल्हा उनके साथ है, रोज़े रख सकते हैं। जब तक दूल्हा उनके पास रोज़े नहीं रख सकते, पर वो दिन आयेगा जब दुल्हा उनसे जुदा कर दिया जाएगा, तब उन्हीं दिनों में रोज़ा रखेंगे।"

इस वाक्य में दुल्हा से मुराद स्वयं हज़रत ईसा अलै० की मुबारक जात और बाराती से मुराद उनकी पैरवी करने वाले हैं। ज़ाहिर है कि जब तक पैग्मबर अपनी उम्मत में मौजूद है, उम्मत को गम करने की ज़रूरत नहीं, इर्ही भागी से ज़ाहिर है कि हज़रत ईसा अलै० ने मूसा अलै० की शरीअत से फर्ज़ व मुस्तहब रोज़ों को नहीं बल्कि गम के कारण स्वयं के बनाए हुए रोज़ों को मना फरमाया। उन्होंने खुद अपनी पैरवी करने वालों को बिना दिखावे का और मुख़्लिसाना रोज़े रखने की नसीहत फरमायी है। इसीलिये आप अपने पैरोकारों को फरमाते हैं: "फिर जब तुम रोज़ा रखो दिखाओ करने वालों की तरह अपना चेहरा उदास न बनाओ" क्योंकि वो अपना मुंह बिगाढ़ते हैं कि लोगों के नज़दीक रोज़ादार ठहरें हैं, तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना बदला पा चुके हैं, पर जब तुम रोज़ा रखो, अपने सर में तेल लगाओ, ताकि तुम आदमी पर नहीं अपने बाप पर जो पोशीदा है रोज़ेदार ज़ाहिर है। और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझको उचित बदला दे।

एक दूसरे स्थान पर हज़रत ईसा अलै० से उनके शार्गिद पूछते हैं कि हम पलीद रुहों को किस तरह निकाल सकते हैं वो इसके जवाब में फरमाते हैं कि ये जिन्स सिवाए दुआ और रोज़ा के किसी तरह से नहीं निकल सकते।"

अरब वाले भी इस्लाम से पहले रोज़ा से कुछ न कुछ जुड़े हुए थे, मक्का के कुरैश जाहिलियत के दिनों में आशूरा (यानि दस मुहर्रम) को इसलिये रोज़ा रखते थे कि इस दिन खाना—ए—काबा पर नया गिलाफ डाला जाता था, मदीना में यहूद अपना आशूरा अलग मनाते थे, यानि वही अपनी सातवीं महीने की दसवीं तारीख को रोज़ा रखते थे।

उपरोक्त वर्णन से सिद्ध होता है कि कुरआन की ये आयत (अनुवाद: मुसलमानों तुम पर रोज़ा इस तरह लिखा गया जिस तहर तुमसे पहलों पर लिखा गया) किस हद तक एतिहासिक तथ्यों पर आधारित है।

## रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाएल

जिन पांच चीजों को दीन के अरकान और उसकी बुनियाद करार दिया गया है उनमें से एक रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना भी है जिसका बुनियादी मक्सद ये है कि दिलों में अल्लाह का खौफ़ और तक़्वा पैदा हो जाये ताकि अल्लाह की रज़ा को पाने की राह भी आसान हो जाये।

रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही बरकत वाला है। कुरआन व हदीस में तफ़सील से इसके फ़ायदे बयान किये गये हैं और इसमें रोज़ा रखने को फ़र्ज़ करार दिया गया है। अल्लाह तआला ने अपने कलाम पाक में इसकी फ़ज़ीलत बयान करते हुए इरशाद फ़रमाते हैं:

“रमज़ानुल मुबारक का महीना वही है जिसमें कुरआन नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिये हिदायत है और हक़ की राह पाने और हक़ और बातिल में फ़र्क़ करने की रोशन दलील है।” (सूरह बक़रा: 185)

रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ करार देते हुए इरशाद होता है:

“ऐ ईमान वालों! तुम पर उसी तरह रोज़ा फ़र्ज़ किया गया जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम पर हेज़गार हो जाओ” (सूरह बक़रा: 183)

यानि रोज़े से नफ़स को उसकी इच्छाओं से रोकने की आदत पड़ेगी तो फिर उसको उन इच्छाओं से जो शरीअत में हराम हैं रोक सकोगे और रोज़े से नफ़स की ताक़त भी बढ़ेगी। तो अब तुम संयमी हो जाओगे, रोज़े में बड़ी हिक्मत यही है कि सरकश नफ़स का सुधार हो और शरीअत के हुक्म जो नफ़स को बोझ लगाते हैं उनको पूरा करना आसान हो जाये, और परहेज़गार बन जाओ।

आगे इरशाद है: “सो तुममे जो कोई इस महीने को पाये, तो उसके रोज़े ज़रूर रखे।” (सूरह बक़रा: 185)

रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत और उस पर अल्लाह के इनाम के सिलसिले में बहुत सारी हदीसें मौजूद हैं। हम यहां कुछ हदीसों के ज़िक्र पर निर्भर करते हैं ताकि रमज़ानुल मुबारक की अज़मत, उसकी पाकी और उसमें इबादत का शौक और जौक पैदा हो सके।

आप स030 को रमज़ान का बहुत एहतिमाम रहा करता था। इसी एहतिमाम की वजह से आप स030 शाबान ही से इबादत में बदोत्तरी कर दिया करते थे।

रमज़ान की फ़ज़ीलत बयान करते हुए आप स030 एक हदीस में इरशाद फ़रमाया: “इन्हे आदम के हर अमल में दस गुना से लेकर सात सौ गुना तक इज़ाफ़ा किया जाता है, अल्लाह तआला फ़रमाता है कि इसमें सिर्फ़ रोज़ा अपवाद है इसलिये कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिये है और उसका बदला सिर्फ़ मैं दूंगा, बन्दा सिर्फ़ मेरे हुक्म को मानकर अपनी शहवत और खाने—पीने को छोड़ देता है रोज़ेदार को दो खुशियां हासिल होती है। एक खुशी इफ़तार के वक्त दूसरी खुशी अपने परवरदिगार से मुलाकात के वक्त और रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के यहां मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पाकीज़ा है और रोज़ा ढाल है जो शैतान के बार से बचाता है। और जब तुममे से किसी का रोज़ा हो तो उसे चाहिये कि कोई गन्दी बात न करे, न चीखे—चिल्लाये अगर कोई उसे बुरा—भला कहे या झगड़ा करे तो कह दे मैं रोज़ा हूं।” (बुख़ारी: 1904)

एक दूसरी हदीस में आप स030 का इरशाद है: “हज़रत अबू हुरैरा रज़िया से रिवायत है फ़रमाते हैं आंहज़रत स030 ने इरशाद फ़रमाया, “जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आ जाता है तो आसमान के सभी दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, और जहन्नम के दरवाज़े बन्द कर दिये जाते हैं, और शैतान को ज़ंजीरों में ज़कड़ दिया जाता है” (बुख़ारी: 1899 मुस्लिम: 2495)

हज़रत सहल बिन साद फ़रमाते हैं कि नबी करीम स030 ने इरशाद फ़रमाया, “जन्नत के आठ दरवाज़े हैं, इसमें एक दरवाज़े का नाम है ‘बाबुर रेयान’ (सैराब करने वाला गेट) है, इससे सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे” (बुख़ारी: 1896)

मतलब ये है कि जिस तरह बड़े—बड़े प्रोग्रामों में वी. आई.पी. लोगों के लिये अलग गेट बनाया जाता है, इसी तरह अल्लाह तआला रोज़ेदारों का विशेषसम्मान करेंगे।

एक और हदीस में आप स030 ने इरशाद फ़रमाया कि जो ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है तो उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं और जो ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद के साथ कथाम—ए—रमज़ान करे यानि तरावीह पढ़े उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं और जो ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद के साथ लैलतुल क़द्र में कथाम करे यानि नवाफ़िल वगैरह पढ़े उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। (बुख़ारी: 1901)

## રમજાનુલ મુબારક એક નई જાનવરી કી શુરૂઆત



મेरે દોસ્તો ઔર ભાઇયો! સબસે પહલે તો આપકો ઔર ખુદ અપને કો ભી મુબારક બાદ દેતા હું કી અલ્લાહ તાલા ને ફિર રમજાન કા ચાંદ દિખાયા ઔર ફિર રમજાન નસીબ ફરમાયા। કિંતને હમારે દોસ્ત હું જો શાયદ હમસે ભી બેહતર હોંગે (ઔર અલ્લાહ કે યાં કિસકા ક્યા સ્થાન હૈ અલ્લાહ હી જાનતા હૈ) રમજાન સે પહલે હી રુખ્સત હો ગયે। અગર ઉનકો કબ્ર મેં ઇસકા એહસાસ હો (અગર અલ્લાહ ચાહે) તો વો ઉસ પર અફ્સોસ કરતે હોંગે કી ઉનકો રમજાન નહીં મિલા।

**રમજાન કા કોઈ બદલ નહીં:** રમજાન કા કોઈ બદલ નહીં, સબ મહીને અલ્લાહ કે હું, બદલાવ આતા રહતા હૈ, લેકિન રમજાન કી વિશેષતા યે હૈ કી અલ્લાહ તાલા ને ફરમાયા: ‘રમજાન કા મહીના વો હૈ જિસમે કુરાન મજીદ નાજિલ હુંઓ જો લોગોં કા માર્ગદર્શક ઔર (જિસમે) હિદાયત કી ખુલી નિશાનિયાં હુંઓ ઔર જો (સચ વ ઝૂટ કો) અલગ અલગ કરને વાલા હૈ।’

**રમજાન કે લાભ વ શ્રેષ્ઠતા:** યે મામૂલી બાત નહીં હૈ કી હમ બરાબર જો ચીજુ દેખતે રહતે હુંઓ, અક્સર જિસ રાસ્તે સે ગુજરતે રહતે હુંઓ ઉસ પર ધ્યાન નહીં દેતે। જો ચીજુ બરાબર સુનતે રહતે હુંઓ ઉસ પર ધ્યાન નહીં દેતે હુંઓ યાં તક કી અજાન કે અર્થ કી ઓર હર બાર ધ્યાન નહીં જાતા। યે સાધારણ બાત નહીં જો અલ્લાહ તાલા ને ફરમાઈ કી રમજાન કા મહીના વો હૈ જિસમે કુરાન મજીદ નાજિલ કિયા ગયા। જો સબસે બડી ઇજ્જત દી જા સકતી થી કિસી સમય કો, કિસી જગહ કો વો યાં કી ઉસમે અલ્લાહ કા કલામ નાજિલ હુંઓ। જહાં તક જ્માનોં કા સમ્બન્ધ હુંઓ, મહીને ઔર જગહોં કા સંબંધ હૈ ઇસસે બઢકર કોઈ બડાઈ કી બાત નહીં હો સકતી જિસમે કુરાન મજીદ અલ્લાહ કા કલામ નાજિલ હુંઓ। એક તો ઇસ પર મુબારકબાદ કુબૂલ કીજિએ કી અલ્લાહ તાલા ને આપકો ફિર રમજાન નસીબ ફરમાયા યા જો કોતાહ્યાં હમસે હુઁઈ હુંઓ યા જો હમારે ખ્યાલ મેં આ

સકતી હું ખુદ અપના હિસાબ લેને સે જો કમી રહ ગયી હૈ પિછલે રમજાન મેં વો ઇસમે પૂરી કી જા સકતી હૈ।

બેશક મૌસમ સંખ્ત હૈ લેકિન ઇસકે બરાબર સવાબ ભી હૈ। ઇસ કઠોર મૌસમ મેં કોઈ આશ્રય નહીં અલ્લાહ તબારક વ તાલા રોજે કા સવાબ કુછ જ્યાદા હી દેં। ઇસમે રોજા રખને કા, ઔર મૌસમ કી કઠોરતા બર્દાશ્ત કરને ઔર ફિર ઉસકે સાથ રમજાન કે કામોં કો પૂરે કરને કા સવાબ પરિશ્રમ કે બરાબર હોતા હૈ।

**અલ્લાહ પર યકીન ઔર સવાબ કી લાલચ:** ઇસમે પહલી બાત જો યાદ કરને ઔર દિલ મેં બૈઠા લેને વાલી હૈ, વો યે કી અલ્લાહ કે રસૂલ સાઓ ને વિશેષ ઇબાદતો કે સંબંધ મેં ફરમાયા હૈ કી: ‘યાનિ જિસ ને રાત જાગી, શબ-એ-કદ્ર મેં અલ્લાહ કે વાદોં પર યકીન કરતે હુએ ઔર ઉસકે અજર વ સવાબ કી લાલચ મેં ઔર ઉસકે ખ્યાલ સે, ઉસકે પિછલે સબ ગુનાહ માફ હુંઓ’ ઔર ‘જિસને રમજાન કે રોજે રખે, અલ્લાહ કે વાદોં પર યકીન કરતે હુએ કી ઇસ મહીને કી યે શ્રેષ્ઠતા હૈ ઔર ઇસ મહીને મેં યે કામ કરને કા સવાબ હૈ ઔર અલ્લાહ કે યાં ઇસ મહીને કા યે દર્જા હૈ, ઔર અલ્લાહ ઔર અલ્લાહ કે રસૂલ કે લિએ ઇસ હદ તક મહબૂબ હૈ, ઔર અલ્લાહ કે સવાબ કી લાલચ મેં રોજા રખા ઔર ઉસી શૌક મેં કી અલ્લાહ સવાબ દે, ઔર કોઈ જજ્બા નહીં કી જૈસે રમજાન કી ગિનતી પૂરી હો જાએ, લોગ યે ન કહેં કી રોજા નહીં રખે, ઔર હમારા દિલ ભી સન્તુષ્ટ હોકેર રોજે રખ લે, લેકિન સવાબ કા રમજાન કી શ્રેષ્ઠતા વ મહત્વ કા ઔર રમજાન કે સવાબ કા ખ્યાલ નહીં કી વો હમારે લિએ દુશ્વાર હો, બહુત સે લોગ એસે હુંઓ જો આદત યા રિવાજ યા માહૌલ કે અસર સે યા ખાનદાની રિવાયત કી બિના પર રોજે રખતે હુંઓ’।

**રોજા હપ્તાર કે લિએ:** ઇસ સિલસિલે મેં એક અનુભવ હુંઓ કી એક બાર આજ સે લગભગ બીસ પચ્ચીસ તીસ સાલ પહલે કી બાત હૈ લખનંદ રેડિયો સ્ટેશન ને

हम से एक भाषण लिखवाया कि वो रमज़ान की पहली तारीख को प्रसारित किया जाएगा वो हमने लिखकर दे दिया। उसके बाद मुझे एक लम्बा सफर करना पड़ा। जिसमें पैशावर, कोएटा और कन्धार के रास्ते मैंने अफगानिस्तान के निकट तक का सफर किया जो एक दीनी आवश्यकता के कारण किया गया था। हम कोएटा में थे कि रमज़ान का चांद नज़र आया। एक फौजी अफसर ने या किसी रईस ने दावत की तो उसमें एक फौजी अफसर भी शामिल हुए, जो हिन्दुस्तान के थे वो रेडियो से तकरीर सुनकर आये थे (हमें तो उसका मौका नहीं था) उन्होंने कहा मौलाना हमने लखनऊ रेडियो स्टेशन से आपका भाषण सुना तो उसमें आपने रमज़ान के बहुत से फ़ाएदे बयान किये और उसकी विशेषता की चर्चा की लेकिन आपने एक बात का ज़िक्र नहीं किया रोज़ा खोलने में जो मज़ा आता है वो किसी चीज़ में नहीं आता। गर्भी का ज़माना है तो पानी पीने में और सर्दी का मौसम है तो इफ़तार करने में जो मज़ा आता है वो दुनिया की किसी नेमत में नहीं आता और मैं तो रोज़ा इसीलिए रखता हूँ। उन्होंने साफ़ कह दिया कि मैं तो रोज़ा इसीलिए रखता हूँ। इसी मजे के लिए कि रोज़ा रखकर जब अफतार करते तो वो मज़ा आता है जो दुनिया की किसी नेमत में, किसी बड़ी से बड़ी खुशक में खाने में, फल और मेवे में नहीं आता।

**रोज़ा आदत या इबादत:** ये बात बड़ी आज़माइश की है, सारी दुनिया के लिए और मुसलमानों के लिए भी इन्सान होने की हैसियत से कि आदत और इबादत इन दोनों चीजों में फ़र्क है। इनमें आपसी तमीज़ नहीं हो पाती तो अक्सर ऐसा होता है कि इबादत आदत बन जाती है और इसमें ख्याल नहीं होता कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं। यहां तक कि नमाज़ कई बार बिल्कुल आदत बन जाती है। नमाज़ पढ़ने की आदत पड़ गयी, समय हुआ तो पहुंच गये मगर कोई ख्याल नहीं कि हमारे एक एक क़दम का सवाब मिल रहा है और कितनी दूर जा रहे हैं और मस्जिद पहुंच रहे हैं फिर मस्जिद में इस नियत से पांव रखें और कहें: “अल्लाहुम्मा अफतहा लि अबवाबि रहमतिका” और सोचें कि हम अल्लाह के घर आ गये। रहमत व बरकत की जगह में आ गये।

बस वो जैसे एक ढली हुई चीज़ होती है इस तरह

धार्मिक जीवन भी ढल जाता है कि हर चीज़ अपनी जगह पर अपने समय पर होती है लेकिन तमीज़ नहीं होता, ख्याल नहीं होता।

**रोज़ा अल्लाह की रज़ा का ज़रिया:** पहली बात तो ये कि आप इसमें अपने ध्यान को स्थिर रखें कि रोज़ा न दिखाने के लिए, न रिवाज के लिए, और न किसी शर्म से कि लोग कहेंगे ये कैसे रोज़ा छोड़ते हैं और रोज़ा नहीं रखते हैं, बल्कि इसका ख्याल होना चाहिए।

और ऐसे ही शब-ए-कद्र के संबंध में आता है: “जो शब-ए-कद्र में इबादत करे अल्लाह पर यकीन करते हुए उसके वादों पर यकीन करते हुए और उसके सवाब की लालच में तो उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ हो जाएंगे।”

तो एक बात तो ये है कि पूरा ख्याल हो और ज़रा ध्यान को ताज़ा कर लिया जाए कि हमने ये रोज़ा अल्लाह की खुशी के लिए रखा है इसलिए रोज़ा फर्ज़ है।

**अल्लाह की रहमत का प्रतिविम्ब:** अल्लाह तआला ने रमज़ान में बड़ी विशेषता रखी हैं, इसमें बड़ी बरकतें हैं, इसमें अल्लाह तआला की रहमत जोश में आ जाती है, फैल जाती है, इसमें बड़े-बड़े गुनहगारों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं।

**तिलावत का मौसम:** फिर इसके बाद इस रोजे में आप अपने वक्त को जितना इबादत में लगाए रखेंगे, नफिलों में और उससे बढ़कर उसमें कुरआन शरीफ की तिलावत, आप की ताकत व सेहत के अनुसार, आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा होनी चाहिए अल्लाह के ऐसे भी बन्दे होते जो एक एक कुरआन मजीद रोज़ पढ़ लेते हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रह0 लगभग एक कुरआन मजीद रोज़ ख़त्म कर लेते थे। हमने भी कई रमज़ान इनके साथ गुज़ारे हैं, हम कई बार रमज़ान में हाजिर हुए हैं और बाकी ये कि इससे कम तो लोग करते ही थे, और फिर अदब के साथ और अल्लाह की नेमत समझ कर कि अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद की तिलावत करने की रमज़ान में हमें तौफीक दी। रमज़ान जो उसका महबूब महीना है उस महीने में कुरआन मजीद पढ़ने का जो सवाब है वो साधारण दिनों में नहीं है।

**इबादत व इत्ताउत का महीना:** दूसरी बात ये कि इसमें हमारा अधिकतर समय इबादत, अल्लाह के ज़िक्र, तौबा व इस्तग्फार, दुआ व मुनाजात, और कुरआन की तिलावत में गुज़रे। लैकिन ज्यादा बातचीत न करें, उसमें गीवत न हो और गीवत से बहुत बचना चाहिए। आम तौर पर और रमज़ान में ख़ास तौर पर, जैसे दोस्तों की बातें होती हैं, अपने घर में शहर का हाल बयान कर रहे हैं, मौसम का ज़िक्र कर रहे हैं या अपनी ज़िन्दगी के कुछ हालात बयान कर रहे हैं या बूझ रहे हैं या और कोई समय बिताने के लिए ऐसी तफरीह की बातें कर रहे हैं। जहां तक हो सके या कुरआन मजीद की तिलावत में समय बिताए, या फिर आराम में समय बिताया जाए, या मस्जिद में एतकाफ़ की नियत से रहा जाए। एक एतकाफ़ तो है आखिरी अश्रे का, लैकिन ये एतकाफ़ हर समय हो सकता है इस समय से लेकर अस्स तक के लिए एतिकाफ़ में हैं, और अस्स से लेकर मगरिब तक एतिकाफ़ हैं ये छोटा एतकाफ़ होता है ये भी हो सकता है।

**बन्दों के अधिकारों की चिन्ता:** और फिर उसके बाद एक बात करने की ये है कि जो बन्दों के हक़ हमारे ज़िम्मे हैं उनको सोच ले और इरादा कर ले कि अब उनको अदा करेंगे, जिसका जो हक़ है उसको दे देंगे और हमसे जो लापरवाहियां हुई हैं उनसे बचेंगे और तौबा व इस्तग्फार भी करेंगे।

**रमज़ान नई ज़िन्दगी की शुरुआत:** इस रमज़ान से आगे की ज़िन्दगी का नया नक्शा बनाएंगे कि एक ज़िन्दगी शुरु होती है विलादत से, एक ज़िन्दगी शुरु होती है जवानी से, एक ज़िन्दगी शुरु होती है किसी मदरसे से तालीम हासिल करके, एक ज़िन्दगी शुरु होती है हज़ से, और एक ज़िन्दगी शुरु होती है रमज़ान से भी। आप ये इरादा करें कि अब इस रमज़ान से नमाज़ों की पाबन्दी इससे अधिक करेंगे जितना करते थे, इससे पहले तो जमाअत छूट जाती थी, कभी देर हो जाती थी, कभी सो जाते थे, अब जमाअत का और एहतमाम करेंगे, ये इरादा आप रमज़ान में कीजिए।

**अधिकारों में छूट व पूर्ति:** और ऐसे में जो शर्ई अधिकार आप पर वाजिब होते हैं विरासत के हैं, जाएदाद के हैं, और साझे के व्यापार के हैं। उनका भी इरादा इसी रमज़ान में कीजिए कि हम इन्सा अल्लाह वो अपने ज़िम्मे नहीं रखेंगे, उनको अदा करेंगे

**फ़दने वालों और उलमा और नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलाना:** और ये इरादा भी कीजिए कि हम इस रमज़ान के बाद ज्यादा से ज्यादा दीनी जानकारी हासिल करेंगे, दीनी किताबें पढ़ेंगे, दीनी सोहबत में बैठेंगे, तब्लीग में जाएंगे, या उलमा की मजलिस में बैठेंगे या अल्लाह के नेक बन्दों की ज़ियारत के लिए जाएंगे।

**रमज़ान इन्क़लाब का महीना:** ये सब इरादे इस रमज़ान में कीजिए तब ये रमज़ान आप की ज़िन्दगी में इन्क़लाब लायेगा, इससे एक नई ज़िन्दगी शुरू होगी और रमज़ान से नई ज़िन्दगी शुरू होनी चाहिए।

**सही नियत और अमल में इस्लाम:** और इतना ही ज़रूरी है कि आप अपनी नियत सही कर लें और ईमान व सवाब की उम्मीद के अनुसार जो किया गया है वो अल्लाह के वादों पर यकीन करते हुए और उसके सवाब की लालच में हम रोज़ा रख रहे हैं और उसको ज़रा ज़हन में ताज़ा कर लीजिए तो इसका सवाब बहुत होगा।

**आटोमेटिक वजू और मशीनी नमाज़:** हज़रत मौलाना मुहम्मद इलियास साहब रहो फ़रमाते थे कि लोग वजू करते हैं और उनको ख्याल नहीं होता, हालांकि हदीस में आता है कि जब बन्दा हाथ धोता है तो हाथ से जो कुछ गुनाह हुए हैं, और जो कोताहियां हुई हैं, और जो सुस्तिया हुई हैं और जो छोटे गुनाह हुए हैं सब माफ़ हो जाते हैं मुँह पर पानी डालता है तो आंख से जो कोताहिया हुई है, और जो ज़बान से हुई है वो सब माफ़ हो जाती है इसका किसी को ख्याल ही नहीं होता, बस वो जैसे किसी चीज़ का मशीनी आटोमेटिक तरीका होता है वैसे हमारा वजू भी आटोमेटिक हो गया है और अल्लाह माफ़ करे बहुत से लोगों की नमाज़ें भी मशीनी हो गई हैं। आए और खड़े हुए और अल्लाह अकबर कहा, कुछ ख्याल नहीं कि हम किसके सामने खड़े हैं? ये कौन सी नमाज़ है? इसका क्या सवाब है? फिर उसमें जो पढ़ा जाता है अगर तन्हा पढ़ रहा है तो उस पर गौर करे अगर किसी नमाज़ में इमाम के पीछे है तो किसात पर गौर करे।

ये सब चीज़े सांचे में ढलकर बिल्कुल स्वभाव व आदत हो गयी हैं। इन सब चीज़ों में इसी रमज़ान में आपकी ज़िन्दगी में कोई अच्छा बदलाव या तरक्की हो जाती है।

## રમજાનુલ મુબારક કી આમદ



રમજાન કી મુબારક આમદ આમદ હૈ। કિતને ખુશનસીબ હૈં વો ભાઈ ઔર બહને જિનકી જિન્દગી મેં મુબારક મહીના ફિર આયા હૈ, ઔર ઉનમેં સબસે જ્યાદા ખુશનસીબ વો હૈં જો ઇસ મુબારક મહીને કી કદ્ર વ કીમત પહ્યાને ઔર ઇસકા પૂરા હક અદા કરેં। યે મુબારક મહીના દેખને મેં બારહ મહીનોં મેં સે એક મહીના હૈ લેકિન ખુદા ને ઇસમેં જો બરકતોં ઔર રહમતોં રહી હૈં વો કિસી ઔર મહીને કો હાસિલ નહીં। ઇસકી કદ્ર વ કીમત કા અન્દાજા રસૂલુલ્લાહ સ્વામી રહો કે ઇરશાદાત ઔર આપ સ્વામી રહો કે તરીકોં સે કીજિએ।

હમારે આપકે આકા હજરત મુહુમ્મદ સ્વામી રહો શાબાન હી કે મહીને સે રમજાનુલ મુબારક કી તૈયારી ફરમાયા કરતે થે ઔર શાબાન કા અધિકતર હિસ્સા રોજે મેં ગુજારતે ઔર જબ રમજાન કરીબ આતા તો રમજાન સે સંબંધિત હિદાયત દેતે, ઇસકે ફાએદે બતાતે ઔર લોગોં કો રમજાનુલ મુબારક મેં ઇબાદત ઔર મેહનત, ત્યાગ, સદકા વ ખૈરાત, ઇસ્લામાન વ તિલાવત કી તાકીદ ઔર ઇસ માહ મેં ગૃહફલત ઔર કોતાહી પર સખ્ત ગુસ્સા ફરમાતે। હજરત ઉબાదા બિન સામિત સે રિવાયત હૈ કે એક બાર હુજૂર સ્વામી રહો ને રમજાનુલ મુબારક કે કરીબ ફરમાયા કિ:

“રમજાન કા મહીના આ ગયા હૈ જો બડી બરકત વાળા હૈ। અલ્લાહ ઇસમેં તુમ્હારી તરફ અધિક ધ્યાન દેતા હૈ, અપની રહમતોં સે નવાજીતા હૈ, ગુનાહોં કો માફ કરતા હૈ, દુઆ કુબૂલ કરતા હૈ ઔર તુમ્હારે એક દૂસરે સે બઢકર નેકી કરને કો દેખતા હૈ ઔર ફરિશ્યોં મેં ફખ્ર સે બયાન કરતા હૈ, બસ અલ્લાહ કો અપની નેકી દિખાઓ। બદનસીબ હૈ વો જો ઇસ મહીને મેં ભી અલ્લાહ કી રહમત સે મહરૂમ રહ જાએ।”

દૂસરી જગહ ઇરશાદ ફરમાયા! મેરી ઉમ્મત કો રમજાન કે બારે મેં પાંચ ખાસ નેમતોં સે નવાજી ગયા હૈ જિનસે પહ્લી ઉમ્મતે મહરૂમ થીં।

1. ઉનકે મુંહ કી બૂ જો રોજે કી વજહ સે પૈદા હો જાતી હૈ, અલ્લાહ કે નજીદીક મુશ્ક સે જ્યાદા પસન્દીદા હૈ।

2. ઉનકે લિયે દરિયાં કી મછલિયાં તક દુઆ કરતી હૈં।

3. જન્ત ઉનકે લિયે હર રોજ સજાઈ જાતી હૈ ઔર અલ્લાહ ફરમાતા હૈ કે કરીબ હૈ કે મેરે બન્દે અપને ઊપર સે પરેશાનિયોં કા બોઝી ઉતાર કર તેરે અન્દર આ જાંએ।

4. સરકશ શૈતાન કૈદ કર દિયે જાતે હૈં।

5. રમજાન કી આખિરી રાત મેં રોજા દારોં કી મગફિરત કર દી જાતી હૈ।

આપ કે અલાવા સહાબા કિરામ રજિઓ ઔર સહાબી બીવિયોં રજિઓ કા હાલ રમજાન આતે હી કુછ સે કુછ હો જાતા ઔર વો હજરત રાત ભર ઇબાદત કરતે, દિન કો રોજે રખતે, ઔર કેવલ ખાને પીને સે બચતે બલિક હર છોટે સે છોટે ગુનાહ સે ભી અપને કો બચાતે, અપની નિગાહોં કી ઔર અપની જીબાન કી હિફાજત કરતે યાંત્ર તક કે સહાબી બીવિયાં રજિઓ અપને બચ્ચોં ઔર બચ્ચ્યોં કો રોજા રખને કી આદત ડલવાતે। રમજાનુલ મુબારક કા મૌસુમ બહાર બન કર આતા। રમજાન ઉનકે ઘરોં મેં આતા તો ખુશી કી શહનાઇયાં બજત્તોં। ચેહરોં પર રૌનક આ જાતી। દિન હો યા રાત હર ઘર સે કુરાન મજીદ પઢને કી આવાજ આતી। કહને કા અર્થ યે કે ગરીબ વ અમીર, જાહિલ વ આમિલ, મર્દ વ ઔરત, છોટા વ બડા, હર એક મસ્ત ઔર મગન નજર આતા ઔર જબ રમજાન રૂખ્સસ્ત હો જાતા તો યે અપને ગમજદા દિલ ઔર નમ આંખો સે વિદા કરતે। દુઆ કરતે કી ખુદાયા હમારી જિન્દગી મેં યે દિન ફિર નસીબ હોણે।

યે તો હાલ થા ઉન બુજુગોં કા લેકિન અબ જરા અપની હાલત કા નિરીક્ષણ કીજિએ કે આજ કલ જબ રમજાનુલ મુબારક આતા હૈ તો હમારા ક્યા હાલ હોતા હૈ। ન વો ઉમંગો હોતી હૈન,

(શેષ પેજ 15 પર)

## ख़ैर व बरकत का महीना

रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़ैर व बरकत का महीना है। इमान व इबादत का महीना है। मुसलमानों को मुसलमान बनकर और अपने आमाल को अल्लाह की रज़ा के अनुसार ढालने की कोशिश का महीना है। दौलतमन्द को अपनी दौलत के ज़रिये खुदा को राजी व खुश करने का और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फ़िज़ा को नूर वाला बना देता है। ईमान वालों में खुशी की लहर दौड़ा देता है। मुसलमानों की सुबह शाम को अजीब रौनक से रौनक वाला बना देता है। बड़े उम्र के लोग इख्लास के साथ नेकी करते हैं। छोटी उम्र के लोग इस माह की लज़्ज़त भरी इफ्तारी से आनन्द प्राप्त करते हैं। इसकी फ़ज़ की सहरियां या उसकी सूरज ढूबने के बाद की इफ्तारियां या उसकी रातों का जिक्र व इबादत, उसके दिनों की तिलावत, सब इसकी रौनक को दो गुना कर देते हैं। फिर उन सब बातों पर हासिल होने वाला सवाब मोमिन के दिल को खुश कर देता है क्योंकि अल्लाह तआला की तरफ से उस पर ख़ास सवाब देने का वादा है।

रमज़ान का रोज़ा अस्ल में विभिन्न प्रकार के आमालों का संग्रह है। इसमें मुसलमान को अपने परवरदिगार की रज़ा की तलब में अपने नफ़्स को मारना पड़ता है। इसमें आखिरत के सवाब के लिये अपने माल को ख़र्च करने, अपने परवरदिगार की याद को दिल में जगाने के लिये नमाज व तिलावत का ख़ास मौका मिलता है। अपनी ज़बान को खूबी और नेकी का पाबन्द बनाने का माहौल मिलता है। अपने वक्त को साफ़—सुधरे और पाकीज़ा काम के साथ जोड़ने का साधन मिलता है और नेक अमल की तौफीक होती है।

रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह तआला के हुक्म से शैतान कैद कर दिये जाते हैं। शैतान जिनका काम बस ये है कि वो इन्सानों को अच्छे कामों से रोकें और बुरे

कामों में लगाएं। इस माह में अपने इस ज़ालिमाना और गन्दे काम से रोक दिया जाता है। इसके नतीजे में नेकी करने वालों को नेकी करने में आसानी होती है और बुराई अपनाने वालों को बुराई की ओर जाने में उतना आकर्षण नहीं बाकी रहता जितना गैर रमज़ान में होता है।

हर इन्सान नफ़्स व नफिसयात से भी जुड़ा हुआ है। इन्सान का नफ़्स आनन्द प्राप्त करने वाला और राहत तलब होता है। इसमें लालच का भाव भी होता है और स्वार्थ का भाव भी होता है। ज़िन्दगी की बहुत सी बुराईयों को अपनाने में इन्सान का नफ़्स साधन बनता है। इसमें शैतान के प्रयास पर ही आधार नहीं। शैतान इसमें केवल बढ़ावा देता है और ताक़त पहुंचाता है और दूसरी बड़ी बुराईयों की ओर प्रेरित करता है और उनमें सहायता करता है। रमज़ान में जो बुराईयां की जाती हैं वो उसके लिये कम होती हैं कि वो केवल नफ़्स के असर से होती हैं। उनमें शैतान का सहारा नहीं मिलता।

लेकिन इन्सानी नफ़्स कुछ इन्सानों में और कुछ अवसरों पर इतनी बड़ी और मोटी हो जाती है कि उसको अपने बुरे कामों के लिये शैतान के सहारे की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं होती। ये नफ़्स रमज़ान के महीने में भी अपना काम कर सकती है और करती है। लेकिन अल्लाह तआला ने रोज़े में ये असर भी रखा है कि वो नफ़्स को कमज़ोर कर दे और उसको उसके बुरे प्रभाव से रोके और उसके असर को कम कर दे। क्योंकि रोज़ा अस्ल में नफ़्स के ख़राब असर को तोड़ने का अमल है। इन्सान का पेट जब ख़ाली होता है और प्यास का एहसास होता है तो बुराईयों की तरफ उसका रुझान कमज़ोर पड़ जाता है। इन्सान में भरे पेट के साथ गलत कामों की ओर जो आकर्षण होता है वो ख़ाली पेट में और इन्सानी इच्छा के पूरे न होने के मौके पर नहीं होता है। इसलिये हुजूर स०अ० ने ऐसे व्यक्ति को जिसकी नफ़्सानी इच्छा ज्यादा होती हो लेकिन उसके पास

पारिवारिक जीवन अपनाने की आर्थिक सामर्थ्य न हो, रोज़े रखने की ताकीद फरमाई ताकि वो अपनी ख्वाहिश पर गुल्बा पा सके उसकी ख़ातिर ग़लत काम में लिप्त न हो जाए। रोज़े की बनावट अल्लाह तआला ने ऐसी बनायी है कि वो नेकियों की राह बनाता है और गुनाहों की राह से रोकता है। लेकिन रोज़े का असर और उसकी नेक फ़िज़ा उसी समय अपना काम करती हैं जब रोज़े को इसके आदाब और उसकी तय की गयी एहतियातों के साथ रखा जाए। वो खुदा के लिये हो। अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति के लिये न हो। रोज़े में जो बातें मना की गयीं हैं उनसे पूरा परहेज़ हो और रोज़े की फ़िज़ा को कायम करने के लिये जो काम बताये गये हैं वो अपनाएं जाएं।

रोज़ा यूं ज़ाहिर में फ़ज़ के समय से सूरज झूबने के समय तक खाने-पीने और हमबिस्तरी से बचने का नाम है। लेकिन इसके साथ-साथ झूठ से, ग़ीबत से और ज़बान व हाथ के दूसरे गुनाहों से पूरे परहेज़ का नाम भी है। इसलिये हदीस शरीफ़ में आया कि किसी ने रोज़ा रखा और खाने से परहेज़ किया लेकिन ग़ीबत, झूठ जैसे कानों से परहेज़ नहीं किया तो उसको क्या ज़रूरत थी कि वो भूखा प्यासा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे व्यक्ति का रोज़ा बेकार गया। इसलिये कई फ़िक़ के अइम्मा के यहां झूठ बोलने और ग़ीबत करने से भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन सब अइम्मा के नज़दीक ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि रोज़े का ज़ाहिर अमल तो अन्जाम पा जाता है क्योंकि अस्त्ल शर्त पूरी हो गयी इसका सवाब जाता रहता है। क्योंकि इसके आदाब का लिहाज़ नहीं किया। रोज़ा को अल्लाह तआला ने नेकियों का मौसम बनाया है इसमें जिस कद्र नेकी करने की सूरतें बनती हैं दूसरी इबादतों में मुश्किल से बनती हैं। इसमें तो एक खुद रोज़ा बड़ा अमल है फिर इसमें नमाजें हैं, कुरआन मजीद की तिलावत है, ग़रीबों की मदद है, और बिला कैद हर समय खाने पीने से रोक है और तक़्वा की कैफियत अपनाने का अवसर है।

फिर और उसमें नेकी करने का सवाब सत्तर गुना कर दिया जाता है। गैर रमज़ान में की जाने वाली एक नेकी और रमज़ान में की जाने वाली एक नेकी के सवाब में एक और सत्तर का फ़र्क़ है।

फिर रमज़ान में रोज़े रखना सभी मुसलमानों पर एक साथ फ़र्ज़ किया गया है इसलिये मुसलमानों के समाज में इस पूरे समय में हर ओर एक ही फ़िज़ा बन जाती है और वो फ़िज़ा है नेकी की, हमदर्दी की, नर्मी की, और आखिरत की चाह की, एहतियात व इबादत की फ़िज़ा होती है।

इसलिये रमज़ान में उन लोगों को जिनको रमज़ान में बीमारी या सफ़र के कारण रोज़ा छोड़ने की आज्ञा दी गयी है उनको भी ये मना है कि वो जन साधारण के बीच न खाएं। उनको आदेश है कि सबसे अलग जगह ऐसा करें ताकि रोज़े का बातावरण प्रभावित न हो।

रमज़ान अस्त्ल में नफ़स को काबू करने और उसकी बुरी ताकत को कमज़ोर करने की एक वार्षिक प्रशिक्षण व्यवस्था है। इस व्यवस्था से हर मुसलमान को साल में एक बार गुज़रना पड़ता है। आवश्यकता है कि जिस प्रकार हम ज़िन्दगी की ज़रूरतों के लिये किसी भी वार्षिक प्रशिक्षण कैम्प या प्रशिक्षण स्थल में समय ध्यान के साथ बिताते हैं रमज़ान के इस निजाम में भी इसके आदाब और आदेशों के अनुसार समय बिताएं ताकि हम इस सालाना प्रशिक्षण व्यवस्था से पूरी तरह कामयाब होकर और एक नेक और सच्चे मुसलमान बन कर निकला करें।

रोज़े के लाभ और अल्लाह के निकट इसके महत्व की ये बड़ी दलील है कि अल्लाह ने दूसरे आमाल के मुकाबले में इससे अपनी पसन्द अधिक प्रकट की है।

(हज़रत अबू हुरैरा रज़ियो से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लाल्लाहू रज़ूल्लाहू सलामू ने (रोज़े की फ़ज़ीलत और कद्र व कीमत बयान करते हुए) इरशाद फ़रमाया कि आदमी के हर अच्छे अमल का सवाब दस गुने से सात सौ गुने तक बढ़ जाता है। मगर अल्लाह तआला का इरशाद है कि: रोज़ा इस आम कानून से ऊपर है, वो बन्दे की तरफ से खास मेरे लिये एक तोहफ़ा है, और मैं ही (जिस तरह चाहूंगा) इसका अज़ व सवाब दूंगा। मेरा बन्दा मेरी रज़ा के लिये नफ़स की ख्वाहिश और अपना खाना पीना छोड़ देता है (तो मैं खुद ही अपनी मर्जी के अनुसार उसकी इस कुर्बानी और नफ़स को मारने का सिला दूंगा)

अल्लाह तआला हम सबको रमज़ान और उसके रोज़ों की कद्र की तौफीक दे। आमीन।

## कुरआन कथीय थोर अध्यात्म शुलारक



वो रमज़ान का बरकतों वाला महीना था और शब—ए—क़द्र थी जब अल्लाह रब्बुल इज़्जत का कलाम बड़ी आन—बान के साथ लौह—ए—महफूज़ से आसमान व दुनिया में उतारा गया और उस कलाम के नूर से सारा आसमान जगमगा उठा। वो भी रमज़ा नहीं का मुबारक महीना था जब अल्लाह तआला के नूर से ये ज़मीन भर गयी थी। सदियों से महरूम इन्सान पर अल्लाह के नूर की बारिश होने लगी। रहमत—ए—आलम, जगनायक हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा स0अ0 के मुबारक सर पर नबूवत व रिसालत का ताज रखा गया। ये ताज आप स0अ0 की हस्ती पर ऐसा सजा कि कायनात के खालिक ने उस पर नबूवत व रिसालत के खात्मे का फैसला फरमा दिया।

कुरआन करीम और रमजानुल मुबारक के बीच ऐसा हसीन संबंध है कि इस मुबारक महीने के बारे में सोचने ही से अल्लाह के कलाम के नामे और ज़मज़मे कानों में रस घोलने लगते हैं। रमज़ान की रात में नफिलें पढ़ने को एक मुस्तकिल इबादत घोषित करके अल्लाह के रसूल स0अ0 ने कुरआन के साथ इस महीने को हमेशा के लिये जोड़ दिया। जिब्रील—ए—अमीन सबसे पहले इस मुबारक महीने में कुरआन की सौगत लेकर आये थे। फिर हर रमज़ान में खासकर कुरआन करीम सुनने—सुनाने के लिये तश्रीफ लाने का नियम बन गया।

कुरआन करीम के ज़रिये ये बात साफ हो जाती है। इश्शाद है:

“अल्लाह और उसकी आयतों के बाद अब ये किस बात पर ईमान लायेंगे।”

यानि जब कुरआन ही पर ईमान न ला सके तो अब क्या खाक ईमान लायेंगे! कुछ इसी तरह रमज़ान से भी अल्लाह की चर्चा सामर्पण हो जाती है। हज़रत जिब्रील अलै0 ने फरमाया, “वो शख्स हलाक हो जाये जिसे रमज़ान का महीना मिला फिर भी उसकी मग़फिरत न हो

सकी।” इस बदूआ पर रसूलुल्लाह स0अ0 ने ‘आमीन’ फरमायी। यानि रहमतों और बरकतों के इस महीने में भी अगर कोई बदनसीब मग़फिरत से महरूम रहा तो फिर कब मग़फिरत का मुस्तहिक (लायक) हो सकता है?!

कुरआन करीम मुकम्मल फ़ज़ल व करम है। इसी कलाम से इन्सानियत का दामन मुंह मांगी मुरादों से भर दिया गया। इसी तरह रमज़ान का मुबारक महीना भी सखावत (दान) के रास्ते खोलता है। रसूलुल्लाह स0अ0 वैसे भी दुनिया जहाँ के सखी थे। इस पर अगर रमज़ान मुबाकर का महीना हो तो सखावत की कैफियत ही कुछ और होती है। राती (हव्वीस की रिवायत करने वाला) के शब्द हैं: “बारिश से पहले जो ठन्डी—ठन्डी सुकून बख्शा हवाएं चलती हैं और पूरे वातावरण पर इस तरह छा जाती हैं कि कोई व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहता, आप की सखावत हवाओं से भी बढ़कर पूरी फ़िज़ा पर छायी रहती, खासतौर पर इस मुबारक महीने में जब हज़रत जिब्रील अलै0 से मुलाकात का सिलसिला रहता तो फिर सखावत व फैथ्याज़ी की कोई इन्तिहा न रहती।” अल्लाह रब्बुल इज़्जत की तरफ से इस मुबारक महीने में फ़ज़ल करम के जो दरवाज़े आप स0अ0 हम पर खोल गये थे आप स0अ0 की बख्शाश व सखावत अल्लाह के इसी इनाम का अमली नमूना थी।

कुरआन करीम सीधी राह पर डट जाने का जो हौसला पैदा करता है और हर तरह के हालात का सामना करने की जुरूत बख्शता है: “आप काफिरों का कहना न मानिये और कुरआन के ज़रिये उनसे निहायत ज़बरदस्त मुकाबला कीजिये।”

इसी तरह रमज़ान का महीना भी सीधी राह के अर्थ से अमली तौर पर जोड़ता है। हव्वीस पाक में इस मुबारक महीने को “शहरुस्सब्र” (सब्र का महीना) कहा गया है।

कुरआन करीम की तिलावत दिलों में नर्मी और

कोमलता पैदा करती है। कभी—कभी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन बन्दों की तारीफ़ फरमायी है जो उसके कलाम को सुनकर रोते हैं और सजदों में गिर पड़ते हैं: “अल्लाह के ये हिदायत पाये हुए बन्दे वो हैं जिनके सामने रहमान की आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो रोते हुए अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाते हैं।”

इसी तरह रमज़ान के रोज़े भी भूख व प्यास का एहसास दिलाकर उन नादारों के लिये दिलों में रफ्त पैदा करते हैं जो ज़िन्दगी की ज़रूरतों तक से महरूम हैं।

कुरआन के नुजूल (अवतरित) होने के जमाने में भविष्यवाणी समाप्त हो गयी थीं। किसी शैतान की मजाल नहीं थी कि कोई ख़बर चोरी छिपे उचक ले। अल्लाह तआला का इरशाद है: “शैतान को सुनने ही से अलग—थलग कर दिया गया।” इसी तरह रमज़ान के महीने में भी शैतान कैद कर दिये जाते हैं और नेकी की राह और आसान कर दी जाती है।

कलाम पाक की तिलावत और दुआ में किस कदर गहरा संबंध है ये हर कोई जानता है। नबी करीम स0अ0 खासकर तहज्जुद की नमाज़ में तिलावत के दौरान जहां रहमत की आयत आती वहां अल्लाह से रहमत की दुआ फरमाते, जहां अज़ाब की आयत आ जाती वहां अल्लाह के अज़ाब से पनाह चाहते थे, बिल्कुल इसी तरह रमज़ान के रोज़ों और दुआ की कुबूलियत में बड़ा मज़बूत संबंध है। अल्लाह के रसूल स0अ0 का इरशाद है: “रोज़ेदार की दुआ रद नहीं होती।” मुबारक महीना बिल्कुल करीब है। ये “शहरुस्सियाम” के साथ “शहर—ए—कुरआन” भी है। नबी करीम स0अ0 का इरशाद है: “रोज़ा और कुरआन बन्दे की सिफारिश करेंगे।” खुशनसीब हैं वो जो रोज़ों से तक्वे की बुलन्दियां तय करते हैं और कलाम पाक की तिलावत से अल्लाह की मुहब्बत में तरक्की करते हैं। यही लोग रोज़े व कुरआन की सिफारिश के मुस्तहिक होंगे।

### शेष: रमज़ानुल मुबारक की आमद

न वो इबादत का जज्बा, न वो निगाहों व ज़बान की हिफाज़त, न तिलावत का शौक, न अस्तग़फ़ार की कसरत, हम मुसलमान भाइयों और बहनों में ऐसे बहुत मिलेंगे जो रोज़ा तक नहीं रखते और खुदा के हुक्म को पीठ पीछे डाल कर आज़ादी से

ज़िन्दगी गुज़ारते हैं। रमज़ान आता है और गुज़र जाता है और अल्लाह के उन बन्दों को पता तक नहीं चलता कि वो किस मुबारक महीने की छत्रछाया में हैं, बल्कि रमज़ान के आर्ने से उनको तकलीफ़ और उसके जाने से खूशी महसूस करते हैं, न तो रोज़ा रखते हैं न अफ़सोस होता है। मुझको अपने बचपन का एक किस्सा याद है कि मेरे यहां एक मुसलमान औरत आयी, वो रोज़े से न थी, बीबियों ने उससे कहा कि तुम रोज़ा क्यों नहीं रखती, तो उसने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया, “मैं रोज़ा क्यूँ रखूँ क्या मेरे यहां खाने को नहीं” ये जुम्ला कितना कठोर और गुस्ताखी भरा है। खुदा इससे हमको बचाए।

एक ज़माना था कि रोज़ा रखने वाले और न रखने वाले सभी लोग रमज़ान की इज्जत करते थे। बाज़ारों में खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती थीं। दुकानों पर पर्द पड़ जाते थे, कोई बीमार और विकलाग आदमी भी सबके सामने न खाता था। हर आने जाने वाला देख कर जानता था कि ये रमज़ान का महीना है। गैर मुस्लिम भी परहेज़ करते थे। लेकिन आज दिन—प्रतिदिन ये सम्मान समाप्त हो रहा है। आज खुद मुसलमान धड़ल्ले से खाता पीता है और अपने मज़हब और अपने दीन का मज़ाक उड़ाता है। बाज़ारों में मुसलमान मर्द और औरतें खाने पीने से नहीं हिचकिचातीं। इन आखों ने खुद रोज़े के दिनों में मुसलमान बुरका पोशा औरतों को खाते पीते देखा है। इससे बढ़कर खुदा के हुक्म के साथ और क्या होगा और इससे बढ़कर बेइज़ती की बात और क्या होगी। लेकिन इसके साथ—साथ मुसलमानों की संख्या भी माशा अल्लाह कम नहीं जो रमज़ान का एहतराम करते हैं, रोज़े रखते हैं और रातों को जागते हैं और अपनी बख़िराश का सामान करते हैं। रमज़ान के आते ही मरिज़दों में रैनक बढ़ जाती है। नेकियों की ओर रुझान हो जाता है। नमाजियों की संख्या बढ़ जाती है लेकिन रोज़ा दारों और शब बेदारी करने वालों में भी ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं जो रमज़ान मुबारक के पूरे हुक्म को अदा करें और तमाम आदाव का ख्याल करते हों। इससे ग़ाफ़िल न होना चाहिये कि रोज़ा केवल इसका नाम नहीं कि आप सुबह सादिक से लेकर सूरज ढूबने तक न खाए न पियें। बल्कि रोज़े में उन दोनों चीजों के अलावा और बहुत सी चीजों से परहेज़ किया जाता है।

## रमज़ानुल मुबारक

# ईमान की रमज़ानुल खूटी का महीना

इस्लाम में जिस प्रकार शरीअत के कामों की तफसील और उनके हिस्सों की हक बन्दी नज़र आती है किसी दूसरे धर्म में इसका उदाहरण मिलना भी मुश्किल है। इसके दो आधारभूत कारण हैं: एक तो ये की उन हुक्मों पर अमल करना जो उस आखिरी दीन में हुआ है:

“आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया और तुम पर अपनी नेमत भी पूरी कर दी।” और इस उम्मत को इस ख़ासियत की खुशख़बरी मिली है और उसका दूसरा अस्त्व कारण ये है कि दूसरे सभी धर्म न आसमानी किताबों की रक्षा कर सके और न ही अपने नवियों की शिक्षा को सुरक्षित कर सके। एक बड़े ईसाई विद्वान ने स्वीकार किया है कि हज़रत ईसा अलै० की शिक्षाएं व कथन अगर एकत्रित किये जाएं तो अख़बार के ढेढ़ कालम से आगे नहीं बढ़ सकते।

अल्लाह तआला ने इस दीन को आखिरी दीन और शरीअत को आखिरी शरीअत करार दिया है और आखिरी नबी स०अ० के वास्ते से उसको एक ऐसे हसीन गुलदस्ते की तरह सजा दिया है कि इसमें न किसी फूल को हटाने की गुंजाइश है न रखने की, जिसका जो हिस्सा तय कर दिया वो आखिरी है और उसमें किसी को भी बदलाव की गुंजाइश नहीं।

फर्ज कामों का इस्लाम में जो स्थान है वो सबसे ऊचा है, जब तक कि आखिरी रुकावट पेश न आ जाए उस समय तक उनको छोड़ने की आज्ञा नहीं, फर्ज नमाज के बारे में हदीस में आता है कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो। दूसरे फर्जों के बारे में भी इस्लाम की शिक्षा यही है। उनके लिए विशेष तौर पर पहले से व्यवस्था करने का आदेश है और क्यों न हो,

उन फर्जों की हैसियत उस गिज़ा (खाद्य पदार्थ) की है जिसके बगैर रुह ज़िन्दा नहीं रह सकती। मानव प्रकृति के अनुसार गिज़ा जितनी अधिक लाभदायक, स्वाटिष्ठ, और ताक़तवर होती है शरीर को उसी के अनुसार क्षमता प्राप्त होती है। यही हाल इस रुहानी गिज़ा का है, इसको बेहतर बनाने की जितनी पहले से चिन्ता की जाती है, रुह को उसी के अनुसार क्षमता व निर्बलता प्राप्त होती है।

आप स०अ० रजब के महीने का चांद देखकर ये दुआ ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाते थे:

“ऐ अल्लाह! रजब शाबान में बरकत अता फरमा और रमज़ान तक हम को पहुंचा दे।”

रमज़ानुल मुबारक के इन फर्ज़ रोज़ों के महत्व का अन्दाज़ा इस हदीस से हो सकता है कि एक दिन का रोज़ा भी बिना किसी शर्ई कारण के छोड़ दिया गया तो बाद में उसकी क़ज़ा तो हो जाएगी लेकिन पूर्ति नहीं हो सकती चाहे वो ज़िन्दगी भर रोज़ा रखता रहे। इस्लाम में फर्जों का विशेष महत्व है। उनकी हैसियत केवल एक ड्यूटी की नहीं है बल्कि वो अल्लाह की रज़ा का सबसे बड़ा ज़रिया है। हदीस में आता है: “अपनी रज़ा देने के लिए जो चीज़ मुझे सबसे अधिक पसन्द है वो चीज़ फर्ज़ है।”

इस मुबारक महीने के महत्व व श्रेष्ठता को उजागर करने के लिए ये भी आप स०अ० का नियम रहा है कि आप स०अ० ने इसकी शुरुआत में सभी लोगों के सामने तक़रीर करते थे, सही इन खुज़ैंमा ये खुत्बा मनकूल है, इमाम बैहिकी ने शोबउल ईमान में भी उसको नक़ल किया है।

हज़रत सलमान फारसी रह० फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल स०अ० ने शाबान के आखिरी दिन हमें ख़िताब फरमाया, इरशाद हुआ; “ऐ लोगों! एक अज़ीम महीना

तुम्हारे सरों पर साया करने वाला है, बड़ा मुबारक महीना है, ऐसा महीना है कि उसमें एक रात ऐसी है जो हज़ार महीनों से बेहतर है, उसके रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किये हैं और उसकी रातों को जागने को स्वयं से निकटता की चीज़ बनाया है, इसमें जो भी किसी भले काम से अल्लाह के करीब जाएगा वो ऐसा है जैसे उसने फ़र्ज़ अदा किया और जिसने उसमें फ़र्ज़ अदा किया वो ऐसा है जैसे उसने दूसरे महीने में सत्तर फ़र्ज़ अदा किये, ये सब का महीना है और ऐसा महीना है कि उसमें मौमिन का रिज़क बढ़ा दिया जाता है, जो इसमें किसी रोज़ादार को इफ्तार कराए तो वो उसकी मग़फिरत और जहन्नम से नजात का ज़्याया है और उसके उसी के बराबर सवाब मिलेगा और रोज़े के सवाब में भी कुछ कमी न की जाएगी, लोगों ने कहा कि हम में ऐसे लोग नहीं जो रोज़ादार को इफ्तार करा सकें, आप स0अ0 ने फरमाया: अल्लाह तआला ये सवाब उसको भी दे देते हैं जो एक खजूर से, एक घूंट पानी से या एक घूंट दूध से इफ्तार कराए, ये ऐसा महीना है कि इसका पहला हिस्सा रहमत, दूसरा हिस्सा मग़फिरत, और तीसरा हिस्सा जहन्नम से नजात का है, इसमें जो अपने गुलाम, नौकर से बोझ हल्का कर दे तो अल्लाह तआला उसकी मग़फिरत फ़रमा देते हैं और जहन्नम से उसको नजात दे देते हैं, इसमें चार चीज़ों को ख़ब किया करो, दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अपने रब को राज़ी करो, और दो चीज़े ऐसी हैं जिनसे तुम्हे छुटकारा नहीं, वो दो चीज़े जिनसे तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा शहादत और अस्तग़फ़ार है और दो चीज़ जिनसे तुम्हे छुटकारा नहीं वो रहमत की तलब और जहन्नम से पनाह मांगना है। जो उसमें किसी रोज़ेदार को खिलाए अल्लाह तआला उसको मेरे हौज़ से ऐसा जाम पिलाएंगे कि फिर वो प्यासा न होगा यहां तक कि जन्त में दाखिल हो जाएगा ईमान की रोशनी बढ़ाने और बैट्री चार्ज करने का बेहतरीन मौक़ा रमज़ान का महीना भी है। ये वो मुबारक महीना है कि इसमें दिल की ज़मीन नर्म हो जाती है। इसमें हल चलाना और इसको खेती योग्य बनाना आसान हो जाता है। शैतान कैद कर दिये जाते हैं और आम फ़िज़ा आदाब व बन्दगी की बन जाती है। इससे फ़ाएदा उठाते हुए अगर पूरे महीने साल भर का इन्तिज़ाम कर लिया जाए तो इससे अच्छा शायद

कोई मौका न मिलेगा। हदीस में उस शख्स को बददुआ दी गयी है जिसको स्मज़ान का महीना मिले और वो अपनी मग़फिरत का इन्तिज़ाम न कर सके।

बुरी आदतों को ख़त्म करने का भी ये बेहतरीन मौक़ा है, इस जमाने में निज़ाम में बदलाव से अन्दरूनी बदलाव भी बहुत हद तक आसान हो जाते हैं। अगर पहले ही से पूरे इरादे के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए और पूरा महीना धैर्य के साथ गुज़ारने की कोशिश की जाए तो बड़ी बात नहीं कि ये एक बेहतरीन इन्क़लाब का लाने वाला साबित हो। इतिहास से ये बात सामने आती है कि बहुत से लोगों की ज़िन्दगी के लिए ये एक बेहतरीन मोड़ साबित हुआ है। कितनों की काया पलट गयी है लेकिन इसके लिए कुछ इरादे और कुछ अमल की ज़रूरत है। यक़ीनन अगर इसके लिए कोशिश की जाए तो ईमान व यकीन की शमा जलेगी और हमारी एक बहुत बड़ी कमी दूर होगी और उससे उम्मत को एक नई ताक़त मिलेगी।

रमज़ानुल मुबारक जिसके पास इस हाल में आया कि वो तैयारी कर चुका हो, अपने दिल व दिमाग़ की ज़मीन को उसने कचरे से पाक कर लिया हो, हर एक के हक़ को अदा करके वो पूरी तरह इसके स्वागत के लिए पलकें बिछाए हो, यक़ीनन उसके लिए ये रमज़ानुल मुबारक का महीना एक दिन नहीं बल्कि एक—एक लम्हा रहमत है।

जिन लोगों ने पूरी तैयारी के साथ मुबारक महीने का स्वागत किया वो उसके एक एक लम्हे को वसूलें और अपने दामन को रहमत से भर लें, लेकिन जो गफलत से अब जागे उनके लिए भी कुछ कर लेने का मौक़ा है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उनको तो एक एक लम्हा कीमती समझना चाहिए तिलावत, जिक्र व दुआ, संबंधियों के साथ अच्छा सुलूक और गरीबों का दुख बांटना व ख़ैरात बांटना इस महीने के बेहतरीन काम हैं। इसके विपरीत गीबत, चुग्ली, और बेकार की चीज़ों में पड़ना इस महीने की बहुत बड़ी नाक़दरी है और ख़तरे की घंटी है, कहीं ऐसा न हो कि ये महीना नाराज़ होकर चला जाए और हम बरिद्धाश से भी महरूम हों!!

# ਇਖੜਾਵਲੋ ਥੁਕੂਰਕ ਕੋ

## ਅਦਿ ਵੇ ਏਹਤਹਾਸ

ਠੀਕਾਣਾ ਥਾਈਅਡਾ ਫਲ੍ਗ ਛਾਡਵੀ

ਧੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ ਬਹਾਰ ਕਾ ਸੌਸਮ ਹੈ। ਭੂਖ, ਪਾਸ, ਸਾਬ੍ਰ, ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਤਾਂ ਸੇ ਬਚਨਾ, ਅਪਨੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬੀਤੇ ਹੁਏ ਦਿਨਾਂ ਕਾ ਨਿਰੀਕਣ, ਜੋ ਖੋ ਚੁਕੇ ਹੈਂ ਉਸ ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵ ਅਫਸੋਸ ਕੇ ਆਂਸੂ ਬਹਾਨੇ ਔਰ ਤੌਬਾ ਵ ਅਸ਼ਟਗਫ਼ਾਰ ਕੇ ਆਂਸੂ ਸੇ ਧੋਨੇ ਕਾ ਯਹੀ ਸੁਨਹਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਜਿਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਹਮਤ ਵ ਮਗਫਿਰਤ ਕੀ ਝੜੀ ਲਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਹਨਨਮ ਸੇ ਨਜ਼ਾਤ ਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਭੀ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰ: “ਏ ਖੈਰ ਵ ਭਲਾਈ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਖੈਰ ਕੀ ਮਾਂਗ ਮੈਂ ਲਗ ਜਾਓ ਔਰ ਏ ਬੁਰਾਈ ਕੇ ਚਾਹਨੇ ਵਾਲੋਂ ਤੋ ਪੀਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, (ਬੁਰਾਈ ਸੇ ਬਾਜ਼ ਆਓ) ਕੀ ਸਦਾ ਗੁੰਜ ਰਹੀ ਹੈ।” (ਹਦੀਸ)

ਧੇ ਜਿਕਰ ਵ ਤਿਲਾਵਤ ਔਰ ਸਖਾਵਤ ਕਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਅਥ ਤਕ ਜੋ ਭੂਲ ਚੁਕ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੋਂ ਉਸ ਪਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਯਹੀ ਇਸ ਸੁਭਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਕੁਦ ਹੈ। ਕੋਤਾਹੀ ਔਰ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈਂ, ਦੀਨ ਕੇ ਕਿਸੀ ਹੁਕਮ ਕੋ ਤੋਡਨਾ ਭੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈਂ, ਏਕ ਵਿਕਿਤ ਕਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਕਿਤ ਕੇ ਹਕ ਕੋ ਮਾਰ ਲੇਨਾ ਭੀ ਜੁੰਮ ਵ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਅਪਨੇ ਫਰਜ਼ ਵ ਜਿਸਦਾਰਿਆਂ ਕੋ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਨਾ ਭੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਕਿਤ ਯਾ ਜਮਾਅਤ ਕਾ ਕੁਛ ਏਸੇ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਜਿਸਸੇ ਉਮਮਤ ਕੀ ਏਕਤਾ ਵ ਤਾਕਤ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੋ, ਧੇ ਗੁਨਾਹੇ ਅੜੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਬਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੀ ਬਰਕਤ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਏਕ ਤਰਹ ਸੇ ਸੁਕੂਨ ਔਰ ਅਲਲਾਹ ਕੀ ਰਜਾ ਕੀ ਤਲਾਸ ਵ ਜੁਸ਼ਤੁਯੂ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਵ ਜ਼ਜ਼ਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਪਰ ਭੂਖ, ਪਾਸ, ਜਿਕਰ ਵ ਤਿਲਾਵਤ, ਤਰਾਵੀਹ ਵ ਤਹਜ਼ੂਦ ਨੇ ਦਿਲੀਂ ਕੋ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿਯਾ।

ਹਮ ਹਰ ਪਹਲੂ ਸੇ ਅਪਨੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਾ ਜਾਏਜ਼ਾ ਲੈਂ। ਅਪਨੇ ਦੀਨੀ ਕਾਮੋ ਔਰ ਸਰਗਾਰਿਆਂ ਪਰ ਭੀ ਨਜ਼ਰ ਢਾਲੋਂ ਔਰ ਦੇਖੋਂ ਕਿ ਇਸਮੇਂ ਕਿਤਨਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਜ਼ਾਮਨਦੀ ਔਰ ਦੀਨ ਕੀ ਸਰਬੁਲਨਦੀ ਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਨਾਮ ਵ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵ ਦਿਖਾਵੇ ਕਾ ਹੈ ਧੇ ਅਪਨੇ ਤੁਢੀ ਉਦਦੇਸ਼ਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਕਾ ਹੈ ਜੋ ਦੀਨ ਕੇ ਰੰਗ ਮੈਂ ਖਾਲਿਸ ਦੁਨਿਆ ਹੈ। ਇਨ ਸੁਭਾਰਕ ਘਡਿਆਂ ਮੈਂ ਅਪਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵ ਆਸਾਲ, ਨਿਧਾਤਾਂ ਵ ਇਰਾਦਾਂ ਕਾ ਹਕੀਕਤ ਪਸਨਦਾਨਾ ਜਾਏਜ਼ਾ ਲੇਕਰ ਉਸਕੀ ਦਿਸਾ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਲੇਨਾ ਜਿਸਮੇਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਜ਼ਾਮਨਦੀ, ਉਮਮਤ ਕਾ ਫਾਯਦਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਕਾ ਸਾਂਦੇਸ਼ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਅਕਲਮਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਏਜੇ ਕੇ ਬਾਦ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਜਾਨ ਲੇਨੇ ਕੇ ਬਾਦ ਧੇ ਸੋਚਨਾ ਕੀ ਲੋਗ

ਕਥਾ ਕਹੋਗੋਂ, ਅਗਰ ਹਮ ਪੀਛੇ ਹਟੇ ਔਰ ਅਪਨੀ ਰਾਧ ਬਦਲੀ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਤੌਹੀਨ ਹੋਗੀ, ਬਡੀ ਨਾਸਮਝੀ ਔਰ ਨਾਦਾਨੀ ਹੈ।

ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ਿਓ ਨੇ ਅਬਦੁਲਲਾਹ ਬਿਨ ਕੈਸ ਰਜ਼ਿਓ ਕੀ ਹਿਦਾਯਤ ਦੇਤੇ ਹੁਏ ਲਿਖਾ ਥਾ: “ਏਸਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਸਕਾ ਆਜ ਤੁਮਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿਯਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋਬਾਰਾ ਗੈਰ ਵ ਫਿਕਰ ਕੇ ਬਾਦ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਔਰ ਹਕ ਬਾਤ ਸਮਝ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਤੋ ਅਥ ਕਲ ਕੇ ਗੁਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪਰ ਕਾਧਮ ਨ ਰਹੋ ਬਲਿਕ ਉਸਕੋ ਰਦਦ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਹਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਹਕ ਕੋ ਅਪਨਾ ਲੇਨਾ ਬਾਤਿਲ ਮੈਂ ਪਢੇ ਰਹਨੇ ਸੇ ਬੇਹਤਰ ਹੈ।”

ਧੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧਿਆਪਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ਿਓ ਨੇ ਅਬਦੁਲਲਾਹ ਬਿਨ ਕੈਸ ਰਜ਼ਿਓ ਕੀ ਲਿਖਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਧੇ ਏਸੀ ਉਸੂਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਲਤ ਕਾਮ ਕੇ ਲਿਯੇ ਮੀਲ ਕਾ ਪਥਰ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਤਾਘ ਸਾ ਮਹਤਵ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਯਦਿ ਹਮ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਾਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਅਥ ਤਕ ਜੋ ਸਮਝਾ ਥਾ ਵੋ ਗੁਲਤ ਥਾ ਤੋ ਫਿਰ ਧੇ ਨ ਸੋਚਨਾ ਚਾਹਿਏ ਕਿ ਅਗਰ ਅਥ ਹਮ ਅਪਨੀ ਰਾਧ ਬਦਲੇਗੇ ਤੋ ਲੋਗ ਹਮਕੋ ਕਥਾ ਕਹੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਯਹਾਂ ਲੋਗਾਂ ਕੇ ਕਹਨੇ ਨ ਕਹਨੇ ਕਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਲਿਕ ਵਹਾਂ ਤੋ ਮਾਮਲਾ ਹਕ ਕੇ ਹੀ ਹਕ ਮੈਂ ਹੋਗਾ। ਗੁਲਤ ਬਾਤ ਰਦਦ ਕਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਧੇ ਵੋ ਸਮਝ ਹੋਗਾ ਜਿਥੇ ਮਾਫ਼ੀ ਕਾ ਸਮਝ ਹਾਥ ਸੇ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੋਗਾ। ਏਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਵਿਕਿਤ ਜਿਥੇ ਸਚਾਈ ਸੇ ਕਾਮ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ਼ਾਰੀ ਰਾਧ ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਗੁਲਤ ਹੈ, ਤੁਸੁ ਜਿਸਕੀ ਰਾਧ ਕੇ ਗੁਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਕੀ ਰਾਧ ਸਹੀ ਹੈ ਮਗਰ ਧੇ ਵਿਕਿਤ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਾਰਣ ਸੇ ਅਪਨੀ ਰਾਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਆਤਮਸਮਾਨ ਕੋ ਠੇਸ ਲਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਸਾਡੇ ਨੇ ਫਰਸਾਧਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਜਾ ਕੀ ਖਾਤਿਰ ਝੁਕੇਗਾ ਖੁਦਾ ਉਸਕੋ ਉਠਾ ਲੇਗਾ, ਬੁਲਨਦ ਕਰੇਗਾ, ਹਦੀਸ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਂ “ਜੋ ਅਲਲਾਹ ਕੇ ਲਿਯੇ ਝੁਕੇਗਾ ਅਲਲਾਹ ਤਾਲਾਲਾ ਉਸੇ ਸਰਬਲਨਦੀ ਅਤਾ ਫਰਸਾਧੇਗਾ” (ਹਦੀਸ)

ਦੀਨੀ ਵ ਮਿਲੀ ਮਸਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਵ ਦੱਸਿਕਿਓ ਮਿਨ ਹੋਨੇ ਕੀ ਭੀ ਧੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਾਰੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਗੁਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਇਖੜਾਵਾਤ ਕਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕੌਮ ਵ ਮਿਲਲਤ ਕੇ ਲਾਭ ਕੀ ਮਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਬਿਨਾ ਝਿੜਕ ਅਪਨੀ ਸੋਚ ਕੀ ਗੁਲਤੀ ਕੀ ਸ਼ੀਕਾਰ ਕਰੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਕੀ ਮਾਨ ਲੋਂ ਔਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਧੀ ਅਸਲ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਜਿਸ ਤਰਹ ਗੁਲਤ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਏਸਾ ਕੁਦਮ ਉਠਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਤਾਈਦ ਵ ਹਿਮਾਤ ਭੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸਸੇ ਦੀਨ ਵ ਮਿਲਲਤ ਕੋ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹਾ ਹੈ। ਹਮਸੇ ਕਿਸੀ ਨਾਦਾਨੀ ਸੇ ਭੀ ਏਸੀ ਗੁਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ

फिर हकीकत समझ में आ जाये तो फौरन उससे बचना चाहिये। ग़लत बात की हिमायत लोगों को धोखा दे सकती है लेकिन वो दिन आकर रहेगा जब सारी दलीलों का रंग उत्तर जायेगा और हकीकत अपने अस्त रूप में सामने कर दी जायेगी।

दुनिया का फना होना और क्यामत का आना यकीनी है। कब आयेगी उसको अल्लाह तआला ने नहीं बताया ताकि हर इन्सान को उसके अमल का बदला दे और बदला वैसा ही होगा जैसा अमल होगा। इसीलिये अल्लाह तआला ने इस हकीकत को खोल कर बयान कर दिया, फरमाया: “क्यामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूं उस (के वक्त) को छिपाये रखूं ताकि हर व्यक्ति जो कोशिश करे उसका बदला पाये।” (सूरह ताहा)

रमजानुल मुबारक में भूख, प्यास, सब्र व ज़ब्द, और तबियत की नागवारी को झेलना इसीलिये है कि कहीं हमारा रोज़ा ख़राब न हो जाये, ये इसकी मशक् है कि मुसलमान हक़ पर कायम हैं और हक़ की खातिर हर नागवारी और कभी—कभी ज़िल्लत तक को गवारा कर ले, लेकिन हक़ का दामन हाथ से छूटने न पाये।

इस सिलसिले में हुजूर स0अ0 की मक्की ज़िन्दगी हमारे लिये नमूना है कि आप स0अ0 ने सब कुछ झेल लिया लेकिन हक़ की जो आवाज़ लगायी थी उससे पीछे नहीं हटे। मक्की ज़िन्दगी का सबसे नाजुक और कठिन समय वो था जब कुफ़ारे मक्का ने आपके चचा अबू तालिब से आखिरी शिकायत की कि, “आप अपने भतीजे को रोकिये, वरना हम फिर उनसे और आप से समझ लेंगे और अबू तालिब ने फरमाया, “भतीजे! ज़रा अपनी जान का भी ख्याल करो और मेरी जान का भी, मुझ पर इतना बोझ न डालो कि मैं उठा न सकूं।”

चचा की बात सुनकर आप स0अ0 की आंखे आसूओं से भर गयीं कि रहा सहा सहारा भी दूट गया लेकिन आप के इरादे में ज़रा सी भी कमज़ोरी नहीं पैदा हुई, बल्कि बहुत खुलकर कहा:

“चचाजान! अगर मेरे दाहिने हाथ में सूरज और बायें हाथ में चांद रख दें और चाहें कि मैं इस काम को छोड़ दूं यहां तक कि अल्लाह तआला इसको ग़ालिब करे, या मैं इस रास्ते में हलाक हो जाऊं तब भी मैं बाज न आऊंगा।”

मिस्र के मशहूर लेखक, साहित्यकार उस्ताद महमूदुल उक़्काद ने मक्की ज़िन्दगी का नक़शा खींचते हुए मक्की जीवन को इस्लाम की अहम विशेषता की दलील के

तौर पर इस तरह बयान किया है।

आपकी मक्की ज़िन्दगी से ये सबक मिलता है कि बड़े हुए क़दम को पीछे न हटाना चाहिये, चाहे वो आगे न बढ़ सके, हक़ पर जमे रहना चाहिये, चाहे नफ़्स उसका कितना ही विरोध करे, ग़लत को ग़लत ही समझो चाहे उससे हुकूमत ही क्यों न हासिल हो, बातिल के मुकाबले में डटे रहना चाहिये चाहे इसको ग़लबा व आम सहमति ही क्यों न हासिल हो, लोगों को ख़ेर की दावत देते रहना चाहे उसके जवाब में तकलीफ़ ही क्यों न सहनी पड़े, फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझकर अदा करते रहना चाहे उसका नतीजा सामने न आये, ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझकर अन्जाम देते रहना, चाहे उसका कोई बड़ा फ़ायदा न दिखाई दे, मर्द मोमिन का अपनी मर्दानी पर कायम रहना ही उसकी विशेषता है, जवां मर्दी हैं चाहे उसके चारों ओर की हर—हर चीज़ उसको पीस डालना चाहती हो।

अगर हम सही अर्थों में मुसलमान हैं और इस्लाम की हकीकत न केवल ये कि हमारे दिल में उत्तर गयी है बल्कि रग—रग में बस गयी है तो हमारा भी यही किरदार और कैरेक्टर होना चाहिये कि हालात चाहे कितने ही विपरीत क्यों न हों हम अपनी इस्लामियत और मुस्लिम विशेषताओं व किरदार पर कायम रहें। अगर हम अपनी अनुभवहीनता, अज्ञानता या ग़लत माहौल से प्रभावित होकर कोई ग़लत काम कर चुके हो तो हकीकत सामने आने के बाद फौरन उसको सही कर लें और हक़ की तरफ़ लौट आयें।

आम ज़िन्दगी और समाज में, घर और ख़ानदान में, मदरसा और ख़ानकाह में, जहां भी किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो फौरन इस्लामी शिक्षा के अनुसार उसको न्याय दिलाने का प्रयास करें। अगर हम किसी मिल या फैक्ट्री या कारखाने के मालिक हैं, कुछ मजदूर और वर्कर हमारे मातहत हैं तो उनके भी अधिकारों का ध्यान रखें, हम जहां रहते हैं वहां कुछ और लोग भी रहते हैं, उनमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी, उनके साथ हमारा सुलूक व बर्ताव वही होना चाहिये जो अल्लाह के रसूल स0अ0 ने बताया बल्कि बरत कर दिखाया, हम दुनिया की दूसरी कौमों के लिये नमूना व रोशनी थे, हमारे अख़लाक व व्यवहार से प्रभावित होकर दूसरी कौमें इस्लाम लाती थीं मगर अब हम इस हाल को पहुंच गये हैं कि मीर दर्द का ये शेर बड़े दर्द के साथ पड़ना पड़ता है:

हर चन्द आईना हूं पर इतना हूं नाकुबूल।

मुंह फेर ले वो जिसके मुझे रुबरु करें।।

# सहरी - झृपतार

## ज़रूरी इहकाम

### सहरी व नियत

रोजे चाहे रमजान का हो चाहे किसी और चीज़ का। बहरहाल उनके लिये सहरी खाना सुन्नत है। रोजे की शुरूआत सुबह—ए—सादिक के उदय होने से होती है और ये सूरज ढूबने पर ख्रत्म होता है। इसलिये शरीअत ने ये सहूलत रखी है कि रोज़ेदार सुबह होने से पहले सहरी खा ले ताकि रोजे में ताक़त बहाल रहे। अलग—अलग हदीसों में आप स030 ने इसका शौक़ दिलाया है। इसीलिये सहरी में सवाब होने पर उम्मत एकमत है। सहरी उतनी देर तक खायी जा सकती है कि सुबह होने का शक न हो, रात के बचे होने का भी शक न हो। हज़रत जैद बिन साबित रज़ि0 से रिवायत है कि हम लोग जब रसूलुल्लाह स030 के साथ सहरी करते थे तो सहरी और फ़ज़ की अज़ान के बीच पचास आयत की तिलावत के बराबर फ़ासला होता था। आम तौर इतना कुरआन पांच—छ़ मिनट में पढ़ा जाता है।

अगर इस ख्याल से सहरी खाई कि अभी सुबह नहीं हुई है हालांकि सुबह हो चुकी थी तो रोजे की क़ज़ा वाजिब होगी, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा, अगर शक हो कि शायद फ़ज़ का वक़्त हो गया तो बेहतर है कि खाना—पीना ठोड़ दे, फिर भी अगर खा ले और सुबह होने का यकीन न हो तो उसका रोज़ा हो जायेगा।

### इसीलिये आप स030 का इरशाद है:

“सहरी खाओ सहरी में बरकत है।” (बुखारी 1923)

एक दूसरी हदीस में आप स030 ने फ़रमाया:

“हमारे और अहले किताब (यहूदी, इसाई इत्यादि) के रोजों में फ़र्क और श्रेष्ठता सहरी खाने की है (हम खाते हैं और वो नहीं खाते हैं)।” (मुस्लिम 2550)

रही नियत तो इसके बगैर रोज़ा नहीं होगा। इसीलिये अगर एक शख्स सुबह से शाम तक उन सभी चीजों से परहेज़ करे जिनसे रोज़ेदार परहेज़ करता है लेकिन उसकी नियत रोज़ा रखने की न हो तो उसका रोज़ा नहीं

होगा। इसीलिये आप स030 का इरशाद है:

“जो फ़ज़ से पहले ही नियत न करे उसका रोज़ा नहीं होगा।” (तिरमिज़ी 730)

कई दूसरी हदीसों को देखते हुए फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि ज़वाल से एक घन्टा पहले नियत कर ले बशर्ते कि कुछ खाया—पिया न हो तो रमजान का और नफ़िली रोज़ा रखना दुर्लक्ष होगा और नियत का महल क्योंकि दिल होता है इसलिये सिर्फ़ दिल में ये इरादा कर लेना काफ़ी है कि कौन सा रोज़ा रख रहा हूँ ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं अल्बत्ता बेहतर यही है कि ज़बान से भी कह दे। (हिन्दिया 1 / 195)

### सहरी के मसले

1. रमजान के हर रोजे के लिये अलग—अलग नियत करना ज़रूरी है। (हिन्दिया 1 / 195)

2. आधा दिन से पहले तक भी अगर रमजान के अदा रोजों की नियत कर ली तो रोज़ा सही हो जायेगा। (हिन्दिया 1 / 195)

3. अगर किसी शख्स ने पूरा दिन खाया—पिया नहीं और पूरा दिन भूखा—प्यासा रहा लेकिन दिल में रोजे का इरादा नहीं था तो रोज़ा नहीं हुआ। (हिन्दिया 1 / 195)

4. रमजान के रोजों की क़ज़ा, बिला तय नज़र का रोज़ा और कफ़ारे के रोजों ने इसी तरह नफ़िल रोजों की क़ज़ा जिसे शुरू करने के बाद ठोड़ दिया हो इन तमाम रोजों में सुबह सादिक से पहले नियत करना ज़रूरी है। अगर सुबह सादिक के बाद नियत की तो रोज़ा काफ़ी न होगा। (हिन्दिया 1 / 196)

5. सहरी खाना सुन्नत है लेनिक अगर कोई शख्स सहरी खाये बगैर ही रोजे की नियत कर ले तो उसका रोज़ा ठीक होगा। अल्बत्ता सहरी की बरकत और सहरी के सवाब से महरूम रहेगा। (शामी 3 / 400)

### झृपतार: आदाव व रहकाम

सूरज ढूबने के साथ ही झृपतार करना सुन्नत है।

हजरत आयशा रजिं० से एक साहब ने पूछा कि सहाबी—ए—रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजिं० इफ्तार में जल्दी करते हैं, वक्त शुरू होने के बाद नमाज़ भी जल्दी पढ़ते हैं और हजरत अबू मूसा अशरी रजिं० नमाज़ में भी देर करते हैं और इफ्तार में भी, तो आप रजिं० ने फरमाया कि हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजिं० का तरीक़ा हुजूर के तरीके पर है। सहरी में देर और इफ्तार में जल्दी इसलिये बेहतर है कि इस में अल्लाह के सामने अपनी बन्दगी और क्षमता व तवानाई का इजहार रहे कि हम एक पल भी अल्लाह की दी हुई नेमत से अलग नहीं हो सकते। ये जो कुछ भूख व प्यास बर्दाश्त की गयी है वो केवल खुदा के हुक्म को पूरा करना है और जैसे ही अल्लाह तआला की तरफ से इजाज़त का परवाना मिला एक लम्हा भी रुकने की ताब नहीं।

फिर भी इफ्तार के वक्त सूरज ढूबने का यकीन हो जाना ज़रूरी है, अगर शक हो तो इफ्तार करना जायज़ नहीं, अगर इस यकीन के साथ इफ्तार कर लिया कि सूरज ढूब चुका है, मगर बाद में मालूम हुआ कि उसकी गुलतफहमी थी तो सिर्फ उसकी कज़ा वाजिब होगी और अगर गुमान था कि सूरज नहीं ढूबा है फिर भी इफ्तार कर लिया तो कफ़ारा भी वाजिब होगा।

### इफ्तार की सुन्नत व मुस्तब्ब

बेहतर है कि कुछ खजूर से इफ्तार करे। खजूर न हो तो पानी से। हजरत अनस रजिं० से रिवायत है कि आप स०अ० ने फरमाया, “जिसके पास खजूर हो उसे खजूर से इफ्तार करना चाहिये, खजूर न हो तो पानी से इफ्तार करे कि पानी पाक है।” (तिरमिज़ी 694) एक और रिवायत इमाम तिरमिज़ी ने ज़िक्र की है कि “सर्दी में खजूर से और गर्मी में पानी से इफ्तार करने का नियम मुबारक था।” (तिरमिज़ी 696)

फिर भी उन्हीं से इफ्तार ज़रूरी नहीं, हस्त मौका किसी और चीज़ से भी इफ्तार कर सकते हैं, इसलिये हजरत अब्दुल्लाह बिन औफ़ी रजिं० से रिवायत है कि हम हुजूर स०अ० के साथ एक सफर में थे, आप स०अ० रोज़े से थे, जब सूरज ढूबा तो आप स०अ० ने पानी में सत्तू घोलने का हुक्म दिया ताकि इफ्तार कर सकें।

### इफ्तार करते वक्त ये दुआ पढ़ें:

(प्यास खत्म हुई, रगें तर हो गयीं और इन्शाअल्लाह

अज़ भी साबित है)

कई रिवायतों में ये दुआ भी मनकूल है:

(ईलाही! मैंने आप ही के लिये रोज़ा रखा, आप ही के रिज़क से इफ्तार किया)

इसलिये बेहतर है कि इस दुआ को पहले पढ़ ले और जो दुआ पहले ज़िक्र की गयी है उसको इफ्तार के बाद पढ़ ले। ये मसनून दुआ तो पढ़नी ही चाहिये लेकिन इसके अलावा भी जो दुआ मुनासिब जाने इफ्तार के वक्त कर ले कि ये कुबूलियत का वक्त है।

हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र रजिं० से रिवायत है कि रोज़ेदार को इफ्तार के वक्त एक ऐसी दुआ का हक़ दिया जाता है जो रद्द नहीं की जाती।

हजरत अम्र बिन अल आस रजिं० से रिवायत है फरमाते हैं, नबी करीम स०अ० ने इरशाद फरमाया: “हमारे और यहूद और नसारा के रोज़े में फ़र्क़ (हमारा) सहरी खाना है।” (मुस्लिम)

हजरत अनस से रिवायत है फरमाते हैं, नबी करीम स०अ० मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले कुछ ताजे खजूर से इफ्तार करते थे, अगर ताजे खजूर न हों तो कुछ दूसरी खजूर से इफ्तार करते थे, और अगर खजूरों न हों तो कुछ घूंट पानी पी लिया करते थे। (तिरमिज़ी)

हजरत ज़ैद बिन ख़ालिद रजिं० फरमाते हैं, “जो किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराये, या किसी मुजाहिद को असलहा उपलब्ध कराये, तो उसे उसी के बराबर अज़ व सवाब मिलता है।” (बेहकी व शुएबुलईमान व शरहुस्सना)

**इफ्तार की दुआ:** हजरत उमर रजिं० से रिवायत है फरमाते हैं, “आंहज़रत स०अ० जब इफ्तार करते थे तो ये फरमाते थे: (प्यास जाती रही, रगें तर हो गयीं और सवाब दर्ज हो गया) (अबूदाऊद)

हजरत मआज़ बिन ज़हीरा से रिवायत है, नबी करीम स०अ० जब इफ्तार करते तो फरमाते: (या अल्लाह मैंने आपके लिये रोज़ा रखा, और आपही के रिज़क से इफ्तार किया) (अबूदाऊद मुरसला)

### मिली—जुली इफ्तार पार्टियों में शिरकत

गैर मुस्लिमों की दावत कुबूल करना और उनको दावत देना, साथ मिलकर खाना—पीना जायज़ है, लेकिन लगातार साथ खाने की आदत डालने की आदत को फुक्हा ने मना किया है। (हिन्दिया 5 / 347)

इफ्तार की दावत एक तरह की दावत है इसलिये

शरीअत में इसकी गुंजाइश है लेकिन बेहतर यही है कि इस तरह की इफ्तार पार्टीयों से दूर रहे। इसलिये कि ज्यादातर राजनीतिक लोग ये दावत करते हैं और दावत में रोजादारों से ज्यादा रोज़ा खोरों की सख्त्या रहती है। कई बार वो वक्त होने से पहले ही इफ्तार करने लगते हैं और मगरिब की नमाज भी खतरे में पड़ जाती है। बहरहाल इस तरह की सूरतेहाल में न हो तो शिरकत की जा सकती है।

इसी तरह गैर मुस्लिम भाइयों को इफ्तार की दावत देने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि आप स030 ने गैर मुस्लिमों को दावत दी है। (मुस्लिम 5364) और खुद भी आपने उनकी दावत कुबूल फरमायी है। (बुखारी 1481) इसलिये गैर मुस्लिमों को दावत देना और उनको अपना मेहमान बनाना जायज़ है।

गैर मुस्लिम जब तक मुसलमान न हो जाये शरीअत के आदेशों को पूरा करने का बाध्य नहीं। व्यापार व हलाल व हराम के जो आदेश हैं ईमान लाने के बाद इन्सान उसका बाध्य होता है जब तक कि ईमान न ले आये ये आदेश उस पर लागू नहीं होते। इसलिये गैर मुस्लिम की दावत के बारे में पैसे की छानबनी ज़रूरी नहीं, अलबत्ता कोई ऐसी चीज़ नहीं खाई जा सकती जो खुद अपनी जात में हराम हो। जिसकी हुरमत केवल पैसे कमाने के कारण हो। जैसे मुरदार या गैर मुस्लिम का जबीहा। अलबत्ता अगर गैर मुस्लिम ओहदेदारों को महज़ खुशनूदी व चापलूसी के लिये दावत दी जाये और ज़ाति लाभ मददेनज़र हो तो उस पर शायद कोई अज़ व सवाब न हो और अगर उनको दावत देने का मक्सद इस्लाम और मुसलमानों से परिचित कराना हो, दीने हक़ की ओर खीचना और मुसलमानों के प्रति ग़लतफ़हमियों को दूर करना हो तो उनकी दावत करना अज़ व सवाब का कारण है। लेकिन अगर किसी मुसलमान के बारे में ये मालूम हो जाये कि उसकी आमदनी हराम या शक-शुष्का है तो उसकी दावत कुबूल करने से परहेज़ करना चाहिये। बाद में उसे दावत न कुबूल करने की वजह समझा देना चाहिये ताकि उसे इबरत हो। इसी तरह अगर किसी की अक्सर कमाई हराम या नाजाइज़ हो लेकिन जिस पैसे से वो दावत कर रहा है वो पैसा हलाल तो उस दावत में ऐसे लोग शरीक हो सकते हैं जो मुक़त्तदा का दर्जा न रखते हों। उलमा और ख्वास को ऐसी दावतों से बचना चाहिये इसलिये कि फ़िक्र की किताबों में स्पष्टता के साथ ये व्याख्या मौजूद है। (हिन्दिया 5 / 343)

**बैंक वालों की दावत कुबूल करना:** बैंक वालों की दावत कुबूल करना ठीक नहीं है कि इसलिये कि बैंक की आमदनी पूरी तरह सूद पर आधारित है और ब्याज का हराम होना खुला हुआ है। दूसरे इससे एक ऐसी संस्था का सहयोग होता है जो ब्याज की ओर ले जाने वाला है और गुनाह में सहयोग हराम है। (किताबुल फ़तावा 3 / 431)

**रोज़ा कुशाई:** रोज़ा कुशाई के लिये कोई आयोजन करना हदीस से सावित नहीं और न ऐसी चीजों में फ़िजूल खर्ची जायज़ है। अलबत्ता अगर किसी बच्चे ने पहली बार रोज़ा रखा हो तो उसकी हौसला अफ़जाई के लिये और उसके इस अमल पर खुशी के इज़हार के लिये दोस्त व अबाब को इफ्तार पर बुलाया जाये तो इसकी गुंजाइश है इसलिये कि लोग आमतौर पर इसे दीनी काम समझ कर नहीं करते बल्कि इसक मक्सद सिर्फ़ खुशी का इज़हार है। अल्बत्ता ये ज़रूरी है कि फ़िजूल खर्ची से बचते हुए और प्रोग्राम की शक्ति दिये बगैर दावत का एहतिमाम किया जाये। (किताबुल फ़तावा 3 / 423)

### रमजान के रोज़े की फ़र्ज़ियत

रमजान का रोज़ा फ़र्ज़ है इसकी फ़र्ज़ियत पर अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत गवाह भी है और इस पर उम्मत एक मत है। सीरत निगार के बयानों के मुताबिक हिजरत के दूसरे साल रोज़े फ़र्ज़ किये गये।

सुबह सादिक से गुरब-ए-आफ़ताब तक इबादत की नियत से खाने पीने और जिमा से रुके रहना रोज़ा कहलाता है। (हिन्दिया 1 / 194)

**रोज़ा फ़र्ज़ होने की शर्तें**

रोज़ा फ़र्ज़ होने के लिये तीन बुनियादी शर्तें हैं

1. मुसलमान होना।

2. आकिल होना यानि दिमाग़ी तौर पर ठीक होना।

3. बालिग होना।

**रोज़े की शर्तें**

रोज़े की बुनियादी शर्त नियत है। इसीलिये नियत के बगैर रोज़ा सही नहीं होगा।

दूसरी शर्त सिर्फ़ औरतों से संबंधित है और वो ये है कि वो हज़ व निफ़ास से पाक हों। इसीलिये इन दोनों हालतों में अगर कोई औरत रोज़ा रख भी ले तो सही नहीं होगा।

# जिन सूखतों में रोज़ा टूट जाता है



रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें दो तरह की हैं। कई वो हैं जिनसे क़ज़ा और कफ़्फ़ारा दोनों लाजिम होते हैं, और वो चीज़ें ये हैं:

○पति—पत्नी का संबंध स्थापित करना, चाहे स्खलित (वीर्य निकलना) हो या न हो दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा और कफ़्फ़ारा ज़रूरी होगा। अगर ये काम औरत की रज़ामन्दी से हुआ तो उस पर भी कफ़्फ़ारा लाजिम होगा और अगर उसकी रज़ामन्दी नहीं थी, पति ने ये काम ज़बरदस्ती से किया तो औरत पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी, अगर शुरूआत में इसे मजबूर किय गया हो और बाद में उसकी रज़ामन्दी हो गयी हो तब भी उस पर केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी।

○जानबूझ कर ऐसी चीज़ खाना जिसको खाने के तौर पर और दवा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रोटी, चावल, शरबत वगैरह या किसी दवा का इस्तेमाल करना।

इन चीज़ों से कफ़्फ़ारा वाजिब होने का ज़िक्र इशारे के साथ या खुले तौर पर हज़रत अबूहुरैरा रज़ि० की इस हदीस में आया है, फ़रमाते हैं कि हम सब आप स०अ० के पास बैठे हुए थे कि एक बदू खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूलस! मैं तबाह हो गया। आप स०अ० ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा कि मैंने रोज़े की हालत में पत्नी से संबंध स्थापित कर लिया, आप स०अ० ने पूछा, क्या आज़ाद करने के लिये तुम्हारे पास गुलाम हैं? उसने कहा, नहीं; आप स०अ० ने फ़रमाया, तो क्या दो महीने लगातार रोज़ा रखते हो? उसने कहा, नहीं; आप स०अ० ने फ़रमाया इतना माल है कि साठ गुरीबों को खिला सकते हो? उसने कहा, नहीं। (बुखारी 1936—मुस्लिम 2595)

इससे पता चला कि संबंध स्थापित कर लेने से क़ज़ा व कफ़्फ़ारा दोनों ज़रूरी होंगे और इशारा ये भी मालूम हुआ कि चूंकि खाना—पीना भी इसी दर्जे में है लिहाज़ा

इसका भी यही हुक्म होगा। साथ ही कफ़्फ़ारे का तरीका भी मालूम हुई कि पहले नम्बर पर गुलाम आज़ाद करना है, न कर सके जैसा कि वर्तमान समय में गुलामी का दौर खत्म हो जाने के कारण किसी के लिये भी ये शक्ल सम्भव नहीं, तो दो महीने लगातार रोज़े रखे, अगर इन दो महीनों के बीच रमज़ान आ गया तो या अथाम तशरीक आ गये तो क्रम टूट जायेगा और शुरूआत से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफास (प्रस्व रक्त) की हालत में हो जाये, क्रम उससे भी टूट जायेगा। यद्यपि अगर बीच में औरत को हैज़ (माहवारी) आ जाये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, फिर जब हैज़ रुक जाये तो जितने रोज़े बाकी रह गये थे सिर्फ़ वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

**रोज़ा तोड़ने वाली वो चीज़ें जिनसे क़ज़ा ज़रूरी होती है**

जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और उससे सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होती है, वो चीज़ें निम्नलिखित हैं:

○अगर किसी को खाने पर जान व माल की धमकी देकर मजबूर किया गया, और उसने खौफ़ से खा लिया तो रोज़ा टूट जायेगा लेकिन सिर्फ़ क़ज़ा ज़रूरी होगी। यही हुक्म उस समय होगा जब ग़लती से कुछ खा—पी ले, यानि रोज़ा याद, खाने—पीने का इरादा नहीं था लेकिन खाने—पीने की चीज़ हल्क़ से उत्तर गयी, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जायेगा और सिर्फ़ क़ज़ा वाजिब होगी।

○अगर कोई ऐसी चीज़ खाई या पी जिसको बतौर दवा या गिज़ा नहीं खाया—पिया जाता है जैसे कन्करी वगैरह।

○दांतों में कोई चीज़ अटकी हुई थी, अगर वो चने के बराबर या उससे बड़ी थी तो उसके निगलने से रोज़ा टूट जायेगा और क़ज़ा होगी और अगर चने से छोटी थी तो रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन ये उस वक्त होगा जब मुंह से न

निकाला हो अगर निकाल कर खाये तो चीज़ छोटी हो या बड़ी रोज़ा टूट जायेगा।

○अगर **हक्का** लगाया, या नाक के अन्दरूनी हिस्से में दवा डाली, या कान में तेल या कोई दवा डाली या औरत ने अपनी शर्मगाह में दवा डाली तो रोज़ा टूट जायेगा और केवल क़ज़ा ज़रूरी होगी, लेकिन अगर आंख में दवा डाली या सुरमा लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, इसी तरह अगर कान में पानी डाला तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा।

○कै (उल्टी) के बारे में लोगों में आम तौर से ये गलत फहमी पायी जाती है कि चाहे जिस तरह की भी कै हो रोज़ा टूट जायेगा, इसलिये कै के सिलसिले में आप स0ओ0 ने इशाद फरमाया:

जिसको रोज़े की हालत में खुद से कै हो जाये उस पर क़ज़ा नहीं है और जो जानबूझ कर कै करे उस क़ज़ा ज़रूरी है। (तिरमिजी)

इस हदीस के आधार पर फुक्हा (धार्मिक विद्वानों) ने फरमाया: कै कि कई सूरतें हो सकती हैं लेकिन रोज़ा केवल दो सूरतों में टूटता है, एक ये कि मुंह भर के हो और रोज़ेदार इसको निगल ले, चाहे पूरी कै या चने के बराबर या उससे ज्यादा को निगले। दूसरे ये कि जानबूझ कर कै करे और मुंह भर के कै हो, बकिया किसी और कै से रोज़ा नहीं टूटता है।

○अगर अगरबत्ती या लोबान सुलगाई फिर उसको सूंघा और धुआं अन्दर चला गया तो रोज़ा टूट जायेगा। इसी तरह सिगरेट, बीड़ी इत्यादि से रोज़ा टूट जायेगा।

○अगर बीवी से चुम्बन की वजह से स्खलित हो गया तो रोज़ा टूट जायेगा।

### जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता

भूल कर खाने—पीने, सर में तेल लगाने और नहाने—धोने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर दिन में सो जाये और एहतलाम (वीर्य स्खलित होना) हो जाये तो रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह दिन में इन्जेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है लेकिन बेहतर यही है कि अगर बहुत सख्त ज़रूरत न हो तो इफ्तार के बाद इन्जेक्शन लगवाये। मिस्वाक चाहे ताज़ी या हरी हो या खुशक और सूखी हो उससे रोज़ा नहीं टूटता है यद्यपि मन्जन इत्यादि करना मकरुह है और अगर मन्जन हल्के के नीचे उतर जाये तो

रोज़ा टूट जायेगा। अगर ज़बान से कोई चीज़ चखकर थूक दे तो रोज़ा नहीं टूटता, यद्यपि अनावश्यक ऐसा करना मकरुह है।

आंसू या चेहरे का पसीना एक दो बूंद अनजाने में हल्के में चला जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा। (हिन्दिया 1 / 203)

नाक को इतनी ज़ोर से सुङ्क लिया कि हल्के में चली गयी तो रोज़ा नहीं टूटेगा इसी तरह मुंह की राल निगल जाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। (हिन्दिया 1 / 203)

थोड़ी सी कै आयी फिर खुद ही हल्के में लौट गयी तो रोज़ा नहीं टूटेगा अलबत्ता जानबूझ कर लौटाने से रोज़ा टूट जायेगा। (हिन्दिया 1 / 204)

जिस शख्स ने सहरी में इतना खा लिया हो कि सूरज निकलने के बाद तक डकारे आती हैं और उसके साथ पानी भी आता हो तो उससे रोज़े में कोई फर्क नहीं पड़ता। (हिन्दिया 1 / 203)

रोज़े की हालत में खून निकलवा कर टेस्ट करवाने से रोज़ा नहीं टूटता। (हिन्दिया 1 / 199)

रोज़े की हालत में मज़ी (वीर्य के पहले मूत्र के मार्ग से निकलने वाली एक—दो बूंद) निकलने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

रोज़े की हालत में अपनी बीवी से दिल्लगी करना ऐसे शख्स के लिये जायज़ है जिसे स्खलित होने या हमबिस्तरी का ख़तरा न हो। (हिन्दिया 1 / 200)

अगर शौहर ने बीवी पर शहवत से नज़र की या उसका ख्याल दिल में जमाया जिससे स्खलन हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। (दुर्र मुख्तार 3 / 367)

रमज़ान के महीने में अगर किसी का रोज़ा किसी वजह से टूट जाये तब भी उस पर वाजिब है कि रमज़ान के एहतिराम में दिन में रोज़ेदार की तरह खाने—पीने से बचे।

### रोज़ा कब मकरुह होता है

कुछ बातें ये हैं जिससे रोज़ा टूटता नहीं, लेकिन रोज़े की हालत में उनका करना मना है। इस तरह की कुछ ज़रूरी चीज़ों का ज़िक्र किया जाता है।

○बहुत ज्यादा कुल्ली करना और नाक में पानी

डालना।

○ मुंह में थूक जमा करके निगलना।

○ सहरी में इतनी देर करना की रात का बाकी रहने में शक हो जाये।

○ अनावश्यक किसी चीज़ का चखना या चबाना।

○ रोज़े की हालत में बीवी के लब चूसना।

○ बीवी से दिल्लगी करना जबकि सम्बोग या स्खलन का भय हो।

○ औरत का होटों पर सुर्खी लगाना जबकि पेट में चले जाने का अन्देशा हो।

○ शौहर की इजाज़त के बगैर बीवी का नफिली रोज़ा रखना।

○ पूरे दिन नजिस रहना और गुस्सा न करना।

○ रोज़े की हालत में टूथपेस्ट, कोयला, मन्जन वगैरह करना।

○ कोई भी गुनाह का काम करना जैसे कवाली व फ़िल्म देखना इत्यादि।

○ गीबत करना, लड़ना—झगड़ना, गाली देना।

○ कब रोज़ा रखना हराम है

○ ईदैन यानि ईदुल फ़ित्र व ईदुल अज़हा के दिन।

○ अद्याम तशीक (11, 12, 13 ज़िलहिज्जह)

आप स0अ0 ने ईदुलफ़ित्र व ईदुलअज़हा के दिन रोज़ा रखने से मना फ़रमाया है। (बुखारी 1995)

अद्याम तशीक के बारे में आप स0अ0 ने फ़रमाया कि ये खाने-पीने के दिन हैं। (मुस्लिम 2677)

वो वजहें जिनकी वजह से रोज़ा तोड़ देना जायज़ है

○ अचानक ऐसा बीमार पड़ जाये कि अगर रोज़ा न तोड़ तो जान खतरे में हो जाये या बीमारी बढ़ जाये तो रोज़ा तोड़ देना बेहतर है।

○ गर्भवती औरत को कोई ऐसी बात पेश आ गयी जिससे अपनी जान या बच्चे की जान का खतरा है तो रोज़ा तोड़ देना बेहतर है।

○ किसी काम की वजह से बेहद प्यास लग और इतना बेताब हो गया कि अब जान का खौफ़ है तो रोज़ा तोड़ देना बेहतर है लेकिन अगर जानबूझ कर उसने

इतना काम किया जिसकी वजह से ऐसी हालत हो गयी तो गुनहगार होगा।

○ अगर दूध पिलाने वाली औरत को अन्देशा हो कि रोज़ा रखने की वजह से नवजात शिशु हलाक हो जायेगा या औरत कमज़ोरी की वजह से हलाक हो जायेगी तो इस सूरत में रमज़ान में रोज़ा इफ़तार करे और बाद में रोज़ा क़ज़ा कर ले।

### इतने सफ़र में रोज़ा

कुरआन ने जहां सफ़र की हालत रोज़ा न रखने की इजाज़त दी है वहां कठिनाई का स्तर नहीं बताया है। आम तौर पर सफ़र में कुछ न कुछ मशक्कत होती है इसलिये हालते सफ़र में इफ़तार (रोज़ा न रखने) की इजाज़त है। लिहाज़ा आजकल के आरामदेह सफ़र में भी इफ़तार करना जायज़ है और अगर रोज़ा रख ले तो ज्यादा बेहतर है। (शासी: 3 / 405)

हज़रत आयशा रज़िया फ़रमाती हैं कि हज़रत हम्ज़ा बिन अम्र असलमी रज़िया ने आप स0अ0 से अज़्ज किया कि मैं सफ़र में भी रोज़ा रखूँ और वो बहुत कसरत से रोज़ा रखने वाले सहाबी थे तो आपने जवाब में इरशाद फ़रमाया तुम्हारी मर्जी हो तो रोज़ा रखो और जी चाहे तो रोज़ा न रखो। (मुस्लिम 2625)

### रोज़े का कफ़्फ़ारा

कफ़्फ़ारे में पहले नम्बर पर गुलाम का आज़ाद करना है लेकिन अब गुलामों का चलन नहीं है इसलिये बज़ाहिर ये मुमकिन नहीं है।

कफ़्फ़ारे की दूसरी शक्ल दो महीने रोज़ा रखना है लेकिन इसके लिये ज़रूरी है कि ये रोज़े लगातार रखें जायें, उनका क्रम न टूटे। अगर उन रोजों के बीच रमज़ान का महीना या अद्याम तशीक आ गये तो क्रम टूट जायेगा और फिर से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफास (प्रस्त्र) की हालत में हो जाये, यद्यपि अगर बीच में औरत को माहवारी आये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, और जब रुक जाये तो जितने रोज़े बाकी रह गये थे केवल वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

और अगर किसी को रोज़ा रखने की भी ताक़त नहीं है 60 ग्रीबों को दो वक्त का खाना खिलाये या हर ग्रीब

को सदक-ए-फित्र के बराबर गल्ला दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम) गेहूं या एक साअ (3 किलो 266 ग्राम) जौ या खजूर या उन चीजों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज या नकद रूपये दे। अगर इस तरह करने के बजाये किसी एक गरीब को साठ दिन तक दो वक्त खाना खिला दे, तब भी कफ़ारा अदा हो जायेगा।

### **कुछ नये मस्त्रों और उनका हुक्म**

#### **फन, तम्बाकू और सिगरेट-बीड़ी का हुक्म**

पान तम्बाकू की पीक अगर कोई निगल लेता है तो बिल्कुल साफ़ बात है कि उसने एक चीज़ हलक़ से नीचे उतार ली, लिहाज़ा इससे रोज़े के चले जाने में कोई शक की बात ही नहीं है लेकिन कुछ लोग पीक निगलते नहीं हैं सिर्फ़ पान व तम्बाकू चबाकर उसे थूक देते हैं, इसलिये कुछ लोगों को शुष्का होता है कि उससे शायद रोज़ा नहीं टूटता क्योंकि फुक्हा किराम ने फरमाया है कि किसी चीज़ के चबाने से रोज़ा नहीं टूटता और इस शक्ल में सिर्फ़ चीज़ को चबाया गया खाया नहीं गया लेकिन ये शक ठीक नहीं है इसलिये कि खाने-पीने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया गया है और उन चीजों के चबाने को भी खाना कहते हैं, फिर कुछ तो बहरहाल हलक़ के नीचे उतर जाता है साथ ही इसके आदी लोगों को इसमें खास लज्जत मिलती है लिहाज़ा न केवल ये कि उनसे रोज़ा टूट जायेगा, बल्कि अगर उन चीजों को जानबूझ कर इस्तेमाल किया गया तो कफ़ारा भी लाजिम होगा।

इसी हुक्म में गुल से दांत मांजना भी है। इसलिये कि इसमें भी खास लज्जत मिलती है और कुछ हिस्सा के अन्दर जाने का बहुत हद तक संभावना रहती है।

जहां तक बीड़ी-सिगरेट इत्यादि का संबंध है तो उसमें जानबूझ कर धुआं अन्दर लिया जाता है और जानबूझ कर धुआं अन्दर लेने से रोज़ा टूट जाता है। अतः इन सारी चीजों से परहेज़ ज़रूरी है।

#### **मन्जन और दूथपेस्ट का हुक्म**

आप स0030 ने मिस्वाक की बड़ी ताकीद फरमायी है। इस एतबार से फुक्हा ने रमजान में भी मिस्वाक करने की इजाज़त दी है चाहे मिस्वाक की लकड़ी सूखी हो या गीली लेकिन अगर मिस्वाक की तरी उसकी हलक़ के नीचे उतर जाये तो रोज़ा टूट जाता है लिहाज़ा रोज़े की

हालत में मिस्वाक करते हुए इसका ख्याल रखना चाहिये कि मिस्वाक की तरी या लकड़ी का कोई हिस्सा हलक़ से नीचे न उतरने पाये।

जहां तक मन्जन व दूथपेस्ट इत्यादि का संबंध है तो उनका हुक्म मिस्वाक के हुक्म से अलग है इसलिये कि इनमें जायका बहुत बढ़ा हुआ होता है, लिहाज़ा जिस तरह फुक्हा ने फरमाया कि किसी ज़रूरत के बगैर किसी चीज़ का चबाना मकरूह है, उसी तरह इन सब चीजों का भी हुक्म होगा, अलबत्ता किसी खास ग्रज़ से अगर उन चीजों से दांत साफ़ करे तो इन्हाँ अल्लाह कराहत नहीं होगी।

#### **आक्सीजन का हुक्म**

दमे के मरीज़ को दौरा पड़ने के वक्त आक्सीजन दी जाती है। रोज़े की हालत में इस तरह आक्सीजन लेने का क्या हुक्म होगा? फिक्ही जुज़ को सामने रखा जाये तो ख्याल होता है कि अगर होता है कि अगर आक्सीजन के साथ कोई दवा न हो तो रोज़ा नहीं टूटना चाहिये क्योंकि ये सांस लेना है और सांस लेने के ज़रिये हवा लेने से रोज़ा नहीं टूटता है और न उसे खाने-पीने में गिना जाता है। अगर इसके साथ दवा के कण भी हों तो फिर उससे रोज़ा टूट जायेगा। (जदीद फिक्ही मसले : 188/1)

जहां तक दमे के मरीज़ के लिये इन्हेलर (Inhaler) के प्रयोग का संबंध है तो चूंकि इसमें दवा मिली हुई होती है लिहाज़ा इससे रोज़ा टूट जायेगा।

#### **इंजेक्शन और ड्रिप लगवाना**

उलमा की सहमति इसी पर है कि इन्जेक्शन चाहे किसी भी प्रकार का हो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे रग में लगाया जाये या गोश्त में। यही हुक्म ड्रिप (Drip) लगवाने का भी है, लेकिन बगैर किसी ग्रज़ के बेहतर यही है कि दिन में न लगवाये, ज़रूरत हो तो दिन में भी लगवा सकता है, लेकिन सिर्फ़ इस मक्सद से ड्रिप लगवाना कि बदन में ताक़त आ जाये और प्यास में कमी हो जाये मकरूह है।

#### **जब्बन के नीचे दवा रखना**

फुक्हा ने अनावश्यक किसी चीज़ को मुंह में रखने और चखने को मकरूह करार दिया है, यद्यपि ये स्पष्ट किया

गया है कि अगर किसी कारण से ऐसा करे तो कराहत नहीं होगी। कारण की मिसाल में फुक्हा ने लिखा है कि शौहर अगर बदअखलाक और सख्त मिजाज वाला हो तो उसकी बीवी के लिये नमक इत्यादि का पता लगाने के लिये चखना जायज़ होगा। लेकिन साथ ही ये साफ़ है कि अगर कोई ऐसी चीज़ मुंह में रखी या चबाई जिसका हलक के नीचे उतर जाना विश्वसनीय है तो रोज़ा टूट जायेगा। इसकी मिसाल में फुक्हा ने कुछ गोंदो का नाम लिया है। शायद इसी वजह से हमारे उलमा ने पान तम्बाकू इत्यादि के मुंह में रखने को रोज़ा तोड़ने वाला बताया है। इसलिये कि इसका असर साफ़ तौर पर हलक के नीचे पहुंच जाते हैं और तम्बाकू की तलब पूरी हो जाती है।

इस तफ्सील के बाद हम आसानी से फैसला कर सकते हैं कि ‘इंजाइना’ (दिल का रोग) के मरीज़ों के लिये (Angina) इस ज़रूरत से कहीं बढ़कर है जिसके तहत बीवी को नमक चखने की छूट दी गयी है और सवाल केवल ये रह जाता है कि ये दवा हलक के नीचे तो नहीं उतरती? अगर एहतियात के बावजूद दवा के जर्रात खास गोंद की तरह हलक के नीचे उतर जाते हों तो उसके मुंह में रखने से रोज़ा टूट जायेगा और जबान के नीचे रखने के बाद इफाका हो जाने से लगता है ज़ाहिरी तौर पर यही बात है। लेकिन विशेषज्ञों की राय है कि ऐसा नहीं है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जहाँ तक हो सके रोज़ेदार इस गोली का इस्तेमाल न करे, लेकिन इसके इस्तेमाल से रोज़ा उसी वक्त टूटेगा जब दवा मिला हुआ लुआब हलक के नीचे उतर जाये। सिर्फ़ जबान के नीचे गोली रखना रोज़ा टूटने की वजह नहीं होगी।

### प्रेक्षण के स्थान तक नली का पहुंचना

यदि मर्द के मुसाना तक नली पहुंचाई जाये तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा चाहे नली सूखी हो या गीली इससे दवा पहुंचाई जाए या नहीं और औरत के मुसाना में नली पहुंचाई जाए तो यदि नली गीली है तो या इससे दवा पहुंचाई गई है तो रोज़ा टूट जाएगा लेकिन अगर नली सूखी हो और इससे दवा भी न पहुंचाई गई हो तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

### इन्हेलर का इस्तेमाल

जिन लोगों को दमे की शिकायत होती है उनको इन्हेलर के ज़रिये दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसके ज़रिये पाउडर का बहुत छोटा कण फेफड़ों तक

पहुंचाया जाता है। इलाज के इस तरीके के ज़रिये दवा के इस्तेमाल से रोज़ा टूट जायेगा। इसलिये फ़िक के नज़रिये से साफ़ ज़ाहिर हो रहा है कि मनाफ़िज़—ए—अस्लिया (मुंह, दिमाग, नाक, कान, अगली—पिछली शर्मगाहे) से जब किसी चीज़ को दाखिल किया जा रहा हो तो केवल दाखिले से रोज़ा टूट जाता है और इन्हेलर के इस्तेमाल में बहरहाल दखल होता है चाहे दवा कम ही क्यों न हो।

### भाप की शब्द में दवा का इस्तेमाल

निमोनिय और कई दूसरी बीमारियों में भाप के ज़रिये भी दवा इस्तेमाल की जाती है। ये इस्तेमाल कभी दवा को पानी में डालकर और पानी को खौलाकर उसकी भाप मुंह और नाक से लेकर किया जाता है और कभी ये काम कुछ यन्त्रों के द्वारा किया जाता है। बहरहाल भाप चाहे किसी भी यन्त्र की मदद से ली जाये या सादा तरीके से, दोनों हालतों में रोज़ा टूट जायेगा, इसके लिये फुक्हा ने साफ़ किया है कि जानबूझ कर धुआं हलक के नीचे उतारने से रोज़ा टूट जाता है और ये बात इसमें मुकम्मल तौर पर पायी जाती है।

### बवासीरी मस्सों पर मरहम लगाने का आदेश

अगर पीछे के रास्ते से किसी दवा का प्रयोग किया जाए और दवा हुक्ना (पिछली शर्मगाह का भीतरी भाग) लगाने के स्थान तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है। इसलिए फुक्हा ने इसको भी हुक्ना लगाने के स्थान में सम्मिलित किया हैं जबकि फुक्हा ने स्पष्ट किया है कि यदि दवा हुक्ना लगाने के स्थान तक न पहुंचे तो रोज़ा नहीं टूटेगा।

इस व्याख्या से स्पष्ट हो गया है कि कोई दवा या मरहम लगाने से या इसको पानी से तर करके चढ़ाने से रोज़ा नहीं टूटेगा इसलिए कि जानकारों का कहना है कि बवासीरी मस्से हुक्ना लगाने के स्थान से बहुत नीचे होते हैं।

### रोग की पुष्टि के द्वारा यन्त्रों का प्रयोग

अगर रोग की खोज के लिए पीछे के गुप्तांग में किसी यन्त्र की सहायता ली जाए तो अगर यह यन्त्र सूखे हैं और इनका एक सिरा बाहर है जैसा कि आमतौर पर होता है तो इन यन्त्रों को अन्दर डालने से रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर यन्त्र पर कोई तेल या ग्रीस जैसी चीज़ लगाकर इसे अन्दर किया गया है तो रोज़ा टूट जाएगा।

यही आदेश किसी औरत के गुप्तांग में खोज के लिए किसी यन्त्र को प्रवेश कराने का भी है।

# रमज़ानुबातुबारकाठी औरतोंके घरान्ब

औरत सुबह सादिक के बाद माहवारी से पाक हो

अगर औरत सुबह सादिक के बाद दिन में किसी भी वक्त माहवारी या प्रस्व से पाक हुई तो आज के दिन वो रोज़ा नहीं रखेगी बल्कि बाद में उस दिन की क़ज़ा करेगी, अलबत्ता रोज़ेदारों की तरह शाम तक खान-पीने से परहेज करे। (तन्वीरुल अबसार: 3/342)

अगर औरत सुबह सादिक से पहले माहवारी से पाक हो गयी तो उस सूरत में तफ़सील ये है:

अगर वो दस दिन पूरे माहवारी में रहकर पाक हुई है, तो अब चाहे सुबह सादिक से पहले उसे गुस्ल का मौका मिला हो या न मिला हो, बहरहाल वो अगले दिन का रोज़ा रखेगी।

अगर दस दिन से कम में औरत पाक हुई है तो ये देखा जायेगा कि सुबह सादिक से पहले वो गुस्ल करके पाक हो सकती है या नहीं? अगर इतना वक्त है कि पाक हो सकती है तो उस पर अगले दिन का रोज़ा रखना ज़रूरी होगा, और अगर इतना वक्त नहीं है कि गुस्ल कर सके जैसे कि ऐन सुबह सादिक के वक्त पाक हुई है तो अब उस पर अगले दिन का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, बल्कि बाद में क़ज़ा करेगी। (हिन्दिया: 1/207)

**औरत के लिये हैज़ के दिन य़ह हैं**

औरत पर अगर कफ़ारा लाज़िम हो जाये तो उसके (माहवारी) नापाकी के दिन उज़ समझे जायेंगे, इन दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी, रोज़ा न रखने से उसके कफ़ारे के रोज़े के क्रम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकी के फौरन बाद लगातार रोज़े रखने होंगे।

**मुस्तब्बा का रोज़ा**

माहवारी या प्रस्व की मुददत से ज़्यादा दिनों तक

खून आये, इसी तरह आदत वाली औरतों को आदत से ज़्यादा दिन तक खून आये, ऐसी औरतों के लिये रोज़े की क़ज़ा नहीं है बल्कि वो इस्तहाज़ा (माहवारी के बाद भी खून आना) का खून आने के बावजूद रोज़ा रखेंगी। (रद्दुल मुख्तार: 3/390)

**गर्भवती और दूध पिलाने वाली औरतों के लिये कुछ**

गर्भवती औरतों के गर्भ के कारण से जिस्मानी परेशानियों का सामना हो और रोज़ा रखने में मुश्किल पेश आ रही हो तो उसके लिये इजाज़त है कि रमज़ान में रोज़ा न रखे और बाद में क़ज़ा कर ले, इस पर कोई गुनाह नहीं होगा। इसी तरह दूध पिलाने वाली औरत के लिये भी इजाज़त है कि बाद में सिर्फ़ छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा कर ले। आप स0अ0 ने फ़रमाया:

“गर्भवती और दूध पिलाने वाली औरत से रोज़ा माफ़ फ़रमा दिया।” (तिरमिज़ी: 1750)

**रोज़े की हालत में बच्चों को दूध पिलाना**

औरतें जिहालत की वजह से समझती हैं कि रोज़े की हालत में बच्चों को दूध पिलाने से रोज़ा टूट जाता है। ये ख्याल ठीक नहीं है। इसलिये कि रोज़ा किसी चीज़ के पेट या दिमाग में दाखिल होने की वजह से टूटता है न कि जिस्म के किसी चीज़ के निकलने से। नवजात शिशुओं को दूध पिलाने से रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। (रमज़ान के शरई अहकाम: 192)

**हैज़ को रोकने वाली गोलियों का इस्तेमाल**

औरतों को हैज़ आना एक फ़ितरी काम है और फ़ितरी काम को रोकने से जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। अल्बत्ता लोगों के साथ रोज़ा रखने की ख्वाहिश में हैज़ न आने वाली गोलियों का इस्तेमाल करना चाहे तो उसकी इजाज़त है।

## औरतों के लिये तरावीह

रमजान के महीने में मर्दों की तरह औरतों के लिये भी तरावीह सुन्नत—ए—मुअक्कदा है, सिर्फ़ औरतें अगर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ें तो कराहत के साथ नमाज़ हो जायेगी।

बाज़ घरानों में औरतों की जमाअत कायम हो जाती है और उसके लिये हाफिज़ या इमाम तय किया जाता है, ऐसी सूरत में अगर इमाम के पीछे मर्द या औरतों में कोई इमाम का महरम हो (मां, बहन, बीवी) तो बिला कराहत सभी की नमाज़ हो जायेगी, और अगर इमाम के पीछे कोई मर्द या इमाम का महरम मौजूद नहीं तो इस सूरत में नमाज़ कराहत के साथ दुरुस्त होगी। (हिन्दिया: 1 / 85)

## औरतों का एतिकाफ़

औरतों के लिये एतिकाफ़ करना सुन्नत है, लेकिन ये ज़रूरी है कि शौहर से इजाज़त ले ले। उनके लिये मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरूह है, उनके लिये एतिकाफ़ की सबसे बेहतरीन जगह घर है और घर में कोई ऐसी जगह जो पहले ही से नमाज़ के लिये तय हो वहीं एतिकाफ़ करे ये इमाम अबू हनीफ़ा की राय है क्योंकि इस दौर में औरतों का मस्जिद में मोतकिफ़ होना फिल्म से खाली नहीं, इसलिये रसूलुल्लाह सॡ०३० ने औरतों को मस्जिद में नमाज़ अदा करने के मुकाबले में घर में अदा करने को बेहतर करार दिया है। इसी तरह मुस्तहाज़ा (जिसे माहवारी के बाद भी खून आये) औरत के लिये एतिकाफ़ करना दुरुस्त है।

## भूर्ण तक यन्त्रों का पहुंचना :

भूर्ण की सफाई के लिए और बच्चेदानी के मुंह को बड़ा करने के लिए जो यन्त्र (**Dilators**) प्रयोग किये जाते हैं और आन्तरिक रहम को खुरचने का यन्त्र (**Curette**) अगर इन पर कोई तेल इत्यादि लगाकर इन को दाखिल किया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और इनको सूखा प्रवेश कराने से रोज़ा नहीं टूटेगा।

लेकिन यदि सूखा प्रवेश कराकर एक बार बाहर निकाल कर बिना साफ किये फिर प्रवेश करा दिया जाए तो रोज़ा टूट जाएगा।

## औरत के गुप्तांग में दवा सर्जना :

यदि गुप्तांग में दवा रखी जाए या रखी ऊपरी भाग में जाए लेकिन आन्तरिक भाग तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाएगा चाहे दवा सूखी हो या गीली।

इसी तरह मर्द या औरत किसी दवा या पानी इत्यादि से तर उंगली अपनी शर्मगाह में दाखिल करेगा तो फुक्हा के अनुसार रोज़ा टूट जायेगा। यहां तक कि लेडी डाक्टर अगर सूखी उंगली अन्दर ले जाये तो रोज़ा नहीं टूटेगा लेकिन अगर दोबारा गीली उंगली ले जाती है तो रोज़ा टूट जायेगा। (हिन्दिया: 1 / 204)

## औरतों और छेद की नमाज़

रसूलुल्लाह सॡ०३० के ज़माने में औरतों को ईद की नमाज़ की इजाज़त थी। (तिरमिज़ी: 539)

आप सॡ०३० के ज़माने में ख़ैर ही ख़ैर थी, औरतों में हया थी, मर्द भी अपनी निगाह नीची रखते थे, और फिल्म का अन्देशा भी कम था, आज की तरह बेहयाई आम नहीं थी, मौजूदा दौर में औरतों को ईद की नमाज़ की इजाज़त नहीं है।

## हज़रत आयशा रज़ि० फरमाती है:

“औरतों में अब जो कैफियत पैदा हो गयी है, अगर आप सॡ०३० ने देखा होता तो उनको मस्जिद जाने से इसी तरह मना फरमाया होता जैसे कि बनी इस्माइल की औरतों को मना कर दिया गया था।” (बुखारी: 869)

ज़ाहिर है कि हज़रत आयशा रज़ि० के ज़माने के एतबार से अब समाजी हालात और बदतर हो गये हैं। फिल्म के मौके भी बढ़ गये हैं, औरतों की ऐश व आराइश का ज़ज्बा भी पहले से कहीं बढ़ गया है, इसलिये मौजूदा हालात में भी औरतों का ईद वगैरह की नमाज़ में शिरकत करना मुनासिब नहीं।

और न ही ईद अकेले घर पर पढ़ सकती हैं, इसलिये कि औरतों पर जुमा और ईद वाजिब ही नहीं रखा गया है, इसके बरखिलाफ़ पर्दा और घर में रहने को ज़रूरी करार दिया गया। (अलएहज़ाब: 33)

इसलिये औरतों को घर में रहकर कुरान के हुक्म पर अमल करके सवाब हासिल होगा, और ईदगाह में जायें और नाखुशगवाहर हालात पेश आयें तो उनसे दीन और दीन की जगहों की बदनामी होगी, इसलिये औरतों का ईदैन में न जाना ही ज्यादा बेहतर है।

# कफुफारा और फिदिया

## रोजे का कफुफारा

कफुफारे में पहले नम्बर पर गुलाम का आजाद करना है लेकिन अब गुलामों का चलन नहीं है इसलिये बजाहिर ये मुमकिन नहीं है।

कफुफारे की दूसरी शक्ल दो महीने रोज़ा रखना है लेकिन इसके लिये ज़रूरी है कि ये रोज़े लगातार रखें जायें, उनका क्रम न टूटे। अगर उन रोज़ों के बीच रमज़ान का महीना या अद्याम तश्रीक आ गये तो क्रम टूट जायेगा और फिर से रोज़े रखने पड़ेंगे। यही हुक्म उस वक्त भी होगा जब बीमार हो जाये या औरत निफास की हालत में हो जाये, यद्यपि अगर बीच में औरत को माहवारी आये तो वो रोज़े रखना बन्द कर दे, और जब रुक जाये तो जितने रोज़े बाकी रह गये थे केवल वही रख ले फिर से रखने की ज़रूरत नहीं है।

और अगर किसी को रोज़ा रखने की भी ताक़त नहीं है 60 ग्रीबों को दो वक्त का खाना खिलाये या हर ग्रीब को सदक़-ए-फित्र के बराबर गुल्ला दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम गेहू़) या एक साअ (3 किलो 266 ग्राम) जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये दे। अगर इस तरह करने के बजाये किसी एक ग्रीब को साठ दिन तक दो वक्त खाना खिला दे, तब भी कफुफारा अदा हो जायेगा।

## फिदिया

अगर कोई व्यक्ति किसी शर्ई कारण से रोज़ा नहीं रख सकता है जैसे सख्त बीमार, बुढ़ापा, कमज़ोरी इत्यादि के कारण से तो उसके लिये शरीअत ने फिदिया रखा है, यानि एक ग्रीब को खाना खिलाना, उसकी सराहत खुद कुरआन मजीद में मौजूद है:

“फिदिया ये है कि मिस्कीन को खाना खिलाया जाये।” (सूरह बकरा : 184)

इसलिये ऐसे कमज़ोर व लाचार व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वो हर रोज़े के बदले किसी ग्रीब को दो वक्त अच्छे से खाना खिला दे और खाना खिलाने के बजाये गुल्ला देना चाहता हो तो सदक़-ए-फित्र के बराबर दे दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम गेहू़) या एक साअ जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये दे।

## फिदिया का आदेश और उसकी मत्रा

अगर कोई व्यक्ति किसी शर्ई कारण से रोज़ा नहीं रख सकता है जैसे सख्त बीमार, बुढ़ापा, कमज़ोरी इत्यादि के कारण से तो उसके लिये शरीअत ने फिदिया रखा है, यानि एक ग्रीब को खाना खिलाना, उसकी सराहत खुद कुरआन मजीद में मौजूद है:

“फिदिया ये है कि मिस्कीन को खाना खिलाया जाये।” (सूरह बकरा : 184)

इसलिये ऐसे कमज़ोर व लाचार व्यक्ति के लिये आवश्यक है कि वो हर रोज़े के बदले किसी ग्रीब को दो वक्त अच्छे से खाना खिला दे और खाना खिलाने के बजाये गुल्ला देना चाहता हो तो सदक़-ए-फित्र के बराबर दे दे यानि आधा साअ (1 किलो 633 ग्राम गेहू़) या एक साअ (3 किलो 266 ग्राम) जौ या खजूर या उन चीज़ों की कीमत के बराबर कोई दूसरी चीज़ या नक़द रूपये दे।

हज़रत सहल बिन साद रज़ियो नक़ल  
फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (सॡ०अ०)  
का इश्शाद है फ़रमाते हैं कि:  
“ज़न्नत के आठ दरवाज़े हैं। उनमें  
से एक दरवाज़े का नाम ‘ऐर्यान’  
है, जिसमें से सिर्फ़ रोज़ादार दाङिल  
होंगे।”

# तरावीह की नमाज़

तरावीह सुन्नते मुअकदा है मर्दों के लिये भी और औरतों के लिये भी। अगर कोई तरावीह के सुन्नत होने का इनकार करे तो उसे फुक्हा ने गुमराह के खाने में रखा है और ऐसे शख्स की गवाही को नाकाबिले कुबूल करार दिया गया है।

हज़रत इमाम अबू हनीफा रह0 से खुद उनके शागिर्द हसन बिन ज़ियाद रज़ि0 ने नक़ल किया है:

“यानि तरावीह की नमाज़ सुन्नत है, इसका तर्क करना जायज़ नहीं।”

इससे कई किताबों में तरावीह के सुन्नत या मुस्तहब होने के संबंध में जो संदेह है वो समाप्त हो जाता है।

## तरावीह की रक्तात्मा

रमज़ानुल मुबारक की एक श्रेष्ठ इबादत तरावीह की नमाज़ है जो अपनी अलग शान रखती है इस नमाज के ज़रिये रमज़ान में मस्जिदों की रौनक बढ़ जाती है और इबादात के शौक में गैर मामूली इज़ाफा हो जाता है।

आप स0अ0 ने रमज़ानुल मुबारक में तीन दिन मस्जिद—ए—नबवी में तरावीह की नमाज़ बा जमात पढ़ाई लेकिन जब भीड़ बढ़ने लगी और सहाबा किराम का गैरमामूली शौक देखा तो आप को ख़तरा हुआ कि कहीं ये नमाज़ उम्मत पर फ़र्ज़ न कर दी जाये तो आप स0अ0 ने ये सिलसिला ख़त्म कर दिया। (बुख़ारी 2012 – मुस्लिम 1783)

सालबा बिन अबी मालिक रह0 रिवायत करते हैं कि एक बार आप स0अ0 मस्जिद तशरीफ़ लाये तो देखा कि मस्जिद के एक कोने में कुछ लोग जमात से नमाज़ पढ़ रहे हैं। आप स0अ0 ने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? तो किसी ने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल स0अ0 ये वो लोग हैं जिनको कुरआन मजीद हिफ़ज़ नहीं है। हज़रत उबई इब्ने काब रज़ि0 नमाज़ में कुरआन करीम पढ़ रहे हैं और ये लोग उनकी इक्वितदा में नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये

सुनकर आप स0अ0 ने फ़रमाया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया और आप ने उनके बारे में कोई नागवारी की बात इरशाद नहीं फ़रमायी। (सुननुल कुबरा अल बैहिकी: 2 / 697)

इस हदीस की तपसील से मालूम हो गया कि नबूवत के दौर में रमज़ान की वो ख़ास नमाज़ जिसे बाद में तरावीह का नाम दिया गया यक़ीनन पढ़ी जाती रही है और सहाबा उस नमाज़ से बखूबी वाकिफ़ थे। और अकेले—अकेले और कभी जमात से पढ़ा करते थे। दौरे सिद्दीकी और दौरे फ़ारुकी के शुरूआती ज़माने तक ये सिलसिला धूं ही जारी रहा उसके बाद हज़रत उमर फ़ारुक रज़ि0 ने ये देखकर कि लोग मस्जिद में अकेले और छोटी छोटी टोलियां बनाकर तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं। आप ने मुनासिब समझा कि तरावीह की बाक़ायदा नमाज़ कायम कर दी जाये। इसीलिये आप ने हज़रत उबई इब्ने काब रज़ि0 को तरावीह का इमाम तय फ़रमाया और हज़रात सहाबा किराम हज़रत उबई इब्ने काब की इक्वितदा में तरावीह की नमाज़ पढ़ने लगे। (बुख़ारी 2010)

अक्सर रिवायत और आसारे सहाबा से बीस रक्तात तरावीह का पता चलता है। लोग हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब रज़ि0 के ज़माने में 23 रक्तात पढ़ते थे। (मुअत्ता 448)

हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 के ज़माने में बीस रक्तात तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। (नस्खुराया: 2 / 154)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को बीस रक्तात पढ़ाए। (मुसन्नफ़ अबी शैएबा 7764)

हज़रत उबई इब्ने काब रज़ि0 रमज़ान में लोगों को बीस रक्तात पढ़ाते थे और तीन रक्तात वित्र पढ़ते थे। (मुसन्नफ़ अबी शैएबा 7766)

तरावीह सुन्नते मुअक़दा है। मर्दों के लिये भी और औरतों के लिये भी। अगर कोई तरावीह के मशरूम व सुन्नत होने का इनकार करे तो फुक्हा ने गुमराह के हिस्से में रखा है। और ऐसे शब्द की गवाही को नाकाबिले कुबूल करार दिया गया है।

हज़रत इमाम अबू हनीफा से उनके शार्गिद हसन बिन ज़ियाद ने नकल किया है कि तरावीह की नमाज़ सुन्नत है उसका छोड़ना जायज़ नहीं। इससे कई किताबों में तरावीह के सुन्नत या मुस्तहब होने के संबंध में जो शक है वो दूर हो जाता है।

**तरावीह की नमाज़ में दस सलाम के साथ बीस रकातें हैं:** तरावीह की रकातों के सिलसिले में कई इख्तिलाफ़ पाये जाते हैं लेकिन हकीकत यही है कि अइम्मा अरबा 20 / रकात पर सहमत हैं। हज़रत उमर फ़ारुक रज़ि० के जमाने में मुसलमानों में पाबन्दी से 20 / रकात तरावीह का मामूल रहा है और आज तक हरमैन शरीफ़ैन में मामूल कायम है।

जिस तरह मस्जिद में तरावीह की नमाज़ अदा की जाती है उसी तरह घर में अदा की जा सकती है। लेकिन ये ख्याल रहे कि तरावीह सुन्नते किफ़ाया है और अगर किसी मस्जिद में तरावीह की जमाअत बिल्कुल ही न हो तो उस मुहल्ले के सभी नमाज़ी गुनहगार होंगे अलबत्ता अगर कुछ लोगों ने मस्जिद में अदा की और कुछ ने अपने घर में हर्ज़ नहीं। वो महज़ जमाअत की फ़ज़ीलत का तारिक होंगे। इसी तरह अगर घर पर नमाज़ जमाअत के साथ अदा कर ली तो जमाअत की फ़ज़ीलत तो हासिल होगी अलबत्ता मस्जिद की फ़ज़ीलत से महरूमी रहेगी। हाँ अगर दीनी एतबार से किसी की इतनी वजाहत हो कि उसकी गैर हाज़िरी की वजह से मस्जिद में नमाजियों की संख्यां प्रभावित हो सकती हो तो उसके लिये मस्जिद में ही नमाज़ अदा करना बेहतर होगा।

### नियत

तरावीह की नमाज़ पढ़ते हुए “तरावीह” या “सुन्नत वक़्त” या “क्यामुल लैल रमज़ान” की नियत करे, सिर्फ़ नमाज़ या नफ़िल नमाज़ का इरादा काफ़ी नहीं क्योंकि ये एक मुस्तकिल नमाज़ है। इसी आधार पर अगर फर्ज़ पढ़ने वाले इमाम या मुत्लक नफ़िल नमाज़ पढ़ने वाले इमाम की इकत्तदा में तरावीह की नमाज़ अदा की जाये तो ऐसा

करना ठीक नहीं होगा, कई हज़रात की राय ये है कि हर दो रकात पर मुस्तकिल नियत करे लेकिन ज़्यादा सही ये है कि एक बार की नियत काफ़ी होगी, इसलिये कि तमाम रकात एक ही नमाज़ के दर्जे में है।

### तरवीह

तरवीहा (चार रकात के बाद बैठना) के लिये कोई खास इबादत तय नहीं है बल्कि अखिलायार है चाहे ज़िक्र करें या तिलावत करें, या अकेले—अकेले नफ़िल पढ़ें। कई फुक्हा से ये दुआ पढ़ना मनकूल है अतः जिसका जी चाहे इसे पढ़ सकता है। (शामी 2 / 497)

**विभिन्न आदेश:** अगर तरावीह में कोई रकात फ़ासिद हो गयी तो इमाम को उसमें पढ़ा गया कुरआन दोहरा लेना चाहिये।

बेहतर ये है कि एक ही इमाम 20 / रकाते पढ़ाएं अगर दो या उससे ज़्यादा पढ़ाएं तो भी अफ़ज़ल है कि तरावीह की रकात पूरी होने के बाद इमाम बदला जाये।

नाबालिग जो बाशऊर हो चुका हो, कई फुक्हा ने उसकी इमामत की तरावीह में इजाज़त दी है, लेकिन अक्सर फुक्हा इससे मना करते हैं। इसलिये नाबालिग की इमामत सही नहीं है।

अगर तीन रकातें पढ़ी मगर दूसरी रकात पर बैठ जाये तो दो सही हो गयीं और तीसरी खराब हो गयी। तीसरी रकात में जो कुरआन का हिस्सा पढ़ा गया है तो उसे दोहरायें और अगर एक सलाम से तीन रकातें पढ़ी और दूसरी रकात में बैठा नहीं तो तीनों रकातें बातिल हो गयीं इसमें पढ़ा गया कुरआन दोहराया जायेगा और अगर एक सलाम से चार रकातें पढ़ी और दूसरी रकात पर बैठा तो चारों सही हो गयीं और अगर एक सलाम से चार रकात पढ़ी और पहले कादे में नहीं बैठा तो सिर्फ़ आखिर की दो रकात मान्य होंगी और पहली दो रकातें बातिल हो जायेंगी। इन दो रकातों में जो कुरआन पढ़ा है उसे दोहराया जायेगा। (शामी 2 / 421)

तरावीह में कोई सूरत या आयत छूट गयी, फिर आगे की रकात में इसकी दोहराया गया तो बेहतर है कि उसके बाद पढ़े हुए कुरआन को भी दोहरा दे।

अगर किसी की तरावीह की कुछ रकात जमाअत से छूट जाये तो वो तरवीहा के वक़्त में रकात पूरी कर ले अगर

(शेष पेज 37 पर)

# एतिकाफ़

एतिकाफ़ अरबी ज़बान का एक शब्द है जिसका अर्थ ठहरने और स्वयं को रोक लेने का है। शारीअत के अनुसार मस्जिद के अन्दर नियत के साथ अपने आप को कुछ विशेष चीजों से रोके रखने का नाम एतिकाफ़ है। रसूलल्लाह स०अ० ने एतिकाफ़ के खास फ़ाइदे बयान किये हैं। आप स०अ० ने फरमाया कि एतिकाफ़ की हालत में एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से तो दूर रहता ही है और मस्जिद से बाहर न निकलने की वजह से जिन नेकियों से वंचित रहता है वो नेकियां भी अल्लाह तआला के करम से उसकी नेकियों में शामिल हो जाती हैं। रसूलल्लाह स०अ० ने जिस पाबन्दी से एतिकाफ़ फरमाया उम्मलमोमिनीन हज़रत आयशा रज़ि० कहती हैं कि आप स०अ० वफ़ात तक बराबर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दस दिनों में एतिकाफ़ फरमाते रहे। फिर आप स०अ० के बाद आप की बीवियों ने भी एतिकाफ़ फरमाया। दस दिन का एतिकाफ़ आप स०अ० का नियम था। एक साल एतिकाफ़ न कर सके तो दूसरे साल बीस दिन का एतिकाफ़ फरमाया।

## एतिकाफ़ के प्रकार

फुक़हा ने आदेश और महत्व के आधार पर एतिकाफ़ की तीन किस्में बयान की हैं वाजिब, मसनून, मुसतहब

**वाजिब एतिकाफ़ :** किसी नज़र और मन्त्र मांगने की वजह से दूसरी इबादतों की तरह एतिकाफ़ भी वाजिब हो जाता है। एतिकाफ़ कम से कम एक दिन का होगा उससे कम का नहीं और उसकी नज़र के समय रोज़ा रखने की नियत हो या न की हो, बहरहाल रोज़ा रखना आवश्यक होगा।

**मसनून एतिकाफ़ :** रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दस दिनों में एतिकाफ़ सुन्नते मुएक्कदा अलल किफाया है यानि अगर किसी एक व्यक्ति ने एतिकाफ़ कर लिया तो सभी के ऊपर से सुन्नत को तर्क करने का गुनाह ख़त्म हो जाएगा; और अगर किसी ने नहीं किया तो सुन्नत को तर्क करने के गुनहगार होंगे। एतिकाफ़ मसनून के लिए रोज़ा

ज़रूरी है।

एतिकाफ़ का तरीका ये है कि बीस रमज़ानुल मुबारक को अस्स के बाद सूरज ढूबने से पहले एतिकाफ़ की नियत से मस्जिद में दाखिल हो जाए और उन्तीस रमज़ानुल मुबारक को ईद का चांद होने के बाद या तीस तारीख़ को सूरज ढूबने के बाद वापस आ जाए।

**नफ़िल एतिकाफ़ :** नफ़िल एतिकाफ़ में न रोज़ा की शर्त है न मस्जिद में रात गुज़ारने की और न दिनों की कोई संख्या है जितने दिन और जितनी देर का चाहे एतिकाफ़ कर सकता है उसका तरीका ये है कि मस्जिद में दाखिल होते समय एतिकाफ़ की नियत कर ले। इस प्रकार जब तक वो मस्जिद में रहेगा एतिकाफ़ का सवाब मिलता रहेगा और जब बाहर आ जाएगा तो एतिकाफ़ ख़त्म हो जाएगा।

## एतिकाफ़ की शर्तें

एतिकाफ़ सही होने के लिए एतिकाफ़ करने वाले का मुसलमान और बालिग होना, नियत का होना, मर्द का नापाकी व औरत का माहवारी से पाक होना और ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ करना जिसमें पांच वक्त की नमाज़ अदा की जाती हो शर्त है। बालिग होना ज़रूरी नहीं बालिग होने के निकट और समझदार नाबालिग भी एतिकाफ़ कर सकते हैं। वाजिब और मसनून एतिकाफ़ के लिए रोज़ा रखना भी ज़रूरी है।

## एतिकाफ़ की बेहतर जगह

एतिकाफ़ उन इबादतों में से है जिसकी अदाएगी मस्जिद में होनी चाहिए, कहीं और बैठ जाना काफ़ी नहीं इसलिए कि यही रसूलल्लाह स०अ० का नियम रहा है और हज़० अली रज़ि० से रिवायत है कि आप स०अ० ने फरमाया कि एतिकाफ़ केवल मस्जिद में ही होता है। एतिकाफ़ के लिए मर्दों के हक़ में सबसे बेहतर मस्जिदे हराम फिर मस्जिदे नबवी फिर मस्जिदे अक्सा और फिर शहर की जामा मस्जिद जहां नमाज़ी अधिक आते हों और

फिर अपने मोहल्ले की मस्जिद।

औरतों के लिए एतिकाफ़ करना सुन्नत है लेकिन ये ज़रूरी है कि शौहर से इजाज़त ले ले। औरत के लिए मस्जिद में एतिकाफ़ करना मकरुह है। उनको घर में एतिकाफ़ करना चाहिए। अगर घर में पहले से कोई जगह एतिकाफ़ के लिए तय है तो वही एतिकाफ़ करे ये इमाम अबू हनीफ़ा रह0 की राय है क्योंकि इस दौर में औरतों का मस्जिद में एतिकाफ़ करना फितने से ख़ाली नहीं इसलिए रसूलल्लाह स0अ0 ने औरतों के मस्जिद में नमाज़ अदा करने के मुकाबले में घर में नमाज़ अदा करने को बेहतर करार दिया है।

एतिकाफ़ करने वाले को चाहिए कि अपना समय कुरआन पाक की तिलावत, रसूलल्लाह स0अ0 की सीरत (चरित्र), अन्धिया व बुजुर्गों के वाक्यों व हालातों और दीनी किताबों का अध्ययन और उन्हीं चीजों को पढ़ाना, दीनी किताबों को लिखना या उनको एकत्रित करने इत्यादि में अपना समय लगाएं। एतिकाफ़ की हालत में खुशबू वगैरह लगा सकते हैं। एतिकाफ़ के आदाब में ये भी है कि मस्जिद के आदाब का लिहाज़ रखा जाए। मस्जिद में सामान लाकर ख़रीदा बेचा न जाए हाँ अगर सौदा बाहर हो तो इस तरह के मामले की गुंजाइश है। इबादत समझ कर बिल्कुल ख़ामोश रहना या बेहूदा और नामुनासिब बातें करना भी मकरुह है।

### एतिकाफ़ को तोड़ने वाली चीजें

बीवी से हमबिस्तरी, मस्जिद के अन्दर हो या बाहर, जानबूझ कर हो या भूल से, दिन में हो या रात में, वीर्य निकले या न निकले, हर हाल में एतिकाफ़ टूट जाएगा। हमबिस्तरी से पहले के मामले यानि छूना या चूमना इत्यादि भी जाएँ नहीं मगर उससे एतिकाफ़ नहीं टूटेगा लेकिन बीवी से बातचीत करना सही है। इसी प्रकार ऐसी बेहोशी जो एक दिन से अधिक हो गयी हो तो एतिकाफ़ टूट जाता है औरत को मासिक धर्म आ गया तो उससे भी एतिकाफ़ टूट जाएगा और उसकी कज़ा वाजिब होगी। दिन में जानबूझ कर खा पी लेने से रोज़ा ख़राब हो जाता है और एतिकाफ़ भी टूट जाता है।

### मस्जिद से बाहर निकलना

बिना आवश्यकता मस्जिद से बाहर निकल जाने से भी एतिकाफ़ टूट जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक बिना आवश्यकता थोड़ी देर के लिए निकलने

से भी एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है। लेकिन साहिबैन रह0 के निकट दिन रात के अधिकतर भाग में मस्जिद से बाहर रहने से एतिकाफ़ ख़राब हो जाता है, लेकिन किसी ज़रूरत के लिए बाहर निकला जा सकता है। ये आवश्यकता दो प्रकार की है। स्वाभाविक, शरईः स्वाभाविक आवश्यकता से मुराद पेशाब पाखाना गुस्सा वाजिब हो जाने की सूरत में गुस्सा के लिए निकलना, खाना लाने वाले न हों तो खाने के लिए निकलना इत्यादि शामिल है मगर इन सूरतों में भी आवश्यकता से अधिक नहीं ठहरना चाहिए इन्हीं शरई़ कामों में उलमा ने हुक्म को शुभार किया है कि मस्जिद से बाहर जाकर हुक्म को पीकर बदबू मिटाकर मस्जिद में आ जाना चाहिए। यही तरीका उन लोगों को भी अपनाना चाहिए जो सिगरेट पान वगैरह के आदी हों। शरई आवश्यकताओं में से ये भी है कि अगर ऐसी मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहा है जहाँ जुमा नहीं होता है तो जुमा के लिए जामा मस्जिद जाना सही है। बल्कि इसकी रिआयत जरूरी है कि केवल इतनी देर दूसरी मस्जिद में ठहरे कि तहीयतुल मस्जिद पढ़ ले, सुन्नत अदा कर ले फिर खुत्बे से जुमा के बाद की सून्नतें अदा करने के बाद जल्द से जल्द अपनी मस्जिद में आ जाए देरी मकरुह है। अगर कोई शख्स जबरन निकाल देया मस्जिद टूट जाए जिसकी वजह से निकलना पड़े या उस मस्जिद में जान व माल का ख़तरा हो जाए तो उन सभी हालतों में उस मस्जिद के बजाए दूसरी मस्जिद में जाकर एतिकाफ़ कर लेना सही है और उससे एतिकाफ़ में कोई ख़लल नहीं पड़ेगा लेकिन दूसरी मस्जिद में फौरन बिना देर किये चला जाए इसी प्रकार अगर एतिकाफ़ के बीच मस्जिद से निकल कर अज़ान देने के लिए मीनार पर चढ़ जाए तो इसकी भी इजाज़त है।

### एतिकाफ़ की कज़ा

अगर एतिकाफ़ वाजिब था और किसी वजह टूट गया तो उसकी कज़ा जरूरी है। इमाम अबू हनीफ़ा रह0 के नज़दीक मसनून एतिकाफ़ में केवल उस दिन की कज़ा करनी होगी जिस दिन का एतिकाफ़ टूट गया जबकि इमाम अबू यूसुफ़ रह0 के निकट पूरे दस दिन की कज़ा वाजिब होगी। मशहूर फ़कीह अल्लामा हाफिज़ इब्ने हुमाम रह0 का रुझान भी इसी तरफ मालूम होता है इसलिए यही अधिक अच्छा तरीका है कि पूरे अश्वा की कज़ा की जाए।

# शब-ए-कुद्र



अल्लाह तआला ने इस उम्मत को आप स0अ0 की बरकत से जिन इनामों से नवाज़ा है उनमें एक अज़ीम तरीन ईनाम शब-ए-कद्र भी है। इस एक रात में इबादत का सवाब एक हज़ार महीने की इबादत से बढ़कर है। तफ़सीरि रिवायत से मालूम होता है कि आप ने एक बार बनी इस्माईल के एक शख्स का तज़किरा किया कि वो लगातार एक हज़ार साल तक जिहाद में लगा रहा जिसको सुनकर सहाबा को बड़ा तअज्जुब हुआ और एक रिवायत में है कि आपको अपनी उम्मत की मुख्तसर उम्रों के एतबार से ये एहसास हुआ कि ये लोग उम्मे साबिका की लम्बी उम्र रखने वाले आबिद व जाहिद के दर्जे तक नहीं पहुंच पायेगें। उस पर अल्लाह तआला ने इस उम्मत को शबे कद्र का तोहफ़ा अता फ़रमाया। (तफ़सीरे कुर्तुबी: 10 / 117, रुहुलमानी: 16 / 345)

शब कद्र की बड़ी फ़ज़ीलत आयी है। कुरआन मजीद में इस रात का खास तज़किरा ही इसकी फ़ज़ीलत और इसके बुलन्द मर्तबे के इज़हार के लिये काफ़ी है। शब-ए-कद्र के माने शरफ़ व मन्ज़िलत वाली रात के हैं और एक मानी फैसले वाली रात के हैं। कई रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तआला इसी शब में तक़दीर के सिलसिले में फैसला फ़रमाते हैं और लोगों की जिन्दगी और मौत दुख-सुख सेहत व रिज़क और जिन्दगी के सभी मसलों के बारे में तय करते हैं। इसीलिये इसको शब-ए-कद्र कहा जाता है।

शब-ए-कद्र की अज़मत और अहमियत का जिक्र कुरआन मजीद में बल्कि उसकी एक पूरी सूरह में भी किया गया है। कुरआन मजीद को हमने शब-ए-कद्र में नाज़िल किया: “तुम्हे क्या पता कि लैलतुल कद्र क्या है” फिर फ़रमाया गया “शब-ए-कदर हज़ार महीनों से बेहतर है” फिर उसकी बरकत और रुहानी रौनकों का जिक्र इस तरह फ़रमाया गया है, फ़रिश्ते और रुहुल कुद्स (हज़रत जिब्राईल अलै0) इस रात को अपने मालिक के हुक्म से

तमाम फैसले लेकर उतरते हैं। पूरी तरह से सलामती की रात है सुबह सूरज निकलने से पहले तक (बरकतों और रुहानी रौनकों का ये सिलसिला कायम रहता है)

शब-ए-कद्र में कुरआन नाज़िल फ़रमाया गया, और फिर आसमान-ए-अब्वल से इस्लाम के पैग्मबर मुहम्मद स0अ0 पर धीरे धीरे तेईस सालों में इसका नुजूल पूरा हुआ।

कुरआन मजीद की इस सूरह से चार बाते स्पष्ट मालूम हुईं, 1. कुरआन इसी रात में नाज़िल हुआ 2. ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है यानि इसकी इबादतों का अज्ञ व सवाब हज़ार महीने की इबादत के अज्ञ व सवाब से भी ज्यादा है 3. इसमें फ़रिश्ते अत्यधिक मात्रा में धरती पर अवतरित होते हैं 4. ये रात सलामती की है और इस रात में सारी बरकतें और रहमतें सुबह सूरज निकलने तक रहती हैं।

बड़ा बदनसीब है वो व्यक्ति जिसको खैर व बरकत की ये रात मिले और वो इससे फ़ाएदा न उठाए, हज़रत अनस रज़ि0 ने फ़रमाया कि एक बार रमज़ानुल मुबारक का महीना आया तो आप स0अ0 ने फ़रमाया: एक रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है जो शख्स इस रात से महरूम रह गया तो मानो सारी ही खैर से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर जो व्यक्ति महरूम ही है।

शब-ए-कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे (दस दिनों) की ताक रातों में होती है और बदलती भी रहती है। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ि0 ने शब-ए-कद्र के बारे में आप स0अ0 से पूछा तो आप स0अ0 ने इरशाद फ़रमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में यानि इक्कीस, तेईस, पच्चीस, सत्ताइस, उन्तीसवीं रात में या रमज़ान की आखिरी रात में भी हो सकती है। साल में एक ही शब में और एक ही तारीख में शब-ए-कद्र का होना ज़रूरी नहीं है। अक्सर लोगों का

रमजानुल मुबारक की सत्ताइसवीं शब की तरफ है, खुद आप स030 ने सत्ताइसवीं शब में शब—ए—कद्र को तलाश करने का हुक्म फरमाया।

शब—ए—कद्र में आप स030 का तरीका इबादतों से अधिक एहतमाम का था, आप स030 ने इरशाद फरमाया: “जिसने शब—ए—कदर में ईमान व इख़लास के साथ नमाज़ पढ़ी उसके पिछले सभी गुनाह माफ़ हो जाएंगे।”

इस रात मे दुआ भी कुबूल की जाती है, हज़रत आयशा रजि० ने आप स030 से पूछा कि अगर मैं शब—ए—कदर को पहचान लूं तो क्या दुआ करूँ? आप स030 ने एक छोटी और जामए दुआ सिखाई।

आप स030 ने फरमाया: कि जब शब—ए—कदर होती है तो हज़रत जिब्राईल अलै० फ़रिश्तों की एक जमाअत के साथ दुनिया में उत्तरते हैं और वो उस शख्स के लिये जो खड़े या बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा हो रहमत की दुआ करते हैं।

इस मुबारक रात बार बार ये खुदाई ऐलान होता रहता है कि है कोई माफ़ी चाहने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूँ है कोई आफ़ियत मांगने वाला कि मैं उसे आफ़ियत अता कर दूँ है कोई रोज़ी मांगने वाला कि मैं उसे रोज़ी इनायत करूँ, है कोई सवाल करने वाला कि मैं उसके सवाल को पूरा करूँ।

अल्लाह तआला का ये करम आम दिनों में होता है तो जो व्यक्ति शब—ए—कदर में खुदा की याद व इबादत में लगा हुआ हो उसके साथ अल्लाह की रहमत का क्या मामला होगा।

जिन रातों में जगने का हुक्म दिया गया है उनमें नमाजों का एहतमाम तो करना ही चाहिये, कुरआन मजीद की तिलावत, कुरआन का सुनना, हदीस का पढ़ना और सुनना, तस्बीहात, दरुद शरीफ वगैरह का पढ़ना ये सभी काम सवाब वाले हैं, कोशिश करनी चाहिये कि रात का बड़ा हिस्सा इन कामों में गुज़र जाए।

रमजानुल मुबारक और शब—ए—कदर की अज़मत का तो ये आलम है कि जब ईद का दिन होता है तो अल्लाह तआला फ़रिश्तों से पूछता है कि क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो वो कहते हैं कि ऐ हमारे मअबूद, हमारे आक़ा इसका बदला यही है कि उस मज़दूर की पूरी—पूरी मज़दूरी दे दी जाए। अल्लाह तआला इरशाद फ़रमाता है कि ऐ फ़रिश्तों! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने उनको रमजान के रोज़ों और तरावीह के बदले में

अपनी रजा और म़ाफ़िरत अदा कर दी। और बन्दों से इरशाद होता है कि मेरे बन्दे मुझसे मांगों, मेरी इज़्जत की क़सम आज के दिन इस इज्जतमा मैं अपनी आखिरत के बारे में मुझसे जो सवाल करोगे अता करूँगा। और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलेहत पर नज़र करूँगा, अब बख्तों बख्ताएँ अपने घर को लौट जाओ तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं तुमसे राजी हो गया।

लिहाज़ा हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस मुबारक रात में खुदा की रहमतों का तालिब हो, और उस रहमान और रहीम के आगे अपने सर को झुकाए और गुनाहों से भरे हुए अपने माथे को आजिजी व इन्कसारी के साथ ज़मीन पर रख कर अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार करे।

## शेष: तरावीह की नमाज़

फिर भी रह जायें और इमाम वित्र पढ़ाने के लिये खड़ा हो जाये तो इमाम के साथ पहले वित्र अदा करे उसके बाद अपनी छूटी हुई रकआत पढ़े। (दुर्र मुख्तार 2 / 431)

लोगों में ये बात मशहूर है कि जिसने फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से नहीं पढ़ी तो वो वित्र की नमाज़ जमाअत के साथ नहीं पढ़ सकता, ये गलत मशहूर है, वित्र की नमाज़ जमाअत के साथ पढ़ सकता है, अलबत्ता अगर किसी ने सिरे से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ी ही न हो तो वो पहले फ़र्ज़ नमाज़ पढ़े फिर वित्र की नमाज़।

तरावीह में ख़त्म कुरआन पर उजरत लेना सही नहीं है। इसलिये कि आप स030 ने इरशाद फ़रमाया कि कुरआन पढ़ा करो उसको खाने कमाने का ज़रिया न बनाओ। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 2 / 171)

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मुग़फ़फ़ल रजि० ने रमजान में लोगों को तरावीह पढ़ाई, जब ईद का दिन आया तो उनकी खिदमत में उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने एक जोड़ा पांचा सौ दिरहम पेश किये तो आप ने उन्हें लौटा और फ़रमाया, हम कुरआन मजीद पढ़ने पर उजरत नहीं लिया करते। (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा 2 / 171)

मौजूदा दौर के अकाबिर अहले फ़त्वा ने ये फ़त्वा जारी फ़रमाया है कि तरावीह में ख़त्म कुरआन पर तय करके या बिना तय किये हुए लेन—देन शरीअत के एतबार से जायज़ नहीं है। तमाम विश्वस्नीय फ़त्वे में इसकी व्याख्या मौजूद है। (इमदादुल फ़तावा 1 / 481)

# इनाम की शत



आप स030 ने फरमाया: “अल्लाह तआला रिज़वान (जन्त का दरोगा) से फरमाते हैं कि जन्त के दरवाजों को खोल दे और जहन्म के दरवाजे बन्द कर दे और हजरत जिब्राईल अलै० को हुक्म होता है कि जमीन पर जाओ और सरकश शैतानों को कैद करो और गले में तौक डालकर दरिया में फेंक दो, इसलिये कि ये मेरी उम्मत के रोज़ों को ख़राब न करे।” आप स030 ने ये भी इरशाद फरमाया: “कि अल्लाह तआला रमज़ान की हर रात में मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि तीन बार ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कुबूल करूं, है कोई मग़फिरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फिरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज़ दे? ऐसा मालदार जिसके ख़ज़ानों में कमी नहीं, या ऐसा पूरा—पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुजूर स030 ने फरमाया: अल्लाह तआला रमज़ान शरीफ में रोज़ाना इफ्तार के बहुत ऐसे दस लाख आदमियों को जहन्म से नजात देते हैं, जो जहन्म के मुस्तहिक हो चुके थे और जब रमज़ान का आखिरी दिन होता है तो एक रमज़ान से आज तक जितने लोग आज़ाद किये गये थे उनके बराबर उस एक दिन में फरमाते हैं, और जिस रात शब—ए—कद्र होती है उस रात अल्लाह तआला हज़रत जिब्राईल अलै० को हुक्म फरमाते हैं कि वो फरिश्तों के एक बड़े लक्षकर के साथ जमीन पर उतरते हैं उनके साथ एक हरा झन्डा होता है जिसको काबा के ऊपर खड़ा करते हैं और हज़रत जिब्राईल अलै० के सौ बाजू हैं जिनमें से दो बाजू को सिर्फ़ इसी रात में खोलते हैं, जिसको पश्चिम से पूरब तक फैला देते हैं। फिर हज़रत जिब्राईल अलै० फरिश्तों से फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात में खड़ा या बैठा नमाज़ पढ़ रहो हो या ज़िक्र कर रहा हो उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें और उनकी दुआओं पर आमीन कहें, सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलै० आवाज़ देते हैं

कि ऐ फरिश्तों की जमाअत अब कूच करो और चलो, फरिश्ते जिब्राईल अलै० से पूछते हैं कि अल्लाह ने आप स030 की उम्मत के मोमिनों की ज़रूरतों और ज़रूरतों के सिलसिले में क्या मामला फरमाया, वो फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पर तवज्जो फरमायी और चार लोगों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया, सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह स030 वो चार शख्स कौन हैं। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स है जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स है जो वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स है जो क़ता रहमी करने वाला और रिश्ते नाते तोड़ने वाला हो, चौथा वो शख्स है जो कीना रखने वाला हो। फिर जब ईद की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर “लैलतुल जायज़ा” ईनाम की रात से लिया जाता है और जब ईद की सुबह होती है तो फिर अल्लाह तआला फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं, वो जमीन पर उतर कर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको इन्सान और जिनात के अलावा हर मख़लूक सुनती है पुकारते हैं कि ऐ मुहम्मद स030 की उम्मत उस रब्ब—ए—करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कुसूर को माफ़ करने वाला है, फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं तो अल्लाह तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो कहते हैं कि ऐ हमारे आका उसका बदला यही है कि उसकी मज़दूरी पूरी—पूरी दे दी जाये, तो अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं: ऐ फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं, मैंने इनको रमज़ान के रोज़े और तरावीह के बदले मैं अपनी रज़ा और मग़फिरत अता कर दी और बन्दों से खिताब करके इरशाद होता है: “ऐ मेरे बन्दों मुझसे मांगो, मेरी इज़ज़त की क़सम आज के दिन इस इज्तिमा में मुझसे अपनी आखिरत के बारे मैं जो सवाल करोगे अता करूंगा और दुनिया के बारे मैं जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूंगा, मेरे जलाल की क़सम जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे, मैं तुम्हारी कोताहियां माफ़ करता रहूंगा, मैं तुम्हें मुज़रिमों के सामने रुस्वा न करूंगा, अब बख़्तो—बख़्ताये अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। फरिश्ते इसी अज़ व सवाब को देखकर जो इस उम्मत को ईदुल फ़ित्र के दिन मिलता है खुशियां मनाते हैं

# શાલકુ-ઝ-ફિન



રોજેદાર કિતના હી એહતિમામ કરે રોજે કે દૌરાન કુછ ન કુછ કોતાહી હો હી જાતી હૈ। ખાને-પીને ઔર રોજા તોડ્ણે વાળી ચીજોં સે બચના તો આસાન હોતા હૈ લેકિન બેકાર કે કામોં ઔર નામુનાસિબ બાતચીત સે પૂરી તરહ સે નહીં બચ પાતા। ઇસલિયે ઇસ તરહ કી કોતાહિયોં કી તલાફી કે લિયે શરીઅત મેં રમજાનુલ મુબારક કે ખ્રત્મ પર સદક-એ-ફિન કે નામ સે માનો કિ રોજે કી જાકાત અલગ સે કરાર દી હૈ, હજરત અબુલ્લાહ બિન અબ્બાસ રજિઓ ઇરશાદ ફરમાતે હૈન:

“આપ સ૦૩૦ ને સદક-એ-ફિન કો જરૂરી કરાર દિયા જો રોજેદાર કે લિયે બેકાર ઔર બેહયાઈ કી બાતોં સે પાકીજગી કા જરિયા હૈ ઔર ગરીબોં કે ખાને કા ઇન્તિજામ હૈ। જો શરૂસ ઉસે ઈદ કી નમાજ કે પહલે અદા કર દે તો યે મકબૂલ સદકા હૈ ઔર જો શરૂસ ઈદ કી નમાજ કે બાદ અદા કરે તો યે આમ સદકોં મેં સે એક સદકા હૈ।” (અબૂ દાઉદ: 1609)

ઇસ હદીસ સે માલૂમ હુआ કી સદક-એ-ફિન વાજિબ હોને કે દો મકસદ હૈન:

પહુલા મકસદ રોજે કી કોતાહિયોં કી તલાફી।

દૂસરા મકસદ ઉમ્મત કે ગરીબોં કે લિયે ઈદ કે દિન રિઝ્ક કા ઇન્તિજામ।

ઇસકે લિયે હૈસિયત વાલે મુસલમાનોં પર લાજિમ હૈ કી સદક-એ-ફિન વક્ત પર અદા કરને કા એહતિમામ કરે, જૈસા કિ ઊપર કી હદીસ મેં ફરમાયા ગયા હૈ કી ઈદ કી નમાજ સે પહલે સદક-એ-ફિન અદા કરને કા સવાબ જ્યાદા હૈ, ઇસી બુનિયાદ પર “હજરત અબુલ્લાહ ઇન્બે ઉમર રજિઓ” ઈદ સે દો-તીન દિન પહલે હી સદક-એ-ફિન અદા કરતે થે। (અબૂદાઉદ : 1610)

ઔર યે મુનાસિબ ભી હોતા હૈ કી મુસ્તાહિક હજરાત પહલે હી ઈદ કી તૈયારી કર સકેં।

જો શરૂસ જીવન કી આવશ્યક આવશ્યકતાઓં કે અલાવા ઇતની કીમત કે માલ કા માલિક હો જિસ પર જાકાત વાજિબ હો સકે ઉસ પર ઈદુલફિન કે દિન

સદક-એ-ફિન અદા કરના વાજિબ હૈ।

સદક-એ-ફિન કી માત્રા આધા સાાં ગેહૂં (યાનિ ૧ કિલો ૬૩૩ ગ્રામ) યા એક સાાં જૌ યા ખજૂર યા ઉન ચીજોં કી કીમત કે બરાબર કોઈ દૂસરી ચીજ યા નકદ રૂપયે હૈ।

આજકલ આધા સા કે અનુસાર એક સદકે ફિન કી માત્રા લગભગ ૨૦-૨૨ રૂપ્યે હોતી હૈ જો બડે માલદારોં કે લિયે કોઈ હૈસિયત નહીં રહ્યી ઇસલિયે ઐસે લખપતિ ઔર કરોડપતિ પૂર્જીપતિયોં કો રાય દી જાની ચાહિયે કી વો જ્યાદા સવાબ હાસિલ કરને કે લિયે નિસ્ક સા ગેહૂં કી કીમત લગાને કે બજાયે એક સા ખજૂર યા કિશમિશ કા હિસાબ લગાકર સદક-એ-ફિન અદા કરેં ઇસલિયે કી ઇસમે ઉનકો સવાબ જ્યાદા મિલેગા ઔર ફકીરોં કો જ્યાદા ફાયદા હોગા। રિવાયત મેં આતા હૈ હજરત અબુલ્લાહ ઇન્બે અબ્બાસ રજિઓ ને બસરા મેં ખુત્બા દેતે હુએ ઇરશાદ ફરમાયા આપ સ૦૩૦ ને એક સા ખજૂર યા જૌ યા આધા સા ગેહૂં કા સદકા જરૂરી કરાર દિયા ગયા હૈ જો હર આજાદ મર્દ ઔરત છોટે બડે પર લાજિમ હૈ। લેકિન જબ હજરત અલી રજિઓ વહાં પર તશ્રીફ લાયે તો દેખા કી ગેહૂં કા બાજારી ભાવ સસ્તા હૈ તો આપ ને ફરમાયા અલ્લાહ તઆલા ને તુમ્હારે ઊપર વુસઅત ફરમાયી હૈ ઇસલિયે અગર તુમ સદકે ફિન હર ચીજ કી એક સા કે હિસાબ સે નિકાલો તો જ્યાદા બેહતર હૈ। (અબૂદાઉદ 1622)

ઇસસે માલૂમ હુઆ કી વુસઅત રહ્યા વાલે સાહબે હૈસિયત લોગોં કો વુસઅત કે સાથ સદકે ફિન નિકાલના ચાહિયે।

**નાબાલિગ બચ્ચોં કી તરફ સે સદક-એ-ફિન:** જો નાબાલિગ બચ્ચે ખુદ કિસી નિસાબ કે માલિક ન હો ઉનકી તરફ સે ઉનકે બાપ પર સદક-એ-ફિન નિકાલના વાજિબ હૈ। અગર વો બચ્ચે ખુદ સાહબે નિસાબ હોં તો ઉનકે માલ મેં સે સદક-એ-ફિન નિકાલા જાયેગા।

**નાસમજ યા પાગલ ઔલાદ કી તરફ સે સદક-એ-ફિન:** અગર કોઈ બચ્ચા અકલ કે એતબાર સે કમજોર યા પાગલ હો તો ઉસકી તરફ સે સદક-એ-ફિન નિકાલા જાયાગા। અગર વો બડી ઉત્ત્ર કા હો। (શોષ : 48)

# ईदुल फित्र

हुजूर अकरम स0आ0 जब हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशीफ लाये तो मदीना के लोग साल में दो दिन खुशी मनाते थे। इन दोनों दिनों में ख़ूब खेल—कूद होता था और गाने—बजाने की मजलिस जमती थीं। मगर आप स0आ0 ने उन सब सिलसिलों को ख़त्म फरमा कर अल्लाह तआला के हुक्म से उन दोनों के बजाये दो खुशी के दिन ईदुलफित्र और ईदुलअज्हा तय फरमाये। इन दिनों में खुशी के इज़हार का प्रदर्शन खेल—कूद, लहू—लअब और तफरीहों के ज़रिये नहीं कराया गया बल्कि इस्लाम के मानने वालों को हुक्म हुआ कि वो खुशी का इज़हार इस अन्दाज़ में करें कि खुशी ज़ाहिर और बातिन से नुमायां हो सके।

इसी वजह से अल्लाह तआला ने ईमान वालों के लिये खुशी के दिनों में बन्दगी का हुक्म देकर शुक्राना के तौर पर दोगाना (दो रकआत नमाज़) अदा करने की ताकीद फरमायी है और यही ईद की अस्ल रूह है, बकिया जो लवाज़मात है (नहाना—धोना, खुशबू लगाना, नये कपड़े पहनना इत्यादि) ये सब बाद की चीज़ें हैं। आज के दिन का अस्ल काम है कि बन्दे अपने अमल से ज़ाहिर कर दें कि वो वाक़ई अपने रब का फरमावरदार है और इताअत गुजार है और ऐसे ही बन्दे को खुशी मनाने का हक़ है।

मगर आज अफ़सोस की बात है कि दूसरी कौमों की देखा देखी मुसलमानों ने भी ईद को केवल एक त्योहार समझ लिया है और बन्दगी के इज़हार का जज्बा जहनों से बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है नौजवान लड़के और लड़कियों की टोलियां बाज़ार में निकल पड़ती हैं। दुकानों पर मर्द—औरतों की भीड़ हो जाती है। गाने—बजाने की आवाज़ों की वजह से दूसरी आवाज़ें सुनाई तक नहीं देती। ईद की मुबारक रात मटर गश्तियों में बेकार कर दी जाती है और फिर ईद के दिन भी दो रकआत नमाज़ अदा करने के बाद उन्हीं बेकार

के कामों का सिलसिला कई दिनों तक जारी रहता है। सिनेमाहालों और तफरीहगाहों की रैनकें बढ़ जाती हैं। ये सूरते हाल ईमान वालों की इस्लामी शान के बिल्कुल खिलाफ़ है। अगर हम भी यही तरीका अपनाने लगेंगे तो हममें और गैरों में आखिर क्या फर्क बाकी रहेगा? इसलिये ज़रूरी है कि ईद को इस्लामी शान के साथ मनाया जाये और ये शान उस वक्त हासिल हो सकती है जबकि हम अपनी ईद को हर गुनाह और बुराई से बचा रखें और बन्दगी के इज़हार में एक दूसरे से सबकृत ले जाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला सही अर्थों में हमें अपनी बन्दगी की तौफीक अता फरमाये। आमीन!

## ईद की नमाज़ की शर्तें

बड़े शहरों और क़स्बों में जहां जुमे की नमाज़ की शर्तें पायी जाती हैं (जैसे वहां की आबादी कम से कम तीन हजार या जिन्दगी की ज़रूरतों का आसानी से उपलब्ध होना इत्यादि) वहां ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है। अलबत्ता जहां जुमे की नमाज़ की शर्तें न पायी जाती हों वहां ईद की नमाज़ पढ़ना मकरूह तहरीमी है।

○ ईद की नमाज़ का वक्त सूरज निकलने के लगभग पन्द्रह मिनट बाद शुरू हो जाता है। लेकिन नमाज़ का ऐसा वक्त तय किया जाये कि लोग तमाम तैयारियां करके सहूलियत के साथ ईदगाह में हाजिर हो सकें।

○ ईद की नमाज़ शहर के बाहर निकलकर ईदगाह में पढ़ना सुन्नत है।

○ शहर की मस्जिदों में ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है।

○ ईदगाह में नमाज़ होने से पहले शहर की मस्जिदों में ईद की नमाज़ बिला कराहत जायज़ है।

## ईद की तैयारी

○ ईद के दिन नहाना, मिस्वाक करना, अच्छे कपड़े पहनना और खुशबू वगैरह लगाना मुस्तहब है।

○ ईदुल फ़ित्र में ईदगाह जाने से पहले कुछ खाना—पीना मुस्तहब है

○ ईदुल फ़ित्र में ईद गाह जाने से पहले ताक़ अदद छुआरे या खजूर खाकर जाना मुस्तहब है। अगर ये मयस्सर न हो तो कोई भी मीठी चीज़ खा लेना काफ़ी है। इस मौके पर कोई खास शीरीनी साबित नहीं है।

○ ईदगाह पैदल जाना सुन्नत है और वहां से वापसी में सवार होकर आने में कोई हर्ज़ नहीं है।

○ ईद की नमाज़ से पहले घर या ईद गाह में नफिलें पढ़ना जायज़ नहीं है, यहां तक कि औरतें भी उस दिन इशराक और चाश्त की नमाज़ उस वक्त तक न पढ़ें जब तक ईद की नमाज़ जमाअत के साथ न पढ़ ली जाये।

### ईद की नमाज़ की नियत

ईद की नमाज़ शुरू करते वक्त मुक्तदी के दिल में ये इस्तहजार रहे कि मैं किब्ला होकर इस इमाम के पीछे दो रकआत नमाज़ अदा कर रहा हूं जिसमें छः जायद तकबीरें हैं। नियत के लिये ये इस्तहजार काफ़ी है ज़बान के नियत के कलिमात अदा करना ज़रूरी नहीं है बाकी अगर कोई अदा कर ले तो नाजायज़ भी नहीं।

### ईद की नमाज़ की तरीका

ईद की नमाज़ का तरीका ये है कि नियत के बाद तकबीर—ए—तहरीमा कह कर हाथ बांध ले, सना पढ़ें, इसके बाद दोनों हाथ उठाते हुए मामूली फासले से तीन बार तकबीर कहें, पहली दो तकबीरों के बाद हाथ छोड़ते रहें और तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांधें, इसके बाद सूरह फ़ातिहा और सूरह मिलायें, फिर रुकुअ सजदा करके रकआत मुकम्मल कर लें। दूसरी रकआत में सबसे पहले सूरह फ़ातिहा और सूरह लगाने के बाद रुकुअ में न जायें बल्कि तीन बार हाथ उठाकर तीन तकबीरें कहें और बीच में हाथ न बांधें, इसके बाद बगैर हाथ उठाये तकबीर कह कर रुकुअ में चले जायें और बकिया नमाज़ उसी तरह पूरी करें।

### ईद के दिन एक दूसरे को मुबारक बाद देना

ईद के दिन एक दूसरे को मुबारक बाद देना जायज़ है।

### ईद की नमाज़ में औरतों के लिये दुक्षम

मर्दों की तरह औरतों के लिये भी ईद के दिन मुस्तहब ये है कि वो गुस्सा करें और अच्छे कपड़े पहने क्योंकि ये खुशी और ज़ेब व ज़ीनत का दिन है और अगर चाहें तो ईदगाह या मस्जिद में ईद की नमाज़ हो जाने के बाद

अपने घरों में तन्हा—तन्हा बतौर शुक्राना नफ़िल नमाज़ें पढ़ सकती हैं।

### ईद की नमाज़ों का खुत्बा

ईद का खुत्बा पढ़ना सुन्नत है जो ईद की नमाज़ के बाद पढ़ा जायेगा।

### ईद का खुत्बा तकबीर से शुरू करना

ईद का खुत्बा शुरू करने से पहले 9 तकबीरें लगातार पढ़ना मुस्तहब है।

### ईद की नमाज़ में पहली रकआत में ज़ायद तकबीरें भूल जाने का दुःख

ईद की नमाज़ में पहली रकआत में इमाम जायद तकबीरें भूल गया और सूरह फ़ातिहा का कुछ हिस्सा या पूरी सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद याद आया तो तकबीर कह कर सूरह फ़ातिहा दोबारा पढ़े, और अगर सूरह फ़ातिहा और सूरह पढ़ने के बाद याद आया तो सिर्फ़ तकबीर कहे किरआत दोबारा नहीं होगी।

### ईद की नमाज़ की दूसरी रकआत में ज़ायद तकबीरें भूल जाने का दुःख

अगर इमाम ईद की नमाज़ में दूसरी रकआत में जायद तकबीरें न कह कर रुकुअ में चला गया तो इस सूरत में रुकुअ ही में हाथ उठाये बगैर तकबीर कह ले, खड़े होकर कहने की ज़रूरत नहीं है।

### ईद की नमाज़ के बाद दुआ

फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद दुआ करना जनाब रसूलुल्लाह सूल्तान ऐसे साबित है इसमें ईद की भी नमाज़ें शामिल हैं और बेहतर ये है कि ये दुआ नमाज़ के फौरन बाद खुत्बा से पहले हो, क्योंकि खुत्बा के बाद की दुआ की कहीं सराहत नहीं है।

**बारिश की वजह से ईद की नमाज़ को मुआरब्द करना:** अगर किसी वजह से जैसे बारिश बगैरह की वजह से ईदुल फ़ित्र की नमाज़ एक दिन छोड़कर दूसरे दिन पढ़ी जाये तो जायज़ है।

### ईद की नमाज़ के बाद हाथ मिलाना व गले मिलाना

ईद की नमाज़ के बाद गले मिलाना या हाथ मिलाना कोई सुन्नत नहीं है, हां अगर किसी से उसी वक्त मुलाकात हो या नमाज़ के कुछ देर बाद हो तो मुलाकात की नियत से हाथ मिलाया जाये या गले मिला जाये तो कोई हर्ज़ नहीं।

# खुल्लाज्ज

## अहसन अब्दुल हक़ नदवी

ज़कात इस्लाम का एक ज़रूरी हिस्सा है। कुरआन पाक में जगह—जगह नमाज़ के साथ ज़कात देने पर भी ज़ोर दिया गया है। “आप स030 ने इसे इस्लाम के पांच बुनियादी हिस्सों में से एक बताया है।”

एक हदीस में ये भी इश्शाद फरमाया: “मुझे हुक्म दिया गया कि लोगों से किताल करने ताकि वो कलिमा शहादत अदा करें, और ज़कात दें।” (बुखारी: 1399)

साहब—ए—निसाब (जिसके पास इतना माल हो जिस पर ज़कात वाजिब हो) होने के बावजूद ज़कात न अदा करने वालों को कुरआन पाक में जो सख्त तरीन वईद सुनाई गयी है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अल्लाह तआला का इश्शाद है: “जो लोग अपने पास सोना—चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो (ऐ नबी स030) आप उनको दर्दनाक अज़ाब की खुश खबरी सुना दीजिये, ये दर्दनाक अज़ाब उस दिन होगा जिस दिन उस सोने और चांदी को जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उसके ज़रिये उनकी पेशानी, उनके पहलू और उनकी पीठ को दागा जायेगा (और उनसे कहा जायेगा) ये है वो खजाना जो तुमने अपने लिये जमा किया था, तो आज तुम उस खजाने का मज़ा चखो जो तुम अपने लिये जमा कर रहे थे।”

लिहाज़ा हर साहब—ए—निसाब मुसलमान के लिये ज़रूरी है कि वो पूरा—पूरा हिसाब करके ज़कात की अदायगी करे। बहुत से लोग बिना हिसाब के ही कुछ रकम या दूसरी चीजें गरीबों को देकर अपने को ज़िम्मेदारी से बरी समझते हैं, ये तरीका सही नहीं है, पूरा हिसाब लगाकर ज़कात देना ज़रूरी है।

### सद्क़े से माल बढ़ता है

ज़कात अदा करने में एक बड़ा बल्कि बुनियादी कारण ये माना जाता है कि इससे माल की एक बड़ी मात्रा हाथ से निकल जायेगी और उसके बदले में कोई चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन कुरआन मजीद में इस ख्याल की

काट की गयी है और इसका पूरा इतिमान दिलाया गया है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से घटता नहीं है, बल्कि इसमें बढ़ोत्तरी होती है।

एक दूसरी जगह माल खर्च करने से जो बेपनाह बरकत व इजाफा होता है उसको कुरआन में एक मिसाल देकर समझाया गया है। अल्लाह तआला का इश्शाद है:

“अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले की मिसाल उस बीज की तरह है जिसको जब ज़मीन में डाला जाता है तो ज़ाहिरी आंख खाक में मिलकर जाया होते उसे देखती है, लेकिन फिर होता क्या है? अल्लाह तआला उस दाने से पौधा निकालता है, जिसमें सात बालियां निकलती हैं, और हर बाली में सौ दाने होते हैं, इसी तरह हर दाने से सौ दाने हासिल होते हैं।” (सूरह बकरह : 261)

यही मामला अल्लाह की राह में खर्च करने वालों के साथ होता है कि ज़ाहिरी तौर पर लगता है कि अपना माल खराब कर दिया लेकिन अल्लाह तआला दुनिया में भी उस पर बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं, और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसको कई गुना अज़ व सवाब मिलेगा।

### ज़कात वाजिब होने की झड़ी

ये भी ध्यान रहे कि ज़कात न हर व्यक्ति पर फ़र्ज़ होती है न हर माल पर, बल्कि इसके वाजिब होने के लिये उस व्यक्ति का अक्ल वाला होना और बालिग होना, साहबे निसाब होना, माल पर साल गुज़रना, उस माल का कर्ज़ से खाली होना, इसी तरह उसका हाजते अस्तिया (ज़रूरी ज़रूरतों) से खाली होना शर्त है, एक भी शर्त न पायी जाये तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी।

### ज़कात का माल

जिन चीजों पर ज़कात वाजिब है वो बुनियादी तौर पर चार हैं।

1. जानवर
2. सोना
3. चांदी (नक़दी भी सोना और चांदी के हुक्म में

आती है)

#### 4. व्यापारिक माल

##### सोने-चांदी का निसाब

चांदी का निसाब दो सौ दिरहम जबकि सोने का निसाब बीस मिसकाल है। हिन्दुस्तान के उलमा की तहकीक चांदी के दो सौ दिरहम यानि साढ़े बावन तोला (612.360 ग्राम) और सोने के बीस मिसकाल यानि साढ़े सात तोला (87.480 ग्राम) के बराबर होते हैं। जहाँ तक नकदी और व्यापारिक माल का संबंध है तो उनकी मिल्कियत का अन्दाज़ा भी चांदी के निसाब से किया जायेगा यानि अगर किसी के पास चांदी के निसाब के बराबर नकद रकम या व्यापारिक माल है तो वो शरीअत के अनुसार साहबे निसाब है।

फिर ये भी ध्यान रहे कि सोना-चांदी चाहे इस्तेमाल हो रहे जेवर की शक्ल में हो या गैर इस्तेमाली जेवर की शक्ल में हो, चाहे सिक्कों या जुरूफ़ वगैरह की शक्ल में हो अगर वो निसाब के बराबर है और उस पर साल गुज़र जाता है तो उसकी ज़कात बहरहाल वाजिब हो जायेगी। यही हुक्म नकद रकम का भी है, लेकिन बकिया दूसरे माल यानि उरुज़ में ये भी शर्त है कि वो व्यापार की नियत से हों, वरना उन पर ज़कात वाजिब नहीं होगी।

##### दौलान-ए-दौला का मतालब

किसी के पास निसाब के बराबर ज़कात का माल है तो अगर साल के बीच में उस माल में इज़ाफ़ा होता है तो उस ज़ायद माल का हिसाब पहले से मौजूद माल की तारीख से किया जायेगा, जब बकिया माल पर साल गुज़र जाये तो उसकी ज़कात के साथ उस ज़ायद माल की भी ज़कात निकालना ज़रूरी होगा ये नहीं कि हर बढ़ोत्तरी के लिये अलग से साल का हिसाब किया जाये और ये कि साल गुज़रने में अंग्रेज़ी महीनों के बजाये चांद के महीनों का हिसाब किया जायेगा।

##### किस दिन की मालियत का एतबार छोड़ा

व्यापारिक माल के बारे में गुज़र चुका है कि उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। जैसे अगर किसी की दुकान या कोई कारोबार है तो साल गुज़रने के बाद उसके पास जो कुछ नकदी या सामान है उसकी ज़कात उस पर फ़र्ज़ है और सामान की मिल्कियत लगाते वक्त उनकी उस दिन की मालियत का एतबार होगा जिस दिन वो उनकी ज़कात

देना कर रहा है।

##### दृजता-ए-अस्तिया (ज़रूरी ज़रूरतों का मतालब

जो चीज़ अस्ल ज़रूरतों के लिये हो उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, अस्ल ज़रूरत की मिसाल में फुक्हा ने रहने के मकान, पहनने के कपड़े, सवारी के जानवर और गाड़ी, खेती या फैक्ट्री के यन्त्र, और घर के फर्नीचर इत्यादि का ज़िक्र किया है।

##### ज़कात की मात्रा

ज़कात की वाजिब मात्रा किसी भी माल में उसका चालीसवा हिस्सा या ढाई प्रतिशत तय की गयी है।

##### शेयर पर ज़कात

ज़कात हर प्रकार के व्यापारिक माल पर वाजिब है चाहे वो जानवरों का व्यापार हो या गाड़ियों का व्यापार हो या ज़मीन का और क्योंकि शेयर भी व्यापारिक माल में दाखिल हैं लिहाज़ा उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अगर किसी ने शेयर इस मक्सद से ख़रीदे हैं कि उन पर सालाना नफ़ा हासिल करेगा उनको बेचेगा नहीं तो उसको अपनी कम्पनी से ख़बर करनी चाहिये कि उसका कितना सामान अचल है जैसे बिल्डिंग और मशीनरी इत्यादि की शक्ल और कितना माल चल है जैसे नकद कच्चा माल तैयार माल इत्यादि। जितनी सम्पत्ति अचल है उन पर ज़कात नहीं होगी और जितनी सम्पत्ति चल है उन पर ज़कात वाजिब होगी। अगर कम्पनी के माल की तफ़सील न मिल सके तो इस हालत में एहतियात के तौर पर पूरी ज़कात देनी चाहिये। और अगर शेयर इस मक्सद से ख़रीदे हैं कि जब बाज़ार में उनकी कीमत बढ़ जायेगी तो उनको ख़रीद करके लाभ कमायेंगे तो पूरे शेयर की पूरी बाज़ारी कीमत पर ज़कात वाजिब होगी। जैसे आपने पचास रुपये के हिसाब से शेयर ख़रीद और मक्सद ये था कि जब उनकी कीमत बढ़ जायेगी तो उनको बेचकर नफ़ा कमायेंगे। उसके बाद जिस दिन आपने ज़कात का हिसाब निकाला उस दिन शेयर की कीमत साठ रुपये हो गयी तो अब साठ रुपये के हिसाब से उन शेयर की मालियत निकाली जायेगी और उस पर ढाई प्रतिशत के हिसाब से ज़कात देनी होगी।

##### प्राविडेन्ड फ़ॅन्ड पर ज़कात

ज़कात फ़र्ज़ होने की एक अहम शक्ल ये भी है कि उस पर इन्सान का मुकम्मल कब्ज़ा भी हो। इसी वजह से

कुहा ने फरमाया है कि अगर किसी को कर्ज़ दिया और बाद में कर्ज़ लेने वाला उससे इनकार कर रहा है बज़ाहिर उसका मिलना दुश्वार है या किसी जगह डालकर भूल गया या किसी दरिया इत्यादि में गिर गया तो उन रूपयों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। फिर जब बगैर उम्मीद के ये माल मिल जाये तो गुज़रे हुए सालों की ज़कात उस पर वाजिब नहीं होगी। ये रक़म जिस वक्त मिली है उस वक्त से उसका हिसाब लगाया जायेगा। (हिन्दिया 1 / 187)

जहां तक प्राविडेन्ड फ़न्ड का संबंध है तो इसमें एक हिस्सा वो होता है जो शासन उसमें मिलाकर देता है। जहां तक इस दूसरी बढ़ी हुई रक़म का संबंध है तो चाहे उसे ईनाम कहा जाये या कर्मचारी की पगार जिसका अभी मालिक नहीं हुआ है, लिहाज़ा उस पर गुज़रे हुए दिनों की ज़कात वाजिब होने की कोई वजह नहीं है। काबिले बहस फ़न्ड का वो हिस्सा है जो मुलाज़िमत के दौरान तन्खाव से कटकर जमा होता है इसका मामला ये है कि कर्मचारी को इसका मालिक बनाना है। लेकिन उस पर कब्ज़ा नहीं हासिल है लिहाज़ा इस रक़म पर भी गुज़रे हुए दिनों की ज़कात वाजिब नहीं होगी। उल्माए मुहकिमीन का रुझान इसी तरफ़ है।

### कर्ज़ का मिन्दा करना

अगर कोई शख्स निसाब का मालिक है लेनिक वो साथ ही कर्ज़दार भी है तो कर्ज़ के बराबर माल पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अगर कर्ज़ के बराबर मिन्दा करने के बाद भी निसाब के बराबर माल बच रहा है तो उस पर उसी के बराबर ज़कात वाजिब हो जायेगी।

### सोने और चांदी को मिलाना

किसी के पास साढ़े सात तोला (612.480 ग्राम) सोना न हो लेकिन उसके पास कुछ सोना और कुछ चांदी मौजूद हो तो क्या उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जायेगी। इस मसले में दो राय हैं।

1— इमाम शाफ़ी और कई दूसरे हज़रात के नज़दीक उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। इमाम शाफ़ी ने अपनी किताब अलउम में इस पर बहस की है कि उसके पास न सोने का निसाब है न चांदी का तो उस पर ज़कात कैसे वाजिब हो सकती है जबकि दोनों अलग—अलग जिंस हैं।

2— दूसरी राय हनफी और कई दूसरे लोगों की है कि अगर दोनों के मिलाने से निसाब पूरा हो जाये तो ज़कात

वाजिब हो जायेगी। इस पर बहस बुकैर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ि० के असर से कि ज़कात निकालने में सहाबा का तरीका चांदी और सोने के मिलाने का था। फिर दोनों कीमत के एतबार से एक ही जिंस हैं। बहरहाल अक़ली दलील दोनों तरफ़ से मज़बूत हैं लेकिन नक़ली दलील में इस एतबार से फ़रीक अब्ल का मोकिफ़ कुछ मज़बूत करार दिया जाता है कि हज़रत बुकैर की रिवायत हदीस की किताब में नहीं मिलती। फिर इमाम अबू हनीफा और साहिबैन की दरमियान ये इखिलाफ़ है कि सोने और चांदी को मिलाने की कैफियत क्या होगी।

इमाम अबू हनीफा के नज़दीक दोनों को कीमत के एतबार से मिलाया जायेगा। यानि अगर किसी के पास दो तोला सोना और दो तोला चांदी है तो ये देखा जायेगा कि दो तोला सोना अगर बेच दिया जाये तो क्या साढ़े बावन तोला या उससे ज्यादा चांदी हासिल हो जायेगी। अगर इतनी ज्यादा चांदी हासिल हो सकती है तो वो साहिबे निसाब माना जायेगा। फ़तवा इमाम साहब के कौल ही पर है। जब कि साहिबैन के नज़दीक दोनों को ज़ुज़ के एतबार से मिलाया जायेगा यानि वज़न के एतबार से अगर आधा निसाब सोने का और आधा चांदी या दो तिहाई साने का और एक तिहाई चांदी का या एक चौथाई सोने का और तीन चौथाई चांदी का पाया जा रहा हो तो ज़कात वाजिब हो जायेगी वरना नहीं।

इमाम साहब के मुफ़्ता बिही कौल के मुताबिक अगर सोने चांदी की मामूली मिक़दार भी किसी के पास हो तो वो साहिबे निसाब बन जायेगा और उसके लिये ज़कात लेना जायज़ नहीं रहेगा। इतनी मामूली मिक़दार बिल्कुल मामूली लोगों के पास भी आम तौर से रहती है। इस तनाजुर में ये सवाल उठाया जाता है कि क्या मौजूदा हालात में साहिबैन के कौल को अखिलायार किया जा सकता है। इसलिये कि साहिबैन का कौल अखिलायार कर लिया जाये तो इसमें ज़कात देने वाले और लेने वाले दोनों का ख्याल हो जायेगा और तवाज़ून कायम रहेगा।

राकिम के ख्याल से ऐसा करने की गुंजाइश है। इसलिये कि इस मसले का संबंध हालात के बदलने से है और इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि हालात बदल जायें तो हुक्म बदल जाता है। फिर ये तो इफ़्ता के हुक्म में भी लिखा हुआ है कि इखिलाफ़ अगर साहिबैन और इमाम साहिब के बीच में तो मुफ़्ती उनमें से किसी पर भी फ़तवा

दे सकता है। लिहाज़ा तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़ हो जाये तो इसकी गुंजाहश होगी। फिर इमाम साहब की एक रिवायत साहिबैन के कौल के मुताबिक़ भी है लिहाज़ा इमाम साहब के इस कौल को मुस्तहब पर हुक्म लगाकर अमल किया जा सकता है। मुफ़्ती किफायत उल्ला साहब ने किफायतुल मुफ़्ती में इसी तरह हुक्म दिया है।

बात का खुलासा ये है कि व्यापारिक माल वाले मसले में मुफ़्ता बिही हुक्म से हटने की इजाज़त नहीं दी जा कस्ती जबकि दूसरे मसले में अगर उलमा इत्तिफ़ाक़ कर लें तो इसकी गुंजाइश है।

### **ज़कात के मुस्तहिक़**

ज़कात की हैसियत चूंकि केवल आम इनफ़ाक़ और इन्सानी मदद की नहीं है बल्कि ये एक अहम इस्लामी इबादत और शरई फ़रीज़ा है, इसलिये शरीअत ने इसके ख़र्च निश्चित कर दिये हैं, अल्लाह तआला का इरशाद है:

“ज़कात फ़कीरों, गुरीबों, आमलीन (ज़कात की जमा व तकसीम के कार्यकर्ता) दिलजोई, गुलाम, कर्जदार, अल्लाह के रास्तों में (जिहाद करने वाले) और मुसाफ़िरों के लिये, ये अल्लाह की तरफ़ से मुकर्रर हुआ काम है और अल्लाह बड़ा इल्म वाला और हिक्मत वाला है।”

ज़कात के मसारिफ़ (ख़र्च) कुरआन मजीद की ऊपर जिक्र की हुई आयत में तफ़सील से बयान किये गये हैं। इसके संबंध में बात ये है कि ज़कात सिर्फ़ उन्हीं लोगों को दी जा सकती है जो फ़कीर या मिस्कीन हों। यानि जिनके पास या तो माल ही न हो या अगर हो तो निसाब तक न पहुंचता हो। यहां तक कि अगर उनकी मिल्कियत में ज़रूरत से ज्यादा ऐसा सामान मौजूद है जो साढ़े बावन तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाता है तो वो ज़कात के मुस्तहिक़ नहीं है। ज़कात का मुस्तहिक़ वो है जिसके पास साढ़े बावन तोला चांदी की मिल्कियत की रक़म या उतनी मालियत का कोई सामान ज़रूरत से ज्यादा न हो। इसमें भी शरीअत का हुक्म ये है कि मुस्तहिक़ को मालिक बना दिया जाये और वो जिस तरह चाहे उसे ख़र्च करे। इसीलिये बिल्डिंग की तामीर में ज़कात नहीं लग सकती, न ही किसी इदारे के कर्मचारी की पगार में लग सकती है। इसी तरह कफ़्न दफ़्न में ज़कात का पैसा लगाना ठीक नहीं है। ज़कात अदा करने वाले को चाहिये कि

अच्छी तरह तहकीक करके सही मसरफ़ में लगाने की कोशिश करे। अफ़ज़ल ये है कि सबसे पहले अपने अजीज़ व अकारिब में मिस्कीन की तलाश करे। रिश्ते दारों में ज़कात अदा करने से उबल सवाब मिलता है। एक ज़कात अदा करने का दूसरे सिला रहमी करने का।

मुस्तहिक़ होने के साथ साथ एक ज़रूरी शर्त ये है कि मुस्तहिक़ मुसलमान हो। इसीलिये गैर मुस्लिम मुस्तहिक़ को ज़कात की रक़म देना ठीक नहीं है। आप स030 ने फ़रमाया कि ज़कात मुसलमान मालदारों से ली जायेगी और गैरीब मुसलमानों पर ख़र्च की जायेगी। (बुखारी 1496)

ज़कात निम्नलिखित लोगों को दी जा सकती है:

1— फ़कीर (जिनके पास निसाब के बराबर माल न हो)

2— मिस्कीन (जो किसी भी माल के मालिक न हो)

3— इस्लामी हुक्मूत के वो कारिन्दे जो ज़कात व उशर की वसूली पर मुकर्रर होते हैं।

4— ऐसे गुलाम जो अपनी आज़ादी के लिये मदद के तलबगार हों।

5— ऐसे कर्जदार जिनके कर्ज से सबक़दोशी के लिये ज़कात दी जाये जबकि उनके पास अपनी ज़ाति मालियत ज़कात की अदायगी के लिये बाकी न हो।

6— वो मुसाफ़िर जो सफ़र के दौरान ज़रूरत मन्द हो जायें।

**किन दोगों को ज़कात देना ज़रूरी नहीं:**

1— बाप, दादा, परदादा, नाना, परनाना, इत्यादि। इसी तरह दादी, नानी इत्यादि।

2— लड़के, लड़कियां, पोते, नवासे, पोतियां, नवासियां इत्यादि।

3— बीवी और शौहर।

4— गुलाम बांदी।

5— साहबे निसाब, मालदार।

6— मालदार छोटा बच्चा।

7— सादात (बनू हाशिम, आले अली, आले अब्बास इत्यादि)

**मदरसों में ज़कात देने का दोहरा सवाब**

मदरसों में ज़कात ख़र्च करने में दोहरा सवाब मिलेगा, एक ज़कात का दूसरे इल्म को फैलाने और दीन

की हिफाजत का।

### रमज़ान में ज़कात अदा करने का सवाब

रमज़ानुल मुबारक में चूंकि हर फ़र्ज़ इबादत का सवाब सत्तर गुना बढ़ जाता है इसलिये रमज़ान में ज़कात देने में इन्शाअल्लाह सत्तर गुना सवाब की उम्मीद है। (लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी ज़कात रमज़ान में ही निकाल दी जाये और गैर रमज़ान में फ़कीरों की ज़रूरतों का ख्याल न रखा जाये, बल्कि ज़रूरत व मस्लिहत के एतबार से ख़र्च करने का एहतिमाम करना चाहिये)

### एक फ़कीर को एक बड़ा में मुक़म्मल निसाब का मालिक बनाना मुकर्रह है

एक फ़कीर को एकसाथ इतना माल देना कि वो साहबे निसाब हो जाये बेहतर नहीं है, अलबत्ता अगर वो कर्जदार हो और कर्ज की अदायगी के लिये बड़ी रकम दी तो हर्ज नहीं।

**ज़रूरी तम्बीह:** कुछ मालदार इस मसले से गलत फ़ायदा उठाते हैं, वो इस तरह कि कारोबार या हुकूमत का कर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनके अस्ल सरमाये से बढ़ जाता है तो वो लोगों के पास जाकर ये कहते हैं कि हम कर्जदार होने की वजह से ज़कात के मुस्तहिक हो गये। इसलिये ज़कात के माल से हमें कर्ज अदा करने में सहयोग दिया जाये।

इस तरह वो लाखों रूपये की मांग रखते हैं तो ऐसे लोगों को चाहिये कि वो पहले अपनी ज़ाति मालियत जायदाद और गाड़ियां वगैरह बेच करके अपना कर्ज अदा करें, और इसके बाद भी कर्ज अदा न हो तो अब सहयोग की मांग करें, इससे पहले उनका अपने को ज़कात का मुस्तहक कहना गरीबों का हक मारना है।

### यतीम को ज़कात देना

अगर यतीम फ़कीर समझदार बच्चे को ज़कात दी यो कपड़े पहनाये तो ज़कात अदा हो जायेगी।

### नासमझ बच्चे को ज़कात देना

नासमझ छोटे बच्चे की तरफ से उसके बाप या वसी या मुरब्बी ने क़ब्ज़ा कर लिया तो ज़कात अदा हो जायेगी वरना नहीं।

### द्वाषमी को ज़कात देना जायज़ नहीं

द्वाषमी खानदान और उनके आज़ाद किये हुए गुलामों को ज़कात नहीं दी जायेगी।

### उसूल व फुरुआ को ज़कात देना

अपने बाप, दादों, लड़कों और पोतों को ज़कात देने से फ़र्ज़ अदा न होगा।

बीवी शौहर को और शौहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता

कर्जदार के कर्ज को माफ़ करने से ज़कात अदा न होगी

कर्जदार को कर्ज से बरी करने से ज़कात अदा न होगी अलबत्ता अगर फ़कीर ने मक़रुज़ को ज़कात की रकम दी फिर उससे अपना कर्ज वसूल कर लिया तो ये दुरुस्त है।

### फ़कीर समझकर ज़कात दी और बड़ में पता चला कि वो मालदार है

अगर किसी शख्स ने अपनी ज़कात किसी शख्स को फ़कीर समझकर दी, बाद में पता करने से मालूम हुआ कि वो लेने वाला शख्स ज़कात का मुस्तहक न था तो देने वाले की ज़कात अदा हो गयी।

### करीबी रिश्तेदारों का छक्का

करीबी रिश्तेदार ज़कात के अहम मुस्तहिकीन में से हैं, उनको ज़कात देने में दो गुना सवाब मिलता है, एक ज़कात का, दूसरे सिलारहमी और कराबत का। ध्यान रहे कि बाप, दादा, औलाद और पति—पत्नी के अलावा बकिया सभी ज़रूरतमन्द रिश्तेदारों जैसे भाई, बहन, चचा, फुफी, मामू और भाजे इत्यादि को ज़कात देना शरीअत के हिसाब से सही है, बल्कि अफ़ज़ल है।

### ज़कात के एक शहर से दूसरे शहर भेजना

बेहतर है कि हर शहर वाले अपनी ज़कात अपने शहर के फ़कीरों और ग़रीबों पर ख़र्च करें लेकिन अगर दूसरी जगह के लोग ज़्यादा मुस्तहिक हो तो दूसरी जगह ज़कात की रकम भेजने में भी कोई हर्ज नहीं है। जैसे बहुत से रिश्तेदार ज़रूरतमन्द दूसरे शहर में रहते हों, या बहुत से मदरसे ऐसे पिछड़े इलाक़ों में हैं जहां सहयोग करना दीन के बचाव के लिये ज़रूरी है तो वहां ज़कात की रकम भेजना न केवल जायज़ बल्कि ज़्यादा सवाब वाला भी है।

# रमज़ान के बाद

मुहम्मद नफीस रवाँ नदवी

रमज़ानुल मुबारक के महीने की मिसाल एक साफ़—सुधरे पानी की नदी की है जिसके अन्दर से गुज़र कर मुसलमान एक पार से दूसरे पार होते हैं और अपनी दीनी ज़िन्दगी के नये साल में दाखिल होते हैं जिसमें वो अपने पिछले साल की कोताहियों और कमज़ोरियों की गन्दगी से नहा—धोकर साफ़ सुधरे होकर निकलते हैं और अपनी ज़िन्दगी को नये सिरे से साफ़—सुधरे हाल में शुरू करते हैं।

हुजूर स0आ0 की हदीस है कि आपने हज़रत जिब्राईल की इस दुआ पर आमीन कही जिसमें उन्होने एक मुसलमान की ये बदकिस्मती और ख़राबी बतायी कि रमज़ान आया हो और वो अपने गुनाहों से बख़िशश न हासिल कर सके। इसी बिना पर रमज़ान के बाद का ज़माना एक मुसलमान की दीनी ज़िन्दगी का नया साल है जिसको वो साफ़ सुधरे और नये सिरे से शुरू करता है।

रमज़ान से एक तरफ़ मुसलमान की ज़िन्दगी का निरीक्षण होता है और दूसरी तरफ़ उससे नया हौसला मिलता है और तक़्वा व पाकी की मशक़ भी होती है। महीने के 29—30 दिन इस हालत में गुज़रे हुए होते हैं कि हर रोज़ भूख़ व प्यास पर सब्र करना पड़ता है और ये सब्र किसी मजबूरी या लाचारी से नहीं कि मायूसी की कैफियत की वजह से सिर्फ़ नाम का सब्र हो बल्कि अपने इरादे और नफ़स के ज़ब्त के साथ जिसमें सेहत व हौसले का जज्बा होता है और चूंकि वो परवरदिगार के हुक्म की तामील में और उसकी रज़ा के लिये होता है इसलिये एक तरफ़ उससे हौसला व हिम्मत की तरबियत व मशक़ होती है और दूसरी तरफ़ वो इबादत के हुक्म में दाखिल होकर अल्लाह की रज़ा और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बनता है।

रमज़ानुल मुबारक की पाकीज़गी और ख़ुबी की

ही बात है कि अल्लाह तआला के मर्ज़ी के और दीनी हैसियत से अहमतरीन वाक़्यात इसी माह में पेश आये। बदर की ज़ंग का वाक़्या जिसमें हक़ व बातिल की कशमकश में पांसा इस्लाम के हक़ में पलट गया और फ़तह मक्का का वाक़्�ा जिसने इस्लामी इतिहास के धारे को ज़बरदस्त और नया रुख़ दिया और उससे भी ज्यादा ये बात कि अल्लाह तआला का कलाम इसी महीने नाज़िल हुआ और ज़मीन वालों को इससे नेकी व नेअमत अता की गयी।

रमज़ानुल मुबारक की ये और दूसरी बहुत सी ख़ूबियाँ और अज़मतें हैं जिनकी बिना पर इस महीने की सही तरीके से गुज़राने वाले मुबारकबाद पाने के काबिल हैं जिन्होने इसकी नेमतों से अपने दामन भरे और इसकी बरकतों से मालामाल हुए। उनकी इस कामयाबी का जश्न ईद के दिन के ज़रिये ज़ाहिर होता है जिसको “ईदुल फ़ित्र” कहते हैं। यानि रोज़ से फ़ारिग़ होने की ईद। इस दिन मुसलमान अपनी खुशी का इज़हार साफ़ सुधरे कपड़े पहन करके, और अपने रब के सामने शुक्र का सजदा करके यानि ईद की नमाज़ अदा करके करते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होने ये महीना उसके आदाब के साथ और उसकी बरकत हासिल करके गुज़रा और अब वो रशक़ के काबिल भी हैं और मसलूर भी।

लेकिन ये महीना अपने पीछे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ भी छोड़ जाता है। ये ज़िन्दगी के बहुत से मामलों में सलाह और सब्र को अपनाने का सबक़ सिखा जाता है। वो एक नेक मुसलमान की अज़म व हिम्मत को बढ़ावा देने वाला साबित होता है कि अब वो अपनी ज़िन्दगी को ज़्यादा बेहतर और साफ़ बनायेगा और माहे रमज़ान में उसने जो सब्र दिखाया उसको जारी रखेगा।

रमजानुल मुबारक की हैसियत एक तरह के तरबियती कैम्प की है जिसमें न सिर्फ़ एक खास किस्म की पाबन्द ज़िन्दगी गुजारना पड़ती है बल्कि आगे के लिये और ताक़त और सलाहियत पैदा की जाती है। रमजानुल मुबारक का जो काम व्यक्तिगत जीवन में करना होता है रमजान के बाद उसका एक तरह का इजरा आम ज़िन्दगी में करता है। रमजानुल मुबारक में रोज़ाना चन्द घन्टों के लिये अपनी पसन्द और ज़रूरत की कई बातों से परहेज़ करना होता है कि प्यासा है लेकिन इतने समय तक पानी नहीं पीना है जबकि पानी हर तरफ़ मौजूद है और दावत ज़ौक़ व तलब दे रहा है। भूख है लेकिन उतने समय तक मुह में एक निवाला भी नहीं डालता है। घर वालों के साथ है लेकिन उनसे अपनी इच्छा का न प्रकट करना क्योंकि परवरदिगार और मालिक ने मना किया है। इसलिये अपने परवरदिगार और मालिक के हुक्म को पूरा करने के लिये वो सब्र करता है और अपने दिल को भी संभाले रखता है।

अब रमजान ख़त्म हुआ और 29 व 30 दिन की ट्रेनिंग से मर्द मुसलमान गुज़रा तो अब उसके लिये क्या मुश्किल है कि आगे के महीनों में कम मेहनत व सब्र की पाबन्दियों को निभाये और अपने परवरदिगार के हुक्म को माने। वो हराम माल को हाथ न लगाये, अपने लिये जायज़ व हलाल चीज़ों को ही ले और इस्तेमाल करे, उसको कोई इन्सान भी न देखता हो और कीमती से कीमती माल सामने हो जिसको लेने में उसको कोई ज़ाहिरी रुकावट न हो लेकिन वो न ले इसलिये कि उसका मख़्सूस रोज़ा ख़त्म हुआ लेकिन ये आम रोज़ा क़ायम है। जिन्सी एतबार से उसके परवरदिगार ने जो हदें उसको बतायी हैं उन हदों को पार न करे किसी हराम जगह पर नज़र न डाले और दिल की इच्छा दिल में भी न आये।

मुसलमान की ज़िन्दगी रमजान में तो एक खास दायरे में धेर दी जाती है जिसको निभाने पर वो रोज़ादार साबित होता है और उसके लिये उसके बदले में जन्त की नेमतों की बशारत है। लेकिन गैर रमजान में भी उसे बहुत सी पाबन्दियों के साथ रहना होता है और उसके लिये भी जन्त की नेमतों की बड़ी बशारत है। फूल, फल, पानी, दूध, शहद और राहत के

बेशुमार सामान की बशारतें हैं जो हमेशा हासिल होंगी। लेकिन कब? जब परवरदिगार की बतायी हुई और आसान पाबन्दियों को निभाया जाये।

अफ़सोस की बात है कि हम बहुत हद तक रमजानुल मुबारक की भूख व प्यास और दूसरी पाबन्दियों को निभा लेते हैं बल्कि पूरे-पूरे महीने और लगातार सालहा साल निभा लेते हैं लेकिन आम ज़िन्दगी में आसान सी पाबन्दियों को कई बार नहीं निभा पाते ये एहतियात कि वो जाएज़ व नाजाएज़ माल में शरई अहकाम के बीच फ़र्क करें और जो उनके लिये हलाल नहीं हैं उसको हाथ न लगाए और किसी का माल या सामान उसकी इजाज़त के बगैर न लें।

किसी ग़लत बात को स्वीकार न करें किसी पर आरोप या झूठा इल्ज़ाम न लगाएं किसी को अकारण नुक़सान न पहुंचाएं। अपने ऊपर जो दूसरों के हक़ हैं उनको पूरी तरह अदा करें। इस तरह मुसलमान सिर्फ़ रमजान ही के रोज़े का पाबन्द है और मुसलमान का मुसलमान होना इसी वक्त मुकम्मल होता है जब वो दोनों तरह के रोज़ों की पाबन्दी करे।

### शेष: सदक़-ए-फ़ित्र

**बड़ी औलाद की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र:** आकिल बालिग़ औलाद की तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र अदा करना बाप पर ज़रूरी नहीं है। अगर वो बच्चे बाप की परवरिश में रहते हों और बाप उनकी तरफ़ से सदक़-ए-फ़ित्र अदा कर दे तो ठीक होगा।  
**क्या बीवी का सदक़-ए-फ़ित्र शौहर पर है?** बीवी का सदक़-ए-फ़ित्र शौहर पर वाजिब नहीं है लेकिन अगर उसकी तरफ़ से अदा कर दे तो हो जायेगा, चाहे बीवी से इजाज़त ली हो या न ली हो।

**सदक़-ए-फ़ित्र रमजान में अदा करना:** सदक़-ए-फ़ित्र रमजानुल मुबारक में भी देना ठीक है।

“हज़रत अबूहैद्या रजिर फ़टमाते हैं कि

आहज़रत मौला ने इशाद फ़टमाया कि जो भी (छोड़ो में) नाजायज़ बात करना औष्ठ उल्ल पर अमल करना न छोड़े तो अल्लाह तभाला को उल्ल आदमी के खाना-पीना छोड़ने की ओर्डर ज़म्मूत नहीं” (बुखारी)

# ਅਗਨੀ ਮੁਲਾਕਾ ਦੀ ਅਹਮ ਦੁਆਂ

**ਜਬ ਚਾਦ ਦੇਖੋ ਤੋ ਯੇ ਦੁਆ ਪਢੋ:**

”اللَّهُمَّ أَهْلِهِ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ وَالسَّلَامِ وَالإِسْلَامِ“

”رَبِّيْ وَرَبِّكَ اللَّهُ مَلَلَ رُشْدٍ وَّخَيْرٍ“

**ਝਪੜਾਰ ਸੇ ਪਹਲੇ ਯੇ ਦੁਆ ਪਢੋ:**

”يَا وَاسِعَ الْفَضْلِ اغْفِرْنِي“

**ਝਪੜਾਰ ਕੇ ਕੁਤੰ ਯੇ ਦੁਆ ਪਢੋ:**

”اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ“

**ਝਪੜਾਰ ਕੇ ਬਾਦ ਯੇ ਦੁਆ ਪਢੋ:**

”ذَهَبَ الظَّمَآنُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوفَ وَبَيَّنَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ“

**ਕਿਸੀ ਕੇ ਧਾਣ ਝਪੜਾਰ ਕਰੋ ਤੋ ਯੇ ਦੁਆ ਪਢੋ:**

”أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّاصِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ“

”وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ“

**ਤਰਾਵੀਹ ਮੌਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚਾਰ ਰਕਾਤ ਕੇ ਬਾਦ ਯੇ ਦੁਆ ਪਢੋ:**

”سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلْكُوتِ،“

”سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَبَرُوتِ،“

”سُبْحَانَ الْحَمِيمِ الْمَلِكِ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سُبْحَانَ قُدُّوسِ رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ،“

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ، نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔“

”اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاغْفِفْ عَنِّي۔“

## बयादगार-दाई-ए-इस्लाम मौलाना अब्दुल्लाह हसनी नदवी (रहो)



अपने बच्चों में असरी तालीम के साथ दीनी शऊर पैदा करने के लिए दाखिला, कराएं। यहाँ आपके बच्चों का दीनी और दुनयावी मुस्तक़बिल का तहफ़फ़ुज़ है।

यहाँ आपके नौनिहालों के लिए हर तरह की जदीद सहूलियात दर्सियाब हैं।

तालीमी मैदान में एक नया तर्ज और एक नई कोशिश।

Contact:

**Twinkling Stars**

Masha Allah House, 241/105, Bagh Qazi, Yahya Ganj, Lucknow-226003

Ph.: 9935300441, 9621540462

Editor: Bilal Abdul Hai Hasani Nadwi

**MARKAZUL IMAM ABIL HASAN AL-NADWI**

Dare Arafat, Takiya Kalan, Raebareli, U.P.  
Mobile: 9918385097, 9918818558  
E-Mail: markazulimam@gmail.com  
www.abulhasanalnidwi.org

Printed & Published by: Mohammad Hasan Nadwi  
On Behalf of: Markazul Imam Abil Hasan Al-Nadwi  
Printed at S.A. Offset Printers, Masjid ke peeche, Phatak  
Abdullah Khan, Sabzi Mandi, Station Road, Raebareli, U.P.